खण्ड-111, अंक-2
मंगलवार, 15 आश्विन, शक संवत् 1874
(7 अक्टूबर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 111 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ७ अक्तूबर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४२)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवध शरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आर्थर ग्राईस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर , श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैया लाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काली चरण टण्डन, श्री
काशी प्रसाद पाण्डेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्ण चन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण शरण आर्य्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशव राम, श्री
खयाली राम, श्री
गंगाधर , श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेश चन्द्र काछी, श्री
गणेश प्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपी नाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरी राम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासी राम जाटव, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नी लाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगत नारायण, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटा शंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखण्डे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्ला राम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलसी राम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दयाल दास रावत, श्री
दर्शन राम, श्री
दल बहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीप नारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देव नन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवल किशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन, श्री
निरंजन सिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुदन राम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्री नारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बिशम्भर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचन राम गुप्त, श्री

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवान दीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नी लाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
मही लाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरदान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नू लाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद मन्जूरुल नबी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती

रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राज नारायण, श्री
राज नारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
राम अवध सिंह, श्री
राम किंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन लाल गंगवार, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
राम नरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री

रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
राम सुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
राम स्वरूप मिश्र विशारद, श्री
राम हरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव वादम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंश नारायण सिंह, श्री
वंशी दास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुबलिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रज विहारी मिश्र, श्री
व्रज विहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिव नारायण, श्री
शिव पूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव वचन राव, श्री
शिवचरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याम मनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्य नारायण दत्त, श्री
सत्यानन्द, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर लाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्र वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यवली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविंद पन्त, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री

हरि प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री

हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुना, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गोरखपुर जिले के अकाल पीड़ित क्षेत्रों के संबन्ध में श्री कुमारअप्पा की रिपोर्ट

*१--श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में अकाल पीड़ित क्षेत्रों के सम्बन्ध में श्री कुमारअप्पा ने सरकार के पास कोई रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में किस निर्णय पर पहुंची है?

माल मन्त्री (श्री चरण सिंह)--इस सम्बन्ध में श्री कुमारअप्पा से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या भारत सरकार द्वारा कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है?

श्री चरण सिंह--जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इस संबन्ध में और किसी मार्ग द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट आपको प्राप्त हुई है?

कृषि उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--श्री सुन्दर लाल जी ने एक रिपोर्ट की प्रति, जो श्री कुमारअप्पा जी ने बयान दिया था, उसको सरकार के पास भेजा है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या सरकार मेहरबानी करके यह बतलायेगी कि गोरखपुर जिले के अकाल पीड़ित क्षेत्र में क्या वही दशा है जो माननीय डिप्टी मिनिस्टर, श्री रावत, ने अपने वक्तव्य में प्रकट की है?

श्री जगन प्रसाद रावत--यह तो अखबारों में बयान दिया जा चुका है और वहां की जो वस्तुस्थिति है उस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि पंडित सुन्दरलाल जी की रिपोर्ट जो उनके पास आई उस पर उन्होंने क्या विचार किया और सरकार किस निर्णय पर पहुंची?

श्री जगन प्रसाद रावत--जो रिपोर्ट की प्रति श्री सुन्दर लाल जी ने भेजी है उसमें आम बातें लिखी हैं और कोई खास बात उसमें नहीं लिखी गई है। उसमें आम सुझाव भी दिये गये हैं जिनमें एक खादी का सुझाव था। उस पर विचार हो रहा है। सरकार पहले से भी खादी के सम्बन्ध में विचार कर रही थी और अब भी कर रही है। इसके अतिरिक्त और कोई बात उसमें नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि श्री सिंहासन सिंह, एम० पी०, का जो बयान पेपरों में प्रकाशित हुआ था उसको सरकार ने देखा है और अगर देखा है तो क्या उस पर कोई विचार हो रहा है?

श्री जगत प्रसाद रावत—श्री सिंहासन सिंह जी ने जो वक्तव्य अखबारों में दिया है वह देखा है। उस पर विचार करने का प्रश्न इसलिये नहीं उठता कि उसमें भी उन्होंने एक आम बात इस किस्म की कही थी कि यह सम्भव हो सकता है कि भुखमरी से मौत हुई हो लेकिन उन्होंने कोई विशेष बात खासतौर से नहीं कही।

श्री नेकराम शर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि उस रिपोर्ट में श्री कुमारअप्पा ने यह लिखा है कि लोग भूख से मरे ?

श्री जगत प्रसाद रावत—यह सही है कि उसमें लिखा है कि सैकड़ों आदमी भूख से मरे हैं लेकिन श्री कुमारअप्पा ने यह उस रिपोर्ट में नहीं लिखा कि गोरखपुर के किसी गांव में कहीं पर भी कोई आदमी भूख से मरा है। श्री कुमारअप्पा से मेरी स्वयं बात हुई है और मैंने पूछा था कि क्या वह कोई ऐसा गांव बता सकते हैं कि वहां पर कोई आदमी भूख से मरा हो और इन दस दिनों के अन्दर ३५० मील के दौरे में उन्होंने कोई लाश अपनी आंखों से देखी ? इसका जवाब उनके पास नहीं था।

राज्य में कन्या विक्रय की कुप्रथा

*२—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार को मालूम है कि कन्या विक्रय की कुप्रथा प्रान्त में कई जगहों में प्रचलित है ?

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां, कुछ जगहों में यह कुप्रथा प्रचलित है।

*३—श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार का यह इरादा है कि वह इस कुप्रथा को समूल नष्ट करने के लिये शीघ्रातिशीघ्र एक अधिनियम बनावे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस विषय में जनता का कोई रिप्रेजेन्टेशन आया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इधर हाल की तो मेरी जानकारी नहीं है लेकिन समय-समय पर रिप्रेजेन्टेशन आते रहते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार कृपा करके यह बतलावेगी कि इन रिप्रेजेन्टेशन पर कोई कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, वही कार्यवाही की गई जिसकी तरफ कि प्रश्न नम्बर ३ के उत्तर में संकेत किया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट—क्या सरकार को मालूम है कि यह कुप्रथा भिन्न-भिन्न रूप में पुत्री-विक्रय और स्त्री-विक्रय के रूप में प्रचलित है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पुत्री-विक्रय के बारे में तो मालूम है लेकिन स्त्री-विक्रय का तो कुछ पता नहीं।

लैंड रिकार्ड्स मैनुअल का संशोधित संस्करण

*४—श्री ओंकार (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटवारी स्कूलों में अब भी पिछली लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल पढ़ायी जाती है ? यदि हां, तो उसका संशोधन सरकार कब तक करने का इरादा रखती है ?

मालमन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—लैण्ड रिकार्ड मैनुअल का वर्त्तमान संस्करण ही इस समय पटवारी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है पर भाग १ तथा २ लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल का संशोधन हो चुका है और वह जल्दी ही छपाई के बाद मौजूदा सेशन में पढ़ाया जा सकेगा। लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल के भाग १ तथा २ में पटवारियों के कर्तव्य तथा कागजों की व्यवस्था है।

लैण्ड रिकार्ड्स मैनुअल के शेष भाग का भी संशोधन जल्द ही हो जायगा।

श्री श्रीचन्द--क्या मन्त्री जी बतलावेंगे कि जिन कागजात को पटवारी स्कूल में अब पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है उनको पढ़ा कर अब समय को क्यों नष्ट किया जा रहा है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--लैन्ड रिकार्ड्स मैनुअल में जो कोर्स दिया है उसी के मुताबिक पढ़ाया जा रहा है और कोई समय नष्ट नहीं हो रहा ह और उसमें जो संशोधन होगा उसके मुताबिक बाद में पढ़ाया जायगा ।

बलिया जिले के कम्युनिस्ट नेता, श्री कोमल प्रसाद की हत्या

*५--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले के हरिजन कम्युनिस्ट नेता, श्री कोमल प्रसाद, जो बलिया जिला बोर्ड के एक सदस्य थे और विगत आम चुनाव में हरिजन सीट से एसेम्बली के उम्मीदवार भी थे, गत १४ सितम्बर की रात को मार डाले गये ? अगर हाँ, तो सरकार हत्यारों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस संबंध में भारतीय दंड विधान की धारा ३०२ के अधीन एक मुकद्दमा दर्ज किया गया है और उसकी जाँच हो रही है । जो कुछ सबूत अभी तक मिला है उससे यह मालूम होता है कि श्री कोमल प्रसाद ने स्वयं चलती गाड़ी के सामने गिर कर आत्मघात कर लिया ।

*६--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि उनकी लाश टुकड़े-टुकड़े करके गाजियापुर गाँव के पास बेल्थरा रोड और किड़हिड़ापुर रेलवे स्टेशनों (N.E.R.) के बीच रेलवे लाइन पर रख दी गयी थी ? अगर हाँ, तो अन्त में उस लाश का क्या हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--श्री कोमल प्रसाद की लाश के रेलगाड़ी से कट जाने के कारण टुकड़े हो गये थे । शव को, अन्तिम संस्कार के लिये, उनके भाई तथा माता को दे दिया गया था ।

*७--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस हत्या के पीछे कोई भीषण षडयंत्र है ? अगर हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच के लिए कोई उच्च सी० आई० डी० अधिकारी की नियुक्ति के विषय में सोच रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता । स्थानीय पुलिस मामले की जाँच कर रही है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि रसड़ा के किसान नेता, श्री कपिल देव पर उसके बाद दो बार जान से मारने के लिए हमला हो चुका है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों के नैनीताल जाने में व्यय

*८--श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राज्य संपत्ति विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किन-किन तारीखों में किन-किन कार्यों से पिछली गर्मी के दिनों में नैनीताल गये और आए और उन पर कुल व्यय कितना हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--एक नक्शा जिसमें माँगी हुई सूचना दी हुई है, मेज पर रख दिया गया है । कुल खर्च के आँकड़े अभी प्राप्त नहीं हैं ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १६२ पर)

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी उन आँकड़ों सहित फिर उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी, अगर नोटिस दिया जायगा ।

काशी में ब्रम्हाघाट पर बूंदी के परकोटे के गिरने से पूर्वी काशी को खतरा

*९—श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)—क्या निर्माण मन्त्री को यह ज्ञात है कि काशी में गंगातट के ब्रम्हाघाट पर बूंदी के परकोटे के गिरने के कारण गंगा के प्रवाह से पूर्वी काशी के जल-मग्न हो जाने का खतरा पैदा हो गया है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हाँ ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो मकान ध्वंस हो गये हैं और बाकी जो जर्जर हालत में पड़े हैं उनकी माली हालत क्या होगी और क्या उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी पूरी तो कोई सूचना नहीं आयी है मकान वगैरह के बारे में, लेकिन इसकी तो जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी पर ही है और सरकार इस काम में म्युनिसिपैलिटी की जो मदद कर सकती है वह बराबर करेगी ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—क्या माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि नगरपालिका के पास इतनी बड़ी योजना चलाने के लिये धन एकत्रित है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी इसकी कोई इत्तिला नहीं है कि नगरपालिका ने कोई योजना बनायी है या नहीं बनायी है लेकिन यहाँ पर जो घाटों का काम है उसके लिये बहुत दिनों से लिखा-पढ़ी चल रही है । सरकार ने भी और वहाँ के लोकल आदमियों ने भी चन्दा दिया है और सरकार ने बनारस के दो घाटों—हनुमान घाट तथा आनन्दमयी घाट—को ले भी लिया है और ऐसे बड़े काम के लिये मेरे खयाल में सभी लोगों की सहायता की जरूरत पड़ेगी ।

*१०—श्रीमती सज्जन देवी महनोत—मन्त्री महोदय तत्काल इस सम्बन्ध में कौन सा क़दम उठाने जा रहे हैं जिससे शीघ्र सुरक्षा व्यवस्था हो सके ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—सरकार ने नगरपालिका से कहा है कि वह ऐसी कोई योजना तुरन्त बनाये जिससे घाटों की रक्षा हो सके और इस निमित्त निर्माण विभाग के विशेषज्ञों के मत की आवश्यकता हो तो एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर से परामर्श करें । एक गैरसरकारी समिति भी बनाने का विचार है जो कि बनारस के घाटों के तमाम प्रश्नों को हल करके और घाटों को फिर से मजबूत बनाने के लिये कोष एकत्र करके निर्माण का सब कार्य कर दे ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि घाटों के निर्माण का कार्य इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को हाथ में दिया गया था, यदि हाँ, तो अब क्या उसके हाथ से वापस लिया जाने वाला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—घाटों का काम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को नहीं दिया गया था ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने घाटों के निर्माण कार्य को भी अपनी योजना में प्राथमिकता दी है ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—इसकी कोई इत्तिला यहाँ नहीं है ।

महानगर (लखनऊ) सरकारी कर्मचारी गृह योजना के लिए कुल जमीन तथा उस पर व्यय

*११—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महानगर (लखनऊ) सरकारी कर्मचारी गृह योजना के लिए कुल कितनी जमीन कब और किस क़ीमत पर ली गयी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१९९.७७ एकड़ जमीन १५ दिसम्बर, १९४८ ई०, को ९,६७,९९६ रुपया १ आना ३ पाई में ली गई ।

*१२--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसका भावजा कब दिया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--१९४९-५० और १९५०-५१ में ।

*१३--श्री भगवान सहाय--क्या यह बात सही है कि इस भावजे के साथ ८० हजार रुपये के क़रीब सूद का दिया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सन् ५०--५१ के बजट में अनुदान सं० ४५, लेखा शीर्षक--ग--सफहा ८० पर इसी योजना के लिये ११ लाख ७० हजार क़ीमत दिखलायी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बजट तो माननीय सदस्य ने देखा ही है लेकिन अगर उससे कम में सौदा पट जाय तो माननीय सदस्य को कोई एतराज नहीं होना चाहिये ।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि सन् ५१-५२ के बजट में अनुदान सं० ४५--लेखा शीर्षक--ग--सफहा ८० पर जो उन्होंने इस सवाल के संबंध में कहा कि सूद नहीं दिया गया, वह ९२ हजार की रक़म सूद में दिखलायी गयी है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सूद का रुपया रखा गया था एहतियातन कि शायद देना पड़े लेकिन विभाग ने कोई सूद नहीं दिया । जिन लोगों से ज़मीन ली गयी थी उनको एक पैसा भी सूद नहीं दिया गया और यह सरकार को बचत हो गयी ।

श्री भगवान सहाय--इस बजट में लिखा है कि ९२ हजार रुपया जो दिया गया वह सूद में शामिल है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--बजट के मानी यह हैं कि देने को है ।

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मद्य-निषेध कार्य का आरम्भ न होना

*१--श्री पुत्तूलाल (जिला आगरा)--क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कौन कौन जिले हैं जिनमें मद्य-निषेध (prohibition) का कार्य आज तक आरम्भ नहीं किया गया और क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें मद्य-निषेध (prohibition) प्रचार का कार्य न किया जा रहा हो ।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्यनिषेध के होते हुए भी शराब और अन्य नशीली चीजों के बेचने के लिये दूकानदारों को कितने लाइसेंस और क्यों दिये जाते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--जिन जिलों में बिलकुल मद्यनिषेध है वहाँ लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं और जहाँ मद्य निषेध नहीं है वहाँ केवल प्रचार किया जाता है लेकिन लाइसेंस भी दिये जाते हैं ।

श्री देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में प्रचार कार्य किसके ज़रिये से किया जाता है ?

श्री सैयद अली जहीर--इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अब सरकार किन-किन जिलों में और मद्य-निषेध करने का विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--और किसी जिले में मद्य-निषेध करने का अभी कोई विचार नहीं है क्योंकि अभी यह तय नहीं किया जा सका है कि जहाँ जहाँ मद्य-निषेध किया गया है वहाँ वहाँ किस हद तक कामयाब हुआ है और उसको आगे बढ़ाना चाहिये या नहीं।

श्री बाबू नंदन (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्य-निषेध के संबंध में कितने प्रचारक काम कर रहे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--मैं इस वक्त तादाद तो नहीं बतला सकता लेकिन हर जिले में कुछ न कुछ प्रचारक जरूर काम कर रहे हैं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)--क्या सरकार को इस बात का पता है कि जो नशाबंदी का काम चल रहा है वह ठीक ठीक तरीके से चल रहा है ?

श्री सैयद अली जहीर--जहाँ तक सरकार का खयाल है वह काम अच्छी तरह से हो रहा है। बहरहाल, यह तो नहीं कहा जा सकता कि उसमें कोई तरक्की नहीं की जा सकती।

सेल्स टैक्स विभाग के रेफ्रेंस क्लर्क

*२--**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**--क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सेल्स टैक्स विभाग में कितने रेफ्रेंस क्लर्क गत तीन वर्षों में बिना इस पद पर पहले काम किये ही मुस्तक़िल कर दिये गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सेल्स टैक्स विभाग में रिफ्रेंस क्लर्क की कोई जगह नहीं है और इसलिये ऐसी किसी जगह पर किसी व्यक्ति के मुस्तक़िल कर दिये जाने का सवाल नहीं उठता।

जनरल सेक्रेटेरियट से वित्त विभाग का अलग किया जाना

*३--**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**--क्या वित्त मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग जनरल सेक्रेटेरियट से क्यों कर अलग कर दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वित्त विभाग का काम बहुत ही टेक्निकल होता है और इसके लिये खास ट्रेनिंग और तजुर्बे की जरूरत होती है और चूंकि सेक्रेटेरियट के मुख्तलिफ विभागों में तरक्कियाँ देने और तबादले करने का तरीका, जिसका अपनाया जाना सारे सेक्रेटेरियट का एक ही केडर होने के कारण लाजिमी था, आडिट और एकाउन्ट्स के नियमों की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्ति के सम्बन्ध में ठीक नहीं पाया गया, इसलिए यह उचित समझा गया कि वित्त विभाग को अकाया सेक्रेटेरियट से अलग कर दिया जाय। यह तब्दीली १ अप्रैल, १९२६ ई०, से हुई।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय वित्त मंत्री जी यह बताने की मेहरबानी फरमायेंगे कि वित्त विभाग में जिनकी नियुक्तियाँ हुई हैं वे सभी आडिट और अकाउन्ट से वाकफियत रखते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह बगैर नोटिस के नहीं बतलाऊंगा।

वित्त विभाग तथा सचिवालय के बीच कर्मचारियों के तबादले

*४--**श्री परिपूर्णानन्द वर्मा**--गत दस वर्षों के भीतर वित्त विभाग से जनरल सेक्रेटेरियट में तथा जनरल सेक्रेटेरियट से वित्त विभाग में कितने असिस्टेंट तथा सुपरिन्टेंडेंट बदले गये हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पिछले दस सालों में वित्त विभाग के सिर्फ एक स्थायी सुपरिन्टेन्डेंट और एक स्थायी अपर डिवीजन असिस्टेंट जनरल सेक्रेटेरियट को बदले गये हैं। इस अर्से में जनरल सेक्रेटेरियट से वित्त विभाग को किसी भी स्थायी कर्मचारी का तबादला नहीं हुआ।

जिला फर्रुखाबाद में कस्बा अताईपुर तथा कायमगंज के बीच पक्की सड़क का निर्माण

*५---श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार के पास कोई (representation) आया है कि जिला फर्रुखाबाद, तहसील कायमगंज, में कस्बा अताईपुर को जो खांडसारी की मंडी है और जिसका फासला कायमगंज आबादी से तकरीबन २ मील है पक्की सड़क से मिला दिया जाये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी हाँ ।

*६--श्री सुल्तान आलम खां--यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी उस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री सुल्तान आलम खां--क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि वह इस सिलसिले में जो विचार कर रही है वह अगले बजट के बन जाने से पहले खत्म हो जायेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जल्द से जल्द इस पर कोशिश की जायगी ?

उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग में परिगणित जातियों के इन्सपेक्टर्स

*७---श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल कितने आबकारी इंसपेक्टर्स (excise inspectors) की नियुक्ति की गई ? इसमें से कितने स्थान परिगणित जातियों के लोगों के लिए सुरक्षित रक्खे गये थे और कितने नियुक्त किये गये ?

श्री सैयद अली जहीर--पिछले पाँच वर्षों में उत्तर प्रदेश में कुल २२ आबकारी इन्सपेक्टरों की नियुक्तियां की गई । ये नियुक्तियां सन् १९४७ में हुईं । इनमें से ६ स्थान परिगणित जाति के लोगों के लिये सुरक्षित रक्खे गये थे । लेकिन सिर्फ २ व्यक्ति इम्तहान में शरीक हुये जिनमें से एक कामयाब हुआ । मगर उसने भी बाद को पुलिस में नौकरी कर ली । इसलिये एक्साइज इन्सपेक्टरों पर कोई भी नियुक्त नहीं किया जा सका ।

*८--श्री पुत्तूलाल--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इस समय उत्तर प्रदेश में कुल आबकारी इंसपेक्टर्स में हरिजन आबकारी इंसपेक्टर्स कितने प्रतिशत हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--इस समय उत्तर प्रदेश में कुल आबकारी इन्सपेक्टर्स में हरिजन आबकारी इन्सपेक्टर्स ३.२५ प्रतिशत हैं ।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि १० फीसदी में से ६.५ फीसदी जो कम हैं उसको कैसे और कब तक पूरा करने का विचार सरकार का है ?

श्री सैयद अली जहीर--जब कभी भी ऐसे अवसर मिल जायंगे और ऐसे आदमी मिल जायेंगे जो काम कर सकते हैं तो गवर्नमेंट जरूर पूरा करेगी ।

श्री पुत्तूलाल--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इन जगहों के लिये कम से कम क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--इसके लिये तो मुझे सूचना की जरूरत है । क्वालिफिकेशंस का तो सवाल इससे उठता नहीं ।

*९-१०--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी (जिला फर्रुखाबाद)--[२८ अक्तूबर, १९५२, के लिए स्थगित किये गये ।]

फ्लड कमेटी (बाढ़ समिति) की कार्यविधि

*११—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नदियों की बाढ़की रोक-थाम के लिये सरकार ने कोई कमेटी पहिले से बनाई है ? यदि हाँ, तो उसकी कार्यविधि क्या है ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—सरकार ने सन् १९४८ ई० में एक फ्लड कमेटी (flood committee) बनाई थी जिसकी कार्यविधि निम्नलिखित थी —

(१) उन स्थानों का निरीक्षण करना जो कि सन् १९४८ के बरसात में जल-मग्न हो गये थे ।

(२) इस प्रदेश में बाढ़ों के गत इतिहास का निरीक्षण करना और यह मालूम करना कि कौन-कौन से स्थान हर साल या किसी किसी समय जलमग्न हो जाते हैं और इस बात का भी पता लगाना कि क्या कोई निश्चित काल-चक्र है ।

(३) यह मालूम करना कि बाढ़ के आने के क्या कारण हैं और प्रदेश के अनेक भागों पर उनका क्या प्रभाव (incidence) पड़ता है ।

(४) यह बतलाना कि बाढ़ किस प्रकार रोकी जा सकती हैं या इनके प्रतिकूल प्रभावों को प्रदेश की आवश्यकताओं, माली हालत व अन्य मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार कम किया जा सकता है ।

(५) यह विचार करना कि जल-मग्न स्थानों को शीघ्रातिशीघ्र और भलीभांति सहायता पहुंचाने के लिये क्या-क्या कार्य किये जाने चाहिए ।

(६) बाढ़ से नुकसान पहुंचने पर लगान व मालगुजारी में छूट दिये जाने से सम्बन्धित नियमों को जांचना व यदि आवश्यक हो तो उसमें सुधार पेश करना ।

*१२—श्री राम सुन्दर राम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद दक्षिण क्षेत्र में जिला बस्ती की दो नदियों के बीच तमाम गांव जो पानी की बाढ़ से जल-मग्न हो जाते हैं उसके रोक-थाम के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति—खलीलाबाद तहसील का दक्षिणी भाग कुवानो तथा सरयू नदियों के बीच में पड़ता है । इस भाग को उपरोक्त नदियों के बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिये छपरा मगरबी से रामपुर तक के बांध की मरम्मत इस वर्ष कर दी गई है । इसके अतिरिक्त और कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस बांध की जो मरम्मत गत वर्ष की गई है उसकी कुल कितनी लागत है ?

श्री राममूर्ति—एक लाख रुपया ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फ्लड कमेटी की चालू वर्ष में कितनी बैठकें हुई हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—फ्लड कमेटी के बैठकों के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं है । लेकिन उसकी रिपोर्ट हमारे पास है । उसकी कई सब-कमेटियां बनी हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट की अभी राह देखी जा रही है ।

श्री रामसुन्दर राम—क्या माननीय माल मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि बाढ़ कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास अब तक कोई आई है ?

श्री राममूर्ति—जी हां, रिपोर्ट आयी है और उसका थोड़ा सा सारांश मैंने आपको बताया ।

श्री राम सुन्दर राम---क्या उस रिपोर्ट में बस्ती जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र भी शामिल हैं? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह कमेटी जो बनी थी यह हमारे प्रदेश के जितने भी बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिये बनी थी। अवश्य ही हर्रइया भी इसमें शामिल होगी।

चपरा मशरकी से रामपुर तक पुराने बांध की मरम्मत

*१३--श्री रामसुन्दर राम---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चालू वर्ष में सरयू नदी की बाढ़ के रोक-थाम के लिये चपरा मशरकी से रामपुर तक का जो पुराना बांध है, जो कई जगह टूट कर नाकामयाब हो गया है, उसकी मरम्मत के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---इस पुराने बांध की मरम्मत टेस्ट वर्क के अधीन आरम्भ कर दी गई है और यह काम शीघ्र ही पूरा हो जायगा।

*१४-१६---श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---(अनुपस्थित) ---।

(देखिए आगे पृष्ठ ११७ पर)

*१७-१८---श्री श्रीचन्द---[२८ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

दारुलशफा में टेलीफोन आने की सूचना न देने की शिकायतें

*१९--श्री भगवान सहाय---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि दारुल शफा में टेलीफोन आने की सूचना न देने की शिकायतें उनके पास किन्हीं माननीय सदस्यों की आई हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां। एक शिकायत आई है।

*२०-२२---श्री चिरंजीलाल पालीवाल (जिला फर्रुखाबाद)---[२८ अक्तूबर, १९५२, के लिये स्थगित किये गये।]

वित्त विभाग की बजट शाखा के कर्मचारियों को आनरेरियम

*२३--श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या वित्त मन्त्री कृपया बतावेंगे कि सरकारी सचिवालय के वित्त विभाग में कोई बजट शाखा है ? यदि हां, तो उसमें कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां। इस शाखा में पन्द्रह कर्मचारी हैं और बजट सीजन में आमतौर से ४ अस्थायी जगहें और बनाई जाती हैं ?

श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब बजट का यह विभाग है और उसमें चार अस्थायी कर्मचारी भी रखे जाते हैं फिर आनरेरियम देने की क्या आवश्यकता पड़ती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उनके रखने के बावजूद काम इतना होता है कि उनको आफिस आवर्स के अलावा रात को और दिन को बहुत सा काम करना पड़ता है।

*२४--श्री मदन मोहन उपाध्याय---क्या यह सच है कि बजट शाखा के कतिपय कर्मचारियों को बजट तैयार करने के उपलक्ष्य में प्रति वर्ष कुछ आनरेरियम दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम तथा आधार पर दिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बजट शाखा के सभी कर्मचारियों को बजट तैयार करने के लिये आनरेरियम दिया जाता है। बजट तैयार करने के लिये अमले को जो जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है उसके लिये बहुत दिनों से बराबर आनरेरियम दिया जा रहा है।

फंडामेंटल रूल ४६ (बी) के अनुसार ऐसे काम के लिये पारिश्रमिक के तौर पर आनरेरियन देने की इजाजत है, जिसके बारे में यह समझा जाय कि वह मौके बेमौके होता

है या उसे करने के लिये सख्त मेहनत होनी चाहिये या ऐसी खास काबिलियत की जरूरत पड़ती है, जिसके लिये खास तौर से इनाम देना ठीक समझा जाता है। जितना काम किया जाता है उसका विचार करके हर साल आनरेरियम की दर मुकर्रर की जाती है।

श्री हरदयाल सिंह पिपल्—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि आनरेरियम समान रूप से दिया जाता है या उनके ग्रेड के हिसाब से दिया जाता है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैंने जवाब में बतला दिया है। वह इस उसूल पर कायम नहीं है बल्कि हर साल के काम के लिहाज से हर साल उसकी शरह मुकर्रर की जाती है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितना रुपया इस साल आनरेरियम के रूप में बजट डिपार्टमेंट वालों को दिया गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे पास इस वक्त इसके फीगर्स नहीं हैं। अगर आप पूछेंगे कि तो देख कर बता दूंगा।

*२५—श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या बजट सम्पादन का कार्य बजट शाखा के लिये निर्धारित कार्य से अतिरिक्त कार्य है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। बजट शाखा के और बहुत से कामों में से बजट प्रकाशन भी उसका एक काम है।

कौन्सिलर्स रेजीडेन्स का प्रबन्ध

*२६—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कौंसिलर्स रेजीडेन्स का प्रबन्ध पहले एसेम्बली विभाग के सुपुर्द था और अब सरकारी सचिवालय के सुपुर्द किया गया है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कोई वजह बता सकती है कि यह तब्दीलियां क्यों की गयीं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जवाब में तो किसी "तबदीलियों" का जिक्र नहीं है। उसमें तो तबदीली न होने का जिक्र है?

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पहले कौंसिलर्स रेजीडेन्स असेम्बली डिपार्टमेंट के अन्डर में था और बाद में वह सेक्रेटेरियेट डिपार्टमेंट के हाथ में चला गया, इस तबदीली की वजह क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सन् ३७-३८ में जब यहां कांग्रेस गवर्नमेंट हुई उस वक्त मालूम हुआ कि जो तरीका पहले से था वह कुछ ज्यादा कारगर नहीं था।

*२७—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार सदस्यों की सुविधा के लिये इन निवास-स्थानों को पुनः असेम्बली विभाग के अधीन करने को तैयार है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री भगवान सहाय—क्या यह बात सही है कि माननीय निर्माण मन्त्री पहले के और अब के वित्त मन्त्री जी ने नैनीताल में रूल्स कमेटी के सामने यह कहा था कि वह उन तबदीलियों को तबदील करके ओरिजनल शक्ल में ले आयेंगे?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं, ऐसा नहीं कहा था।

जिला मथुरा में ज्यावली दलौता गांव के आस-पास सिंचाई के साधनों का अभाव

*२८—श्री रामहेत सिंह (जिला मथुरा)—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मथुरा में ज्यावली दलौता गांव के आस पास के क्षेत्र में गत वर्ष से माइनर निकलने की कार्यवाही चल रही थी? अभी निकलने में कितना समय लगेगा?

श्री राममूर्ति--ज्यावली दलौता के किसानों की एक प्रार्थना अगर याला माइनर को बढ़ाने के बारे में पिछले वर्ष विचाराधीन थी। परन्तु आगरा नहर में पानी की मात्रा नहर से सींचे जाने वाले मौजूदा क्षेत्रों के लिये भी कम है अतः उपरोक्त माइनर को बढ़ाने का कार्य उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक आगरा नहर में पानी की मात्रा न बढ़ जाये।

श्री रामहेत सिंह--माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस इलाके को किसी भी प्रकार से, कुंवों से, नल कूपों से, नहर से सिंचाई के साधन पहुंचाये जा सकते हैं ?

श्री राममूर्ति--अगली जो योजनायें बन रही हैं, उनमें सरकार का ऐसा विचार है कि गढ़वाल के नीचे की तराई में एक रामगंगा के ऊपर रेजर्वायर बनाया जाय और उसके जरिये पानी गंगा में ले जायेंगे और फिर अलीगढ़ जिले से लेकर आपके यहां पानी पहुंचायेंगे। जैसे जैसे पानी बढ़ता जायगा, नहर भी बढ़ाते जायेंगे।

श्री रामहेत सिंह--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस योजना से कब तक इस इलाके को पानी मिलना शुरू हो जायगा ?

श्री राममूर्ति--कोई निश्चित समय बताना मुश्किल है ?

बहराइच जिले में जिगहा पुल का निर्माण

*२९--श्री वसन्तलाल शर्मा (जिला बस्ती)--क्या यह सही है कि बहराइच जिला में जिगहा पुल के निर्माण के लिये सरकार ने १,१३,००० रुपये की रकम स्वीकार कर ली है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं। केवल ७५,००० रुपया स्वीकार किया है।

श्री बसन्त लाल शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि इस ७५ हजार रुपये में जो पुल तैयार होगा वह लकड़ी का बनेगा या ईंटों का पुख्ता पुल बनेगा ?

श्री गिरधारी लाल--लकड़ी का।

श्री बसन्त लाल शर्मा--क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस पुल की महत्ता का खयाल करते हुए इस पुल के ईंटों को बनाने के लिये कितना रुपया और अधिक व्यय हो सकेगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये बतला दिया गया है कि सूचना की जरूरत पड़ेगी जितना बन रहा है उसका तखमीना मौजूद है।

नई योजना के अधीन बुलन्दशहर जिले में कच्ची सड़कों का निर्माण

*३०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या सरकार बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में कितनी कच्ची सड़कें सरकार ने गत नई योजना के अधीन तैयार करवाई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी तक ११३ मील कच्ची सड़कें बन चुकी हैं। इन सड़कों की एक तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुयी है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १६३ पर)

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन कच्ची सड़कों को पक्की बनाने का सरकार का विचार है और कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अभी कोई विचार नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि बुलन्दशहर जिले में इन सड़कों को पक्की बनाने के लिये बहुत सा सामान भेजा गया और उसका आजकल कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

*३१--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि इन सड़कों पर कितना-कितना व्यय सरकार ने किया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अब तक ४,८०,५२० रुपया १ आना १० पा० कुल व्यय हो चुका है।

बुलन्दशहर जिले के पश्चिमी भाग, जमुना खादर, को सड़कों द्वारा शहरों से मिलाना

*३२—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बुलन्दशहर जिले के पश्चिमी भाग जमुना खादर को सड़कों द्वारा शहरों से मिलाने को तैयार है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी तक कोई ऐसी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हाइडल विभाग द्वारा प्राप्त बिजली की दर का मार्टिन ऐण्ड कम्पनी द्वारा बढ़ाया जाना

*३३—श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि हाइडल विभाग द्वारा प्राप्त बिजली की दर मार्टिन ऐन्ड कम्पनी ने किस किस जिले के किन-किन स्थानों मे ६ आना प्रति यूनिट से बढ़ाकर ८ आना प्रति यूनिट कर दी है और क्या हाइडल विभाग बिजली की दस पैसा प्रति यूनिट की पूर्ववत् दर से मार्टिन ऐंड कम्पनी को दे रहा है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, मुरादाबाद शहर को छोड़ कर बिजनौर और मुरादाबाद के जिले में। प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हां में है।

श्री रतनलाल जैन—वित्त मंत्री जी क्या कृपा करके बतलायेंगे कि बिजनौर और मुरादाबाद जिले के अलावा और बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर मार्टिन ऐन्ड कम्पनी अब भी छै आने फी यूनिट ले रही है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी, जरूर होगा ऐसा।

श्री रतनलाल जैन—फिर इन दो जिलों में क्यों रेट बढ़ा है जब और जिलों में अब भी छै आने ले रही है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—रेट हर जगह पर मुख्तलिफ होता है वहां के खर्चे के लिहाज से।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)—सरकार ने मार्टिन ऐन्ड कम्पनी के बीच में डिस्ट्रिब्युटिंग एजेंट क्यों रख छोड़ा है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो बरसों से है।

*३४—श्री रतनलाल जैन—क्या उपरोक्त बिजली की दर की वृद्धि पर हाइडल विभाग ने एतराज किया है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां।

*३५—श्री रतनलाल जैन—क्या उपरोक्त बिजली की दर पर वृद्धि मार्टिन ऐन्ड कम्पनी ने सरकार की अनुमति से की है? यदि नहीं, तो क्या सरकार मार्टिन ऐण्ड कम्पनी को कोई आदेश देगी कि वह बिजली की दर पुनः ६ आना प्रति यूनिट कर दे?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं—प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं है।

प्लानिंग योजना के अन्तर्गत अलीगढ़ जिले में पक्की सड़कों का निर्माण

*३६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्लानिंग योजना के अंतर्गत अलीगढ़ जिले में कितनी लम्बी पक्की सड़कें बनाने की योजना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१९५२—५३ में पांच मील पक्की सड़क बनाने की योजना है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह पांच मील लम्बी सड़क अलीगढ़ की किस तहसील में बनायी जाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल--वास्तव में यह प्लानिंग विभाग की तरफ से बनायी गयी है और उस जिले के अन्दर मुख्तलिफ स्थानों पर जो थोड़ी थोड़ी सड़कों की जरूरत थी, वह सब मिला कर पांच मील सड़क होती है।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पांच मील सड़क बन कर तैयार हो गयी है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--बन कर तैयार होने का क्या सवाल है, यह तो आगे बननी है।

*३७--**श्री नेकराम शर्मा**--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि क्या वह सिकन्दराराऊ तहसील (अलीगढ़) में हसायन-रतीका-नगला सड़क और सिकन्दराराऊ-जलेसर कच्ची सड़कों को पक्का बनाने की योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा की जलेसर तहसील और अलीगढ़ की सिकन्दराराऊ तहसील को जो सड़क जाती है इस सड़क को बनाने का सरकार विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसका तो अभी जवाब दे दिया गया है कि जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार को मालूम है कि एटा जिले में कोई रेल नहीं है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जिले में रेल तो होगी, एटा में न हो, यह तो माननीय सदस्य को मालूम होगा।

*३८--**श्री नेकराम शर्मा**--क्या यह सत्य है कि उक्त दोनों सड़कें युद्धोत्तर योजना के अन्तर्गत स्वीकार हो गयी थीं ? यदि हां, तो अभी तक क्यों इनको पक्का नहीं किया गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इन सड़कों को युद्धोत्तर योजना में पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्न का दूसरा भाग पैदा नहीं होता।

*३९--**श्री रामहेत सिंह**--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

*४०-४२--**श्री राजवंशी** (जिला देवरिया)--[१३ अक्तूबर, १९५२के लिये संख्या ४७—४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

लखीमपुर शहर में बिजली का प्रबन्ध

*४३--**श्री कमाल अहमद रिजवी** (जिला खीरी)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शहर लखीमपुर में जो बिजली लगी है उसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में है अथवा किसी कम्पनी के अधीन ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सरकार के हाथ में है।

*४४--**श्री कमाल अहमद रिजवी**--क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बिजली अभी पूरे शहर में नहीं लगी है, कुछ सड़कों पर और कुछ दूकानों को करेन्ट दिया गया है, वह भी केवल रात्रि में बारह बजे तक के लिए, यदि हां, तो पूरे शहर में मकानों और दूकानों में कब तक करेन्ट दिया जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। उम्मीद की जाती है कि मकानों और दूकानों के लिए बिजली सन् १९५३ में मिल सकेगी।

श्री कमाल अहमद रिजवी--मंत्री जी ने जो अभी उत्तर में कहा है कि सन् १९५३ ? में बिजली पहुंच जायगी तो इससे मतलब जनवरी सन् १९५३ है या दिसम्बर सन् १९५३ है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--इसके दोनों मतलब हो सकते हैं।

*४५-४७--श्री कालिका सिंह (जिला आजमगढ़)--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किये गए।]

*४८-४९--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किये गये।]

*५०-५२--श्री बैजनाथ प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किये गये।]

*५३-५४--श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिए स्थगित किए गए।]

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला मिर्जापुर में नलकूपों तथा पक्के कुओं का निर्माण

*५५--श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना में जिला मिर्जापुर में कितने ट्यूबवेल तथा मेसनरी वेल बनेंगे?

श्री राम मूर्त्ति--पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत मिर्जापुर जिले में नल कूप बनाने के लिये कोई योजना नहीं है।

जहाँ तक पक्के कुओं (masonry wells) का संबंध है, पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरे प्रदेश में ९१,५०० पक्के कुएं बनाने का लक्ष्य रक्खा गया है। इनमें से कितने मिर्जापुर में बनेंगे यह अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिले वार लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं हुए हैं। ३१ मई, १९५२ तक इस जिले में ३९ कुएं बन चुके हैं तथा इस वर्ष में एक लाख रुपये की लागत पर ५० कुएं बनाने का आयोजन है।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत यह नलकूप योजना मिर्जापुर जिले में क्यों नहीं चलाई गई?

श्री राममूर्त्ति--मैंने अर्ज किया कि सन् १९५३-५४ ई० में सर्वे कराई जायगी, तब सरकार निश्चित करेगी कि वहाँ पर नलकूप बनेंगे या नहीं।

*५६--श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार कृपया मिर्जापुर जिले के उन क्षेत्रों का सर्वे करायेगी जहाँ पर ट्यूब वेल आसानी से बनाये जा सकते हैं?

श्री राममूर्ति--मिर्जापुर जिले में नलकूपों के निर्माण के संबंध में सन् १९५३-५४ में सर्वे कराने का विचार है।

मिर्जापुर जिले के कैमूर पर्वत के नीचे के भाग से शराब की दूकानों का उठाना

*५७--श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में कैमूर पर्वत के नीचे के भाग में जहाँ शराब की बिक्री कई कारणों से नहीं के बराबर हो गयी है, वहाँ से शराब की दूकानें सरकार अविलम्ब उठा लेगी?

श्री सैयद अली जहीर--इस विषय में सरकार अभी विचार कर रही है और किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुंची है।

श्री राजकुमार शर्मा--क्या सरकार को ज्ञात है कि दूधी तहसील में गत वर्ष एक लाख ३८ हजार रुपये की शराब बिकी थी। इस साल केवल ३८ हजार रुपये की शराब बिकी है?

श्री सैयद अली जहीर--इसकी मुझे कोई इत्तिला नहीं है।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)--यह जो मद्य निषेध में कमी हुई है वह सरकार के प्रचार विभाग के कारण हुई है या किसी और व्यक्ति के प्रचार से हुई है?

श्री सैयद अली जहीर--कुछ इस तरह की इत्तिला हमें नान आफीशियल सोर्सेज से मिली है कि शराब की बिक्री में कमी हो गयी है। लेकिन अभी तक कलेक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

नहर शाख भोगनीपुर में रेगुलेटर बनाने की मांग

*५८--श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)--क्या यह सही है कि सरकार नहर शाख भोगनीपुर में मुस्तफाबाद रजबहे के पानी की मात्रा तथा कमांड क्षेत्र बढ़ाने के लिये एक रेगुलेटर बनाने जा रही हैं?

श्री राममूर्त्ति--जी नहीं, इस विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

श्री विष्णुदयाल वर्मा--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मांग के लिये सरकार के पास जनता की कोई दरख्वास्त आई है?

श्री राममूर्त्ति--मेरे पास इसकी कोई इत्तिला नहीं है।

*५९--श्री विष्णु दयाल वर्मा--इस रेगुलेटर के बन जाने पर कितने एकड़ अधिक भूमि पर सिंचाई होगी और कितना रुपया इस रेगुलेटर के निर्माण में व्यय होगा?

श्री राममूर्त्ति--यह प्रश्न उठता ही नहीं।

सहसवान, जिला बदायूं से गिलौर को जाने वाली सड़क को पक्की करना

*६०--श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सहसवान, जिला बदायूं से जो सड़क गिलौर को जाती है उसको पुख्ता बनाने का काम कब तक शुरू किया जावेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सड़क को पक्का करने की कोई योजना इस समय नहीं है।

श्री मुश्ताक अली खां--क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि फाइव ईयर प्लान में यह सड़क शामिल थी और इब्तदाई काम बहुत कुछ हो चुका है। मैं ख्याल .....

अध्यक्ष--माननीय मुश्ताक अली खां आप तो सूचना दे रहे हैं। आप कोई सवाल करना चाहें तो करें नहीं तो चिट्ठी लिखकर भेज दें।

श्री मुश्ताक अली खां--जो लेबर और रुपया सर्फ हो चुका है उसके जाया होने का अंदेशा है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह कच्ची सड़क ओ० डी० आर० थी, इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दिया गया है। यह कच्ची सड़क थी पक्की का कोई सवाल नहीं था।

बहादुराबाद तथा पथरी पावर हाउस का निर्माण

*६१--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--बहादुराबाद के वर्तमान बिजली घर के निर्माण में कितना समय और कितना रुपया व्यय हुआ था?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बहादुराबाद पावर हाउस के बनने में २ १/२ साल लगा और १७.३४ लाख रुपया खर्च हुआ।

*६२--श्री दीन दयालु शास्त्री--पथरी में बन रहे बिजली घर में अब तक कितना समय और कितना रुपया व्यय हुआ और आगे कितना समय और रुपया व्यय होने की संभावना है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पथरी पावर हाउस का काम १९५१ में शुरू किया गया और मार्च १९५२ तक ८८.२९ लाख रुपया खर्च हुआ।

यह उम्मीद की जाती है कि इस पावर हाउस का काम १९५५ में पूरा हो जायगा और कुल २५९३७ लाख रुपया खर्च होगा।

*६३--श्री दीनदयालु शास्त्री--बहादुराबाद के बिजली घर में कितने इंजीनियर काम करते थे और अब पथरी के बिजली घर में कितने इंजीनियर काम करते हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--बहादुराबाद पावर हाउस मे कितने इंजीनियर काम करते थे इसकी सूचना प्राप्त नहीं है। पथरी पावर हाउस में इस वक्त साठ इंजीनियर काम कर रहे हैं।

जानसठ-धोरना-भोकर-हेंडी बसेड़ा-करला रोड की डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुजफ्फरनगर को वापसी

*६४--श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार जिला मुजफ्फरनगर की जानसठ-धोरना-भोकर-हेंडीबसेड़ा-करला रोड़ को पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत लेने का विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जी नहीं।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस सड़क का जानसठ और भोकरहेंडी का हिस्सा पी० डब्लू० डी० के पास अब भी है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इसकी कोई सूचना नहीं है। जहाँ तक हमको सूचना मिली है उसमें तो यही है कि यह विलेज रोड थी जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गयी है।

श्री बलवन्त सिंह--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सड़क डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को कब वापस की गई?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब सब सड़कें वापस की गयी हैं तभी यह सड़क भी वापस की गई है।

१९५१ में हाईकोर्ट के जजों द्वारा पुलिस अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध आलोचनायें तथा उन पर सरकारी कार्यवाही

*६५--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सन १९५१ में हाईकोर्ट के जजों द्वारा कितने मामलों में पुलिस अथवा अन्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल आलोचनायें (Strictures) की गयीं और उनमे से सरकार ने कितने मामलों में कार्यवाही की और कितनों में उनको दंड दिया गया?

श्री सैयद अली जहीर--७ पुलिस तथा १४ अन्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध हाईकोर्ट के जजों द्वारा प्रतिकूल आलोचनायें की गयीं और आवश्यक कार्यवाही के बाद इनको उपयुक्त दंड दिया गया। कुछ मामलों पर सरकार अभी विचार कर रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि इनमें क्या-क्या सजा दी गयी?

श्री सैयद अली जहीर--इसमें एक में तो awarded an adverse entry. दूसरे में warned तीसरे में awarded an adverse entry चौथे में awarded an adverse entry पांचवे में reprimanded छठें में seriously warned सातवें में censured इसी तरह से censured इसी तरह से warned इसी तरह से warned एक मामले में खुद हाईकोर्ट ने कार्यवाही की थी।

श्री भगवान सहाय—मैं इन सवालों का जवाब हिन्दी में चाहता हूं।

श्री सैयद अली जहीर —उसको warn किया गया इसका मतलब है तंबीह दी गयी। सेन्श्योर्ड का मतलब है कि सेन्शर किया गया। इसी तरह से इसका यह मतलब है।

अलीगढ़ जिले के मुरसान परगने में सिंचाई का प्रबन्ध

*६६—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बतानें की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के मुरसान परगने में कितने एकड़ उपजाऊ भूमि बिना सिंचाई किये छूट जाती है?

श्री राममूर्त्ति—अलीगढ़ जिले के मुरसान परगने में लगभग पांच सौ एकड़ भूमि ऐसी है, जो समतल नहीं है तथा नहर के सिंचाई क्षेत्र से बाहर है और इन कारणों से उसमें सिंचाई होना संभव नहीं है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस भूमि की किस्म क्या है?

श्री राममूर्त्ति—मैंने यह बताया कि वह भूमि समतल नहीं है और अगर आपका मतलब किस्म से दुमट अव्वल या दोयम का है तो इसके लिये नोटिस चाहिये।

*६७—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या उक्त क्षेत्र में सिंचाई कार्य शीघ्र आरंभ कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

श्री राममूर्त्ति—जी नहीं। कुछ समय पहले इस क्षेत्र की सिंचाई के लिये छोटवा माइनर के बढ़ाने की एक योजना की जांच की गयी थी, मगर भूमि के समतल न होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही न की जा सकी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि इस क्षेत्र के लिये किसी सिचाई की योजना पर आजतक कोई विचार किया गया?

श्री राममूर्त्ति—मैंने आप को बताया कि वह भूमि समतल नहीं है और इसीलिय वहां के इंजीनियर्स ने वहां के लिये इसे गैरमुनासिब समझा।

श्री नेकराम शर्मा—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यदि वहां नहर से सिंचाई नहीं हो सकती तो वहां के लिये कोई टयूबवेल्स आदि की व्यवस्था की जायगी?

श्री राममूर्त्ति—अगर माननीय सदस्य कोई प्रस्ताव सरकार के सामने लावें तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या भविष्य में सरकार इस तरह की कोई योजना पर विचार करेगी?

श्री राममूर्त्ति—अगर आप कोई योजना सरकार के सामने रखें तो सरकार उस पर विचार करेगी और ज्यादा से ज्यादा आप की सहायता करने की सरकार कोशिश करेगी।

*६८—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—उक्त क्षेत्र में सरकार ने पिछले दो वर्षों में कितने सीमेंट के नये कुएं बनवाये और सिंचाई के लिये कितनी तकावी और अन्य आर्थिक सहायता दी?

श्री राममूर्त्ति—पिछले दो वर्षों में बने कुओं की संख्या अथवा उन पर दी गई सब्सिडी की सूचना उपलब्ध नहीं है, क्यों कि कुओं की संख्या परगनों के हिसाब से नहीं रक्खी गयी है। इस सूचना के एकत्रित करने में जो परिश्रम व समय व्यय होगा, यह उससे प्राप्त होने वाले लाभ से कम होगा। पिछले दो वर्षों में सरकार ने ७,६६५ रु० की तकावी स्वीकृत की थी।

गोरखपुर जिले में सिंचाई के संबन्ध में सर्वे तथा योजनायें

*६९--श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में इस उद्देश्य से कोई सर्वे करायी गयी है कि वहां पर किन-किन स्थानों पर सिंचाई के लिये कौन-कौन से साधन उपलब्ध तथा उपयोगी हो सकेंगे ?

श्री राममूर्त्ति--गोरखपुर जिले में अभी तक विस्तृत रूप से कोई सर्वे नहीं कराई गयी है। कुछ समय पहले रोहिन और डांडा रामगढ़ नहरों और तहसील सरदार नगर में नलकूप बनवाने के संबंध में सर्वे कराई गई थी, यह योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं और सिंचाई का कार्य कर रही हैं। इस वर्ष शीतकाल में सारे जिले का सम्पूर्ण रूप से सर्वे कराने का विचार है जो यह निर्धारित करेगा कि जिले के प्रत्येक क्षेत्र में कौन सा साधन उत्तम सिंचाई के लिये उपलब्ध तथा उपयोगी हो सकेगा, ताकि सिंचाई संबंधित कार्य क्रमशः तथा एक निर्धारित आधार पर आर्थिक सहायता के उपलब्ध होने पर सारे जिले में उचित रूप से हो सके।

श्री पारिपूर्णानन्द वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतावेंगे कि जो सर्वे की कार्यवाही पुनःहोने वाली है, वह कब प्रारंभ होगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह उत्तर में लिखा हुआ है कि इसी शरद् में यानी बरसात के समाप्त होते ही सर्वे शुरू हो जायगा।

*७०--श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय--क्या सरकार की जानकारी में गोरखपुर जिले में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, जहां पर सिंचाई के कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं हैं? यदि नहीं, तो उन स्थानों में सिंचाई के लिये कौन-कौन सी योजनायें कार्यान्वित की जाने वाली हैं ?

श्री राम मूर्त्ति--हां, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं। गोरखपुर जिले के कुछ कृषि योग्य क्षेत्र में ३५ प्रतिशत भूमि में सिंचाई खुले कुओं, तालाबों तथा अन्य निजी सिंचाई के साधनों से होती है। और २०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई रोहिन डांडा और रामगढ़ नहरों तथा २२ सरकारी नलकूप, जो कि सरकार ने हाल ही में बनवाये हैं, द्वारा होती है। इस वर्ष ६५ अन्य नलकूपों के बनवाने का कार्य भी हाथ में लिया जा रहा है और शरद तथा शीत ऋतु में सारे जिले का विस्तृत रूप से सर्वे किया जायगा और सिंचाई संबंधित कार्य धीरे-धीरे हर एक उपयुक्त क्षेत्र में अर्थ उपलब्ध होने के अनुसार होगा।

बरुआ सागर तालाब (झांसी) की नहरों से भूमि को क्षति

*७१--श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि बरुआसागर (झांसी) के तालाब की नहरों के झिराव से कितनी एकड़ भूमि कृषि के अयोग्य हो जाती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--बरुआ सागर तालाब की नहरों के झिराव से प्रायः ६० एकड़ भूमि को क्षति पहुंचती है। इसमें अधिकतर भूमि में धान की फसल हो जाती है, पर रबी नहीं हो पाती।

जिला झांसी में बरुआ नाले के कुलुवा नामक स्थान पर बांध बनाने के लिए सर्वे

*७२--श्री रामसहाय शर्मा--क्या सरकार बरुआ सागर के तालाब के पानी की कमी को पूरा करने के लिये बरुआ नाले के कुलुवा नामक स्थान पर छोटा बांध बनवाने को सर्वे करा चुकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुलुवा नामक स्थान पर बांध बनाने के लिये सर्वे की जा रही है और इसके एक माह में पूर्ण हो जाने की आशा है।

नहर शाख फर्रुखाबाद से एक छोटा बम्बा निकालने की मांग

*७३—श्री सुलतान आलम खां—क्या सरकार के पास मौजा फतेहपुर पुरौरी, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद के लोगों की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन आया है जिसमें यह विनय की गयी है कि नहर शाख फर्रुखाबाद से एक छोटा बम्बा निकाल दिया जावे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, फतेहपुर पुरौरी के काश्तकारों ने एक प्रार्थना-पत्र, दिनांक २०-४-५२, अपने खेतों की सिंचाई के लिये एक नई माइनर निकालने के लिये दिया था।

*७४—श्री सुलतान आलम खां—सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गंगा नहर में जलाभाव के कारण इससे नई नहरें निकालना अथवा उपस्थित नहरों को बढ़ाना असम्भव है। अतः फतेहपुर पुरौरी के कृषकों की उपरोक्त प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।

मौजा नेवदा, तहसील सिधौली के किसानों द्वारा नहर के लिये ली गयी भूमि के सम्बन्ध में मुआविजे की मांग

*७५—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि माह जून, सन् १९५२ को नेवदा मौजा, तहसील सिधौली के बारह किसानों ने नहर दरियाबाद ब्रान्च के अन्तर्गत पड़ी जमीन और फसल का मुआविजा प्राप्त करने के लिये हल्का एम० एल० ए० द्वारा प्रार्थना-पत्र भेजे थे? यदि हां, तो मुआविजा कब तक प्राप्त हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—नेवादा, तहसील सिधौली के किसानों का एक प्रार्थनापत्र माननीय प्रश्न कर्त्ता द्वारा ७ जुलाई, सन् १९५२ को प्राप्त हुआ था। फसल तथा भूमि के मुआविजे का भुगतान किया जा चुका है।

'स्टेट बनाम बच्चन सिंह' मुकद्दमे को आजमगढ़ के जिलाधीश द्वारा वापस लेना

*७६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि स्टेट बनाम बच्चन सिंह ओवरसियर वगैरह पर हाउस कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार जिला आजमगढ़ के जुडीशियल मैजिस्ट्रेट श्री कालिन्दी प्रसाद की अदालत में कोई मुकद्दमा चल रहा था जिसको जिलाधीश ने कई पेशियों के बाद पिछली २५ जून को वापिस ले लिया ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, जिलाधीश, आजमगढ़, ने २४ जून, १९५२ ई० को स्टेट बनाम बच्चन सिंह मुकद्दमे को वापिस ले लिया था क्योंकि बाद की तहकीकात से मालूम हुआ कि मुकद्दमा चलाना उचित न था।

*७७—श्री उमाशंकर—क्या सरकार यह बतलायेगी कि उक्त मुकद्दमा चलाने में कितना सरकारी पैसा व्यय हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—इस मुकद्दमे में कुछ भी सरकारी पैसा नहीं व्यय हुआ क्योंकि शहादत होने से पहले ही मुकद्दमा वापिस ले लिया गया था।

*७८-७९—श्री टीनदयालु शास्त्री—[१८ नवम्बर, १९५२ के लिये स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में ट्यूबवेल्स का निर्माण

*८०—श्री झारखन्डे राय—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार कितने-कितने टयूब वेल्स लगाये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--अजमगढ़ जिले में तह (strata) मालूम करने के लिये दो प्रयोगात्मक बोरिंग एक घोसी तहसील (मनईल ग्राम) में और दूसरी मोहम्मदाबाद तहसील (खंगेलिया ग्राम) में की गयी थी। बाद में इन बोरिंग को नलकूप में परिणत कर दिया गया और इससे सिंचाई हो रही है।

आजमगढ़ में किसी विशेष योजना के अन्तर्गत अभी तक नलकूप निर्माण नहीं हुए हैं।

*८१--**श्री झारखन्डे राय**--क्या सरकार यह बतायेगी कि प्रत्येक तहसील में आगे कितने कितने नलकूप लगाने की योजना है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--१५ वर्षीय योजना के अन्तर्गत आजमगढ़ जिले में ३५८ नलकूप बनाने का आयोजन है और आशा है कि प्रथम पांच वर्षों में लगभग २०० नलकूप बनकर तैयार हो जायेंगे।

इन नलकूपों का तहसीलवार वितरण अभी निश्चित नहीं हुआ है। क्योंकि सर्वे हो रहा है। यदि पानी का स्तर अनुकूल हुआ तो प्रत्येक तहसील में कुछ न कुछ नलकूप बन जावेंगे।

*८२--**श्री झारखन्डे राय**--क्या सरकार को यह पता है कि घोसी तहसील (जिला आजमगढ़) में पनईल ग्राम में लगाया गया नलकूप शुरू से ही प्रायः बिगड़ा पड़ा है? अगर हां, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी--पनईल ग्राम का नलकूप डीजेल एंजिन से चलता है जिसमें कुछ गड़बड़ी थोड़े समय के लिये हो गयी थी डीजेल एंजिन ठीक कर दिया गया और नलकूप चालू हालत में है।

बनारस में आनरेरी मैजिस्ट्रेट श्री केशव प्रसाद जी के इजलास में मुकद्दमों के फैसले

*८३--**श्री बलदेव सिंह** (जिला बनारस)--क्या सरकार को पता है कि बनारस में श्री केशव प्रसाद जी, आनरेरी मजिस्ट्रेट के इजलास में तीन-तीन वर्ष के पुराने मुकद्दमें चल रहे हैं और उनका फैसला अब तक नहीं हुआ?

श्री सैयद अली जहीर--श्री केशव प्रसाद, आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट बनारस के इजलास में जो ऐसे मुकद्दमे चल रहे हैं, जो तीन वर्ष के पुराने हैं।

*८४--**श्री बलदेव सिंह**--क्या यह सही है कि केशव प्रसाद जी ने उन बहुत से मुकद्दमों का फैसला भी नहीं लिखा है, जिनकी अन्तिम बहस आज से दो वर्ष पहले वे सुन चुके हैं?

श्री सैयद अली जहीर--श्री केशव प्रसाद, आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट, बनारस के इजलास में कोई ऐसा मुकद्दमा नहीं है, जिसकी अंतिम बहस दो वर्ष पहले सुनी गई हो और फैसला न लिखा गया हो।

*८५-८७--**श्री रामसुन्दर राम**--[१३ अक्तूबर, १९५२ के लिये संख्या ५०-५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये]

मऊ, जिला आजमगढ़ में पावर हाउस का निर्माण

*८८--**श्री राम सुन्दर पान्डेय** (जिला आजमगढ़)--क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मऊ, जिला आजमगढ़ में विद्युत् शक्ति उत्पादन करने का कारखाना निर्माण कराने का उनका इरादा है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हाँ।

हाथरस क्षेत्र में ट्यूबवेलस का निर्माण

*८९--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले के हाथरस क्षेत्र में ट्यूब-वेल्स (Tube-wells) बनाने के लिए कितने रुपये मंजूर किये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--ट्यूब वेल सरकिल (वेस्ट) में २०० नलकूप निर्माण की चालू योजना के अन्तर्गत हाथरस क्षेत्र में ३८ नलकूप लगाने के लिये १३,५४,००० रु० की स्वीकृति दी गई है।

*९०--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस रकम में से कितना रुपया ट्यूब-वेल्स (Tube-wells) के निर्माण पर अब तक व्यय हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब तक लगभग तीन लाख रुपया व्यय हो चुका है।

*९१--श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उन किसानों की जिनके खेतों में होकर ट्यूब वेल रोड बना दी गयी है, कितना रुपया मुआविजा के रूप में दिया जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--भू-अधिकरण ऐक्ट (Land Acquisition Act) के अन्तर्गत ट्यूब वेल रोड बनाने के लिये जमीन प्राप्त करने के कारण लगभग २५,००० रु० मुआवजा के रूप में किसानों को दिया जायगा।

बरेली फतेहगंज से शाही शीशगढ़ होती हुई रुद्रपुर जाने वाली सड़क का पक्का कराना

*९२--श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि वह बरेली फतेहगंज से शाही शीशगढ़ होती हुई रुद्रपुर जाने वाली सड़क की जो एक १०-१२ मील का टुकड़ा सिर्फ रामपुर की सीमा में कच्चा है पक्का कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ तो कब ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं।

*९३-९४--श्री राम शंकर द्विवेदी (जिला रायबरेली)--[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली जिले में महाराजगंज की नैधा में पुल का निर्माण

*९५--श्री रामस्वरूप मिश्र विशारद (जिला रायबरेली)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिला के अन्तर्गत महाराजगंज से समरौता जाने वाली सड़क पर जो सरकार की ओर से पक्की बनने वाली सड़कों में से है महाराजगंज की नैधा में पुल बनाने के लिए जो ईंट और कंकड़ इकट्ठा हुआ था उसकी ढुलाई में और उसके देख रेख के लिए नियुक्त चौकीदार के वेतन में सरकार का कितना खर्च हुआ ?

श्री गिरधारीलाल--पुल बनाने की कोई योजना नहीं थी। ईंट और कंकड़ जो इस नाले के पास इकट्ठे किये गये थे वह इस सड़क व आसपास की कच्ची सड़कों की पुलियों के लिये थे। उस सामान को मौके तक ले जाने में ४,३५५ रु० और चौकीदार में २,०४० रु० खर्च हुए।

*९६--श्री रामस्वरूप मिश्र विशारद--क्या सरकार ने वह इकट्ठा हुआ ईंट ओर कंकड़ सम्पूर्ण अथवा अंशतः बेच दिया गया है ? यदि हाँ, तो इस क्रय-विक्रय से सरकार की क्या हानि हुई ?

श्री गिरधारीलाल--केवल २,५०० ईंट बेची गई। इसमें सरकार को कोई हानि नहीं हुई।

*९७--श्री रामस्वरूप मिश्र विशारद--उपरोक्त पुल के बनाने का तखमीना क्या था? सरकार अब उस पुल को कब तक बनवाने जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल--यदि यह पुल बनाया जाय तो लगभग १,१०,००० रुपिया खर्च होगा। ऐसी कोई योजना नहीं है।

गोरखपुर की विभिन्न अदालतों में चार मास पूर्व से चलने वाले फौजदारी व माल के मुकद्दमे

*९८--श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)--क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर की विभिन्न अदालतों में फौजदारी या माल विभागीय ४ माह पूर्व के कुल कितने मुकद्दमे चल रहे हैं और उनका कब तक फैसला हो जाने की आशा है ?

श्री सैयद अली जहीर--गोरखपुर जिले की विभिन्न अदालतों में फौजदारी के २११ और माल के १,५०४ मुकद्दमे ४ माह पूर्व से चल रहे हैं। फौजदारी के मुकद्दमों में दिसम्बर, १९५२ तक निर्णय हो जाने की सम्भावना है और माल के मुकद्दमों में से ज्यादातर का एक या दो महीने में और शेष का अप्रैल, १९५३ के अंत तक निर्णय हो जायगा।

*९९--श्री केशव पाण्डेय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो मुकद्दमे एक या दो वर्ष या अधिक समय से चल रहे हैं उनके विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री सैयद अली जहीर--एक या दो वर्ष या अधिक समय से चलने वाले मुकद्दमे के विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :--

१--समय पर सम्मन का तामील न होना या दूसरे राज्यों से समय पर गवाहान का न आना।

२--न्यायाधीशों की छुट्टी या तबादले के कारण फिर से (Denovo-trial) कार्यवाही का आरम्भ होना।

३--हाई कोर्ट के आदेशानुसार कार्यवाही का रोक दिया जाना।

४--पंचायतों से समय पर मिसलों का न आना।

५--सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का प्रबन्धक कार्य (Executive work) में घिरा रहना, जैसे चुनाव आदि।

बहराइच के घण्टा घर की घड़ी

*१००--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि घंटाघर बहराइच की घड़ी कितने दिनों से खराब है ?

श्री गिरधारीलाल--लगभग १०-११ महीने से।

*१०१--श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या यह भी सही है कि उक्त घड़ी के बनने के लिये सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है ? यदि हां, तो अभी तक उसके न बनने का कारण क्या है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ। घंटाघर की घड़ी को ठीक करने वाला घड़ी साज अब तक न मिला था।

बहराइच-जरवल रोड का निर्माण

*१०२--श्री सियाराम चौधरी (जिला बहराइच)--क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बहराइच-जरवल रोड पर बहराइच के निकट चौथी मील पर लगा हुआ काम इस समय क्यों रोक दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल--इस मील का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

*१०३--श्री सियाराम चौधरी--क्या यह सत्य है कि सरकार ने इस वर्ष बजट में लगभग ४ लाख रुपया इस सड़क को पूरा करने के लिये स्वीकार किया है ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं, केवल २ लाख रुपया पूरी बहराइच-बहरामघाट सड़क के लिये इस वर्ष रखा गया है ।

*१०४--श्री सियाराम चौधरी--क्या यह सत्य है कि बहराइच-जरवल रोड बनाने की सामग्री इकट्ठा की जा चुकी थी ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ, कुछ मीलों के बनाने की सामग्री इकट्ठी की गई है ।

जिला बरेली में बहेड़ी से फरीदपुर तक यातायात के योग्य सड़क का अभाव

*१०५--श्री नत्थू सिंह (जिला रायबरेली)--क्या सरकार को ज्ञात है कि बहेड़ी, जिला बरेली से उसी तहसील के कस्बे फरीदपुर तक कोई सड़क यातायात के योग्य नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसी कोई सड़क बनाने की योजना तैयार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल--जी हाँ, इस सड़क के बहेड़ी से भानपुर तक के टुकड़े पर सीमेन्ट कांक्रीट ट्रैक बनाने की योजना है और इस साल इस टुकडे पर कार्य किया जा रहा है । भानपुर से फरीदपुर तक का टुकड़ा जिला बोर्ड को वापस कर दिया गया है और इसके निर्माण की जिम्मेदारी अब बोर्ड की है ।

जिला बरेली में फरीदपुर से भुता तक की सड़क की दयनीय दशा

*१०६--श्री नत्थू सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील फरीदपुर (जिला बरेली) में फरीदपुर से भुता तक की सड़क जो दयनीय दशा में है, उसको ठीक कराने के बाबत सरकार का कोई विचार है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल--जी नहीं, यह सड़क जिला की अन्य कच्ची सड़कों के साथ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गई है ।

दोहरी घाट से आजमगढ़ जाने वाली सड़क को बाढ़ से खतरा

*१०७--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को मालूम है कि धनौली-रामपुर गाँवों के पास घाघरा नदी ने दोहरीघाट से आजमगढ़ जाने वाली पक्की सड़क को बाढ़ के कारण खतरा पैदा कर दिया है ? अगर हाँ, तो सरकार इस सड़क और उसके पूर्व के गाँवों को विनाश से बचाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल--जी नहीं, अभी तक कोई खतरा नहीं है । प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

*१०८--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को यह मालूम है कि इस विषय में एक प्रार्थनापत्र ग्राम सभाओं, धनौली रामपुर की ओर से जिला कलक्टर, आजमगढ़ को भेजा गया है जिसमें बांध, नाला और घाघरा की बाढ़ के पानी से सिंचाई की बहुत सुन्दर व्यवस्था और सुझाव दिये गये हैं ?

श्री गिरधारी लाल--जी हां ।

*१०९--श्री झारखंडे राय--सरकार की ओर से उस दरख्वास्त पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री गिरधारी लाल--अभी विशेषज्ञों से टेकनिकल सुझाव लिये जा रहे हैं ।

सरायमीरा (कन्नौज), जिला फर्रुखाबाद की मुंसिफी

*११०--श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुंसिफी सरायमीरा (कन्नौज), जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५० तथा १९५१ ई० में कुल कितने मुकद्दमों का दायरा हुआ और उनमें छिबरामऊ, तालिग्राम, सौरिख, सन्कडावा तथा सकतपुर परगनों (तहसील छिबरामऊ) के कितने तथा किस प्रतिशत में मुकद्दमे थे ?

श्री सैयद अली जहीर--मांगी हुई सूचना नत्थी है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १६५ पर)

*१११—श्री मथुरा प्रसाद त्रिपाठी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मुंसिफी सरायमीरा (कन्नौज), जिला फर्रुखाबाद में सन् १९५० तथा १९५१ ई० में एडीशनल मुंसिफ रहा? यदि हां, तो प्रत्येक साल कितन-कितने समय के लिये रहे और क्यों?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

ठाकुरद्वारा तहसील में पक्की सड़कें

*११२—श्री शिव स्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील ठाकुरद्वारा एक ऐसी तहसील है जिसमें एक भी पक्की सड़क नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही प्रान्त के इस पिछड़े हुए भाग में भी कोई पक्की सड़क बनवाने का इसी वर्ष विचार रखती है?

श्री गिरधारी लाल—युद्धोत्तर योजना के प्रथम चरण में मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा-काशीपुर सड़क का निर्माण आरम्भ हो गया था और अब पूर्ण हो जाने की दशा में है।

*११३—श्री शिवस्वरूप सिंह—क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि तहसील ठाकुरद्वारा, जिसकी चौड़ाई लगभग १६ मील है, को पूरा पार करने के लिये आठ दरियाओं को पार करना पड़ता है जिनमें केवल दो दरियाओं पर केवल एक ही रास्ते पर पुल है?

श्री गिरधारी लाल—ठाकुरद्वारा तहसील नदियों से आच्छादित है, परन्तु आर्थिक कठिनाइयों के कारण सब पुल एकाएक नहीं बन सके। इनकी आवश्यकता पर समय-समय पर विचार किया जावेगा।

*११४—श्री शिवस्वरूप सिंह—क्या माननीय निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि इन दरियाओं में वर्षा ऋतु में अनेकों व्यक्ति पुल न होने के कारण प्रतिवर्ष डूब कर मर जाते हैं?

श्री गिरधारी लाल—इसकी कोई सूचना सरकार के पास नहीं आयी है।

अलीगढ़ जिले में १९५१ एवं १९५२ में बिजली के दिये गये कनेक्शन

*११५—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में सन् १९५१ एवं १९५२ में कितने बिजली के कनेक्शन दिये गये?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१३९२।

बिजली उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*११६—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितने बिजली पैदा करने के कारखाने अथवा कंपनियां हैं उनमें कितनी सरकार और उद्योगपतियों के पास हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा करने के कारखाने अथवा कंपनियां ६४ हैं, जिनमें १७ सरकार, १२ अर्द्ध सरकारी (Local Bodies) हैं और ३५ अन्य उद्योग पतियों के पास हैं?

*११७—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार इस प्रदेश की बिजली कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का इरादा रखती है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार ने सबसे बड़े बिजली के कारखाने कानपुर एलेक्ट्रिक सप्लाई को अपने हाथ में ले लिया है। जब कभी किसी का सवाल उठे तब उस पर विचार हो सकता है। यह आर्थिक परिस्थिति पर भी निर्भर है, जो इन दिनों काफी जटिल है।

*११८--श्री नेकराम शर्मा--बिजली कम्पनी के वे कर्मचारी जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के अन्तर्गत नहीं आते, उनके अधिकार तथा सर्विस सिक्योरिटी का भी कोई उपाय सरकार ने सोचा है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह सवाल बिजली कंपनियों में काम करने वालों तक ही सीमित नहीं है। इसमें जो कुछ भी किया जायगा, वह इस तरह के सभी उद्योगों में काम करने वालों पर लागू होगा। केन्द्रीय सरकार इस संबंध में एक कानून बनाने का विचार कर रही है।

* * * *

पी० डब्लू० डी० मैनुअल का संशोधन

*१४--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० मैनुअल को संशोधन (Revise) करने के लिये कोई अधिकारी सरकारी सचिवालय में नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो कब से?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां, १० सितम्बर, सन् १९४९ ई० से। सार्वजनिक निर्माण विभाग के मैनुअलों को दोहराने के अलावा इस अफसर को नीचे लिखे मैनुअलों, ऐक्टों और सर्विस के नियमों को बनाने या उनको दोहराने का भी काम सौंपा गया है :--

(१) सिंचाई विभाग के मैनुअलों को दोहराना।
(२) बिजली विभाग के मैनुअलों को दोहराना।
(३) यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट को दोहराना।
(४) नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐंड ड्रेनेज ऐक्ट को दोहराना।
(५) यू० पी० प्राइवेट इर्रीगेशन वर्क्स ऐक्ट को दोहराना।
(६) यू० पी० इर्रीगेशन (इमरजेंसी) (पावर्स) ऐक्ट को दोहराना।
(७) यू० पी० हाई वे बिल बनाना।

(८)--सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और बिजली विभाग की विभिन्न सर्विसों में, जिनकी संख्या ३८ है, की जाने वाली भर्ती के नियमों को दोहराना या उन्हें नये सिरे से बनाना।

अगस्त सन् १९५२ से यह अफसर अपने काम के अलावा वित्त तथा विद्युत् शक्ति मंत्री (Minister for Finance & Power) के पर्सनल असिस्टेंट का भी काम कर रहे हैं।

*१५--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--इस समय तक कितना कार्य इस संबंध में हो चुका है और कितना शेष है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एक नकशा नत्थी है, जिसमें यह दिखाया गया है कि कितना काम हो चुका है और कितना काम बाकी है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १६७ पर)

*१६--श्री नारायण दत्त तिवारी (अनुपस्थित)--इस अधिकारी की क्या विशेष योग्यता है तथा उसका वेतन क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--निर्माण मंत्री के साथ लगभग पांच साल पर्सनल असिस्टेंट का काम करते रहने से इस अफसर को विभागों में, जिस ढंग से काम होता है, उसकी पूरी जानकारी है। वह यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल जिस ढंग से काम हो रहा है, उसमें कौन से नुक्स हैं और किस तरह सुधार करने की जरूरत है। इसके अलावा उस काम के लिये आम तौर से जिस काबिलियत और जह-नियत की जरूरत होती है, वह इनमें है।

इन्हें पर्सनल असिस्टेंट के अपने पहले पद के वेतन-क्रम (Scale of pay) ४७५-४०-६७५ रु० में मिलने वाले वेतन के अलावा २५० रु० प्रतिमास और मिलते हैं। पिछली अगस्त से वे विशेष अधिकारी के कामों के अलावा पर्सनल असिस्टेंट का भी काम कर रहे हैं और उसके लिये इन्हें वेतन के अलावा कुछ नहीं मिलता।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मुनेन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—[२८ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला बुलन्दशहर में झाझर से रबूपूरा जाने वाली सड़क

२—श्री केवल सिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बुलन्दशहर में झाझर से रबूपूरा जाने वाली सड़क जिला बोर्ड को कब और क्यों लौटायी गयी?

श्री गिरधारीलाल—यह सड़क १ अगस्त, १९५२ से जिला बोर्ड को लौटाई गई है। सड़कों के साथ-साथ इनके रखरखाव व मरम्मत के लिये, जो धन बजट में था, वह बोर्ड को ग्रांट-इन-एड के रूप में दे दिया जावेगा क्योंकि यह आशा की जाती है कि बोर्ड पंचायतों तथा स्थानीय लोगों की मदद से यह कार्य कम खर्च में करा सकेगी और साथ ही अन्य आवश्यक कार्यों के लिये रुपया बचा सकेगी।

३—श्री केवल सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि लौटाते समय इस सड़क की क्या हालत थी?

श्री गिरधारी लाल—जिला बोर्ड को लौटाने के पहले इस सड़क पर ओ० डी० आर० यानी कच्ची सड़क के रूप में कार्य पूरा हो गया था।

४—श्री केवल सिंह—क्या सरकार ने इस सड़क की मरम्मत के लिये कोई धन जिला बोर्ड को सहायता रूप में दिया है? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में देने का विचार है?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं। परन्तु निकट भविष्य में ग्रान्ट-इन-एड के रूप में सहायता देने का विचार है।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न १ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन

अध्यक्ष—माननीय रावत जी अपने उत्तर में कुछ परिवर्तन करना चाहते थे?

श्री जगनप्रसाद रावत—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या १ के सिलसिले में यह कहा गया है कि कुमारप्पा जी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। असल में एक रिपोर्ट श्री कुमारप्पा और श्री सुन्दरलाल की है, जिसकी एक नकल श्री सुन्दरलाल की ओर से, प्राप्त हुई है, न कि अलहदा से कोई रिपोर्ट।

विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ दिनों पहिले विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया था उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

अध्यक्ष—इस संबंध में आज तो मैं कोई अनुमति नहीं दूंगा। यद्यपि मुझे अधिकार है कि नियमों की धारा १५३ के अनुसार मैं प्रश्नों और मांगों के अतिरिक्त भी और कुछ कहने की इजाजत दूं लेकिन जब मांगों का सवाल आता है तो मैंने अभी तक यही रवैया रखा है कि उस वक्त कोई और विषय न लूं। क्योंकि एक ही दिन में सब मांगों पर विचार होना है, इसलिये मैं आज उसकी चर्चा नहीं करता हूं। कल मैं इस बात के ऊपर माननीय सदस्य को मौका दूंगा कि वे यह जाहिर करें कि किस प्रकार विशेषाधिकार का सवाल उठता है।

सरकार पर नियम १९ (२) तथा १५३ (२) की उपेक्षा करने का आरोप

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—अध्यक्ष महोदय, मैं विरोधीदल के अधिकारों का प्रश्न उठाना चाहता हूं। नियमावली के नियम १९(२) में यह लिखा हुआ है कि हर मंडे (सोमवार) को नेता सदन यह ऐलान करेंगे कि आगामी हफ्ते में कौन-कौन सा कार्यक्रम लिया जायगा, लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इसकी उपेक्षा की जाती रही है, जिसकी वजह से हम यह निश्चय नहीं कर पाते कि कौन सा विषय लिया जायगा तथा उसके ऊपर बहस करने में दिक्कत होती है।

इसके अतिरिक्त नियमावली के नियम १५३(२) में यह बतलाया गया है कि जब बजट की ग्रांट्स जो उपस्थित की जायंगी उन पर किस तरह से बहस होगी उसके विषय में विरोधीदल के नेता से परामर्श करके नेता सदन समय विभाजन की सूचना सदन के सामने उपस्थित करेंगे। इस संबंध में भी सरकार ने कोई राय विरोधीदल से नहीं ली और अब केवल एक दिन का समय रखा गया है। करीब-करीब २०० कटौती के प्रस्ताव हैं और २२ विभागों का मसला है। इसलिये केवल एक ही दिन में इस सप्ली-मेंटरी बजट के तमाम अनुदानों पर डिस्कशन होना असंभव है। ऐसी सूरत में मैं श्रीमान् का ध्यान नियमों की तरफ दिलाते हुए यह प्रार्थना करता हूं कि इनके लिये कम से कम ४ दिन का समय प्रदान किया जाय।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम)—मैं जनाब के जरिये से हाउस को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हर हफ्ते के शुरू में बराबर हाउस को यह बताया जाता रहा है और मैं खुद खड़ा होकर बतलाता रहा हूं कि इस हफ्ते में फलां काम होने वाला है। इस हफ्ते मैंने इसलिये नहीं बतलाया चूंकि उसकी इत्तला असेम्बली डिपार्टमेंट क जरिये से मेम्बर साहबान को करा दी गयी थी कि अब जो बैठक होगी, उसमें यह काम होगा। इसलिये यह जरूरी नहीं समझा गया कि कल मैं दुबारा उसको रिपीट करता, क्योंकि मेम्बरान को खुद उसका इल्म था। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि विरोधीदल के नेता से मशविरा किया जाना चाहिये था। यह होता है उस वक्त जब कि बजट डिसकस होता है। लेकिन यह सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट जो दरम्यान में आते रहते हैं, उनके लिये वक्त हमेशा गवर्नर मुकर्रर करते आये हैं और यह भी गवर्नर का ही मुकर्रर किया हुआ वक्त है। उसी के साथ यह भी है कि जितनी तादाद है उसके लिये जितना वक्त चाहिये उसके लिहाज से मैं समझता हूं कि इस वक्त ज्यादा वक्त बढ़ाये जाने की कोई जरूरत नहीं है। ४ दिन का वक्त तो पूरा जनरल डिस्कशन जो पूरे बजट का होता है उसके लिये रखा जाता है। तो मेरे खयाल में इसकी कतई जरूरत नहीं है कि और वक्त बढ़ाया जाय। इतना वक्त इसके लिये काफी है, इस पर पूरी तरह से बहस हो सकती है।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो हमारे मित्र श्री रामनारायण जी ने प्रश्न उठाया है वह नियमावली से संबंधित प्रश्न है। अब हमारे माननीय वित्त मंत्री जी क्या समझते हैं और समय-समय-पर क्या कहा करते हैं और क्या करते हैं, इससे संबंधित सवाल नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नियमावली १९ और नियम १४८, १४९, १५०, १५१, १५२ और १५३ व १५४ को भी जोकि सप्लीमेंटरी ग्रांट पेश करने के संबंध में है उन्हें जरा देखें और देखकर समझें कि उन नियमों की पाबन्दी हुई है या नहीं हुई है। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ आपसे अपील करता हूं कि आप उन नियमों को देख कर इस पर अपनी कोई सम्मति दें कि उन नियमों की पाबन्दी हुई है या नहीं हुई है। सरकार की जब जैसी इच्छा होती है, चली जाती है। मैं आपके जरिये सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार किसी नियम में अपने को बांधना चाहती है या जब जिस तरीके से हो, उन नियमों को तोड़-मरोड़ कर, निरंकुश ढंग से अपना मनमाना रूप प्रस्तुत करना चाहती है, इससे बहुत दिक्कत होती है, बड़ी बाधा होती है और हमलोगों को परेशानी भी बढ़ती है तथा उससे इस

[श्री राज नारायण]

सदन की मर्यादा भी भंग होती है। एक नियम बनाया जाय फिर उसे तोड़ा जाय और उसका एक दूसरा रूप खड़ा किया जाय, ऐसा नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं निहायत अदब के साथ आपसे अपील करता हूं कि एक दिन का समय जो रखा जा रहा है, वह बिलकुल ही नाकाफी है, क्योंकि इस सप्लीमेंटरी ग्रांट्स के जरिये कुछ मौलिक सवाल उठते हैं और उन मौलिक सवालों पर अच्छी तरह से विवाद नहीं हो सकता है। इसलिये उसके लिये समय और बढ़ाना चाहिये। मैं आपके जरिये इस सदन से यही अनुरोध करूंगा कि सदन और समय बढ़ाने की बात स्वीकार कर ले, यदि समय नहीं बढ़ता है तो इसके माने मैं यही समझूंगा कि सरकार किसी समय ऐसा अवसर नहीं प्रदान करना चाहती है, जिससे विरोधी पक्ष सरकार की खामियों और त्रुटियों को अच्छी तरह से इस सदन के सामने रखे। मैं समझता हूं कि सरकार को भी दिक्कतें हैं। जहां मस्तिष्क और दिमाग . . .।

अध्यक्ष--आप यहां पर कानूनी मसले के ऊपर ही अपना विचार रखें। यहां उपदेश देने का वक्त नहीं है।

श्री राज नारायण--तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि एक दिन का जो समय है, वह बिलकुल नाकाफी है। इसलिये मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से समय रखने का प्रस्ताव, श्री राम नारायण जी ने किया है, उसी तरह से रख कर सब को अवसर प्रदान करें।

अध्यक्ष---मैं नियम १५३ को पढ़ कर आपको सुना देना चाहता हूं। उसका प्रथम चरण है--

> "१--अनुदानों के लिये मांगों पर ऐसे दिनों में (जो बीस से अधिक नहीं होंगे) प्रत्येक वर्ष १० मई से पूर्व मत लिये जायेंगे, जिनका इस अभिप्राय के लिये अध्यक्ष सभा के नेता से परामर्श करके बंटन करे," यानी वह नियत करे।

इसमें विरोधी पक्ष के नेता का संबंध नहीं आता। शायद वे इस धोके में हों कि नेता से परामर्श करने का मतलब, नेता शब्द से नेता विरोधीदल से है। जो दिन निश्चित किया जाता है, ग्रांट के लिये वह अध्यक्ष की सलाह से, नेता सदन यानी माननीय मुख्य मंत्री जी यह तय करते हैं और जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बतलाया कि वह तय हुआ, आज तक का तरीका यही रहा है। बजट के लिये तो काफी दिन दिये जाते हैं लेकिन अनुपूरक अनुदानों के लिये अनुपूरक अनुदान जैसा हो, उसी के अनुसार दिन दिये जाते हैं। दो दिन उसके लिये हैं, एक दिन आम बहस के लिये, दूसरा दिन ग्रांट्स के लिये। यह तो माननीय सदस्य जानते ही हैं कि यह बहुत छोटा सा, मुख्तसर सा सप्लिमेंटरी ग्रांट्स के लिये है, इसलिये दो दिन काफी समझ कर ही निश्चित किये गये हैं। अब नियम का दूसरा भाग है कि अनुदानों के लिये मांगें ऐसे क्रम से पेश की जायंगी तथा वाद-विवाद उपनियम (१) के अन्तर्गत बंटित काल के भीतर यानी एक रोज के भीतर उतने समय तक जारी रहेगा जैसा कि सदन का नेता विरोधी दल के नेता से परामर्श करके निश्चित करे। मैंने माननीय नेता सदन और माननीय विरोधीदल के नेता से सबसे पहले प्रार्थना इस विषय में की थी कि सदन में आने से पेश्तर इस क्रम को तय कर लें, क्योंकि अगर एक रोज ही विवाद के लिये तय है और सब कटमोशनों पर विचार होना संभव नहीं है, ऐसी अवस्था में रिवाज यह हुआ करता है कि कुछ खास मदें ले ली जाती हैं कि उन पर विचार विनिमय हुआ करे और पहले ही से इसके लिये क्रम निश्चित करके वे सदन के सामने आपस में बातचीत करके ले आया करें और मैं समझता हूं कि जो हमारे चीफ हिप हैं और दूसरे विरोधी दल के हिप्स हैं, वह लोग आपस में बातचीत करके निश्चित करके सदन के सामने प्रस्ताव ले आयें तो मैं समझता हूं कि सदन स्वीकार कर लेगा। अगर उन्होंने यह नहीं किया तो उसमें कोई दोष सरकार का नहीं दिखायी देता। जहां तक कार्यक्रम का संबंध है, उसके बारे में वित्त मंत्री जी ने बताया है कि हफ्ते में बताया जाता है। वैसे इंगलैन्ड में यह रिवाज है कि पहले दिन विरोधी

दल के नेता प्रश्नों के बाद यह पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम होगा। उसके बाद सरकार की तरफ से उत्तर में यह कहा जाता है कि यह कार्यक्रम होगा। लेकिन यहां पर चूंकि नियम में यह लिखा हुआ है कि वह सरकार पेश कर दे, इसलिये सरकार के पेश करने की प्रथा रही है और अगर कोई भूल हो जाय तो मैं समझता हूं कि आपको याद दिला देनी चाहिये और उसके लिये विरोधी दल के नेता ने कभी-कभी याद भी दिलायी है और मुझे इस बात का स्मरण है कि उसका उत्तर सरकार ने दिया है। ऐसी अवस्था में यह कोई महत्व की बात नहीं है और न रूल्स के तोड़ने की बात है बल्कि यह है कि कोई अगर समय से बात न हो पाये और माननीय विरोधी दल के नेता उसकी याद उस रोज दिला दिया करें, तो मैं समझता हूं कि कार्य हो सकता है। और जहां तक इस पहले के कार्यक्रम की बात का सवाल है कि सूचना नहीं थी तो इसकी सूचना पहले से विधान सभा सचिवालय द्वारा दे दी गयी थी कि क्या कार्यक्रम इस हफ्ते में होगा। इसलिये वित्त मंत्री जी ने पहिले दिन उस बात को पेश नहीं किया, इसलिये नियम को भंग करने का कोई प्रश्न उठता नहीं है। अब आज के कार्यक्रम के संबंध में क्या-क्या और किस किस मद को लेना चाहिये, इस विषय में चूंकि पहिले से विचार नहीं हुआ है, इसलिये मैं एक मौका देता हूं, माननीय विरोधी दल के नेता को और और भी जो माननीय सदस्य चाहें तो इस बात का प्रस्ताव कर सकते हैं कि किस-किस मद को आज लिया जाय और बाकी मदों को मामूली तरीके पर पास होकर खत्म किया जाय।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही विनम्र निवेदन किया था मैं अब भी समझता हूं और अपने को असमर्थ पाता हूं कि एक दिन में बहस खत्म हो जाय और उस पर हम अपनी उचित राय भी दे दें।

अध्यक्ष--अब उसमें तो परिवर्तन नहीं हो सकता। वह निश्चित हो चुका और वह नेता सदन और अध्यक्ष ने निश्चित कर दिया। उस पर कोई आक्षेप माननीय विरोधी दल के नेता नहीं कर सकते।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--नियम में गवर्नर महोदय के निश्चित करने की बात है।

अध्यक्ष--नियम के हिसाब से ही तय होकर गवर्नर ने फिक्स कर दिया।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रूल्स में तो स्पीकर शब्द लिखा हुआ है कि स्पीकर निश्चित करेगा।

अध्यक्ष--अब वह तो निश्चित हो चुका है और मैंने उसे निश्चित किया है कि एक ही दिन में तमाम ग्रांट्स समाप्त हो जायेंगे।

श्री राजनारायण--जब आपकी ऐसी रूलिंग होती है तो उसके विरोध में हम उस समय तक के लिये, जब तक इस बजट पर वादविवाद होता है, सदन से बाहर जाने के लिये बाध्य हैं।

अध्यक्ष--जो फैसला हो चुका है, वह अंतिम है। उसमें कोई परिवर्तन करने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। अगर माननीय सदस्य यही उचित समझते हैं कि सदन की कार्यवाही में भाग न लें तो उसके लिये मैं विवश हूं।

श्री राजनारायण--आपने अब अपनी अंतिम रूलिंग दे दी है, तो अब उसके विरोध में हमारा बाहर जाना अनिवार्य है।

(इसके उपरान्त समाजवादी दल के सदस्य और श्री झारखंडे राय सदन से बाहर चले गये।)

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—मैं राजनारायण जी से कहना चाहता हूं..... वह सुनना ही नहीं चाहते।

वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए अनुपूरक मांगों पर मतदान--
अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी

माल मन्त्री(श्री चरण सिंह)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय।

गढ़वाल भावर की सरकारी इलाके में एक दरिया है, जिसका नाम खोह है। वह बरसात में बहुत बढ़ जाती है। उसकी वजह से कुछ गांवों के कटने का अंदेशा हो गया है। राज्य कर्मचारियों का यह मशविरा हुआ कि उसके लिये १८ हजार रुपये खर्च करके इंतजाम किया जाय और जरूरी है कि बरसात से पहिले वह बना दिया जाय तो इसलिये वह रुपया कंटिंजेंसी फंड में से खर्च किया गया। अब केवल सौ रुपये की यह अनुपूरक मांग है और जो १८ हजार रुपये हैं वे जो मुहकमे का बजट है, उससे खर्च किये जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं मांग पेश करता हूं।

श्री रघुवीर सिंह(जिला मेरठ)--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, बजट में जो पानी के बहाव की रोकथाम के लिये जो रकम रखी गयी है, जहां यह मुनासिब है कि गढ़वाल के इलाके में यह रुपया खर्च किया गया है वहां इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से जिले और बहुत सी जगहें एसी हैं जहां गांव के गांव यमुना और गंगा के बहाव से कटे जा रहे हैं और उनकी सारी जमीन खत्म हो गई है। गाजियाबाद तहसील में एक गांव नौरसपुर है। दो-तीन साल से यमुना उस काट रही है। उस गांव के लोगों की तरफ से हुकूमत के पास बहुत से आवेदनपत्र भी आये हैं। उनके पास जोतने के लिये जमीन नहीं रह गयी है। वे बेकार हैं। लेकिन इस वक्त तक हुकूमत ने कोई खास तवज्जह नहीं दी है। उसी तरह से सिताना गांव, जो यमुना नदी के किनारे है। उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा यमुना से कट गया है और वहां के बहुत से किसान बेकार हो गये हैं। मकदूमपुर जो गंगा के किनारे है। वहां काफी जमीन पर काश्त होती थी। काफी बड़ा गांव है। इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा बहाव से कट गया है। लेकिन उसकी रोकथाम के लिये कोई तवज्जह नहीं दी गयी है। वैसे भी यह रकम इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन जहां तक बहाव के रोकने का ताल्लुक है गंगा और जमुना के बहाव से जो गांव कट गये हैं उनके बारे में कोई खास तवज्जह नहीं दी गयी है। इसलिये अच्छा होता, अगर इस बजट में यह एक आइटम रखा जाता कि जो गांव गंगा और यमुना के बहाव से कट रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिये भी कुछ प्रबंध किया जाता। मैं इसके लिये सिर्फ इतना ही सुझाव देना चाहता हूं।

श्री चरण सिंह--जिस जगह भी जरूरत हो बाढ़ से गांव की रक्षा करने की, या लोगों की पीड़ा को हरने की, वहां रुपया खर्च होना चाहिये, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह आम प्रश्न तो इस वक्त कहां तक उठाया जा सकता है, यह मेरी समझ में आता नहीं है। सिर्फ देखना यह है कि यह सौ रुपये की मांग उचित है या नहीं, और मैं समझता हूं कि इस सिलसिले में दो ओपीनियन नहीं हो सकतीं।

अध्यक्ष--क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

श्री रघुवीर सिंह--वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २--लेखा शीर्षक ७--मालगुजारी के अन्तगत १०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ९--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर)

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य (स्थापना व्यय को छोड़ कर), लेखा शीर्षक-१७, १८, और १९--ख के अन्तर्गत १,३१,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग हमने उपस्थित की है और भवन से प्रार्थना की है उसे स्वीकार करने के लिये उसका विवरण--जो बजट संबंधी साहित्य वितरित किया गया है, उसके वाल्यूम १ में है। उसके देखने से स्पष्ट हो जायगा कि वह कार्य ऐसे हैं जो पूरे हो चुके हैं और ऐसे कार्य भी हैं कि जिनके संबंध में साधारण वाद-विवाद के समय जो बजट पेश हुआ था तो उनकी ओर संकेत कर दिया गया था। इसमें आदरणीय सदस्यगण देखेंगे तो एक रकम तो मांगी गयी है, शारदा नहर के किनारे जो सुरई और माला के बन्धे बनाये जा रहे हैं, उनके संबंध में सर्व के लिये और एक टेस्ट रिजर्वायर बनाने के लिये ७३ हजार रुपये की रकम मांगी गयी है। यह कार्य करीब-करीब हो चुका है। सर्वे का काम बहुत कुछ हो चुका है और कांटिजेंसी फंड से उसमें रुपया भी ले लिया गया, क्योंकि सरकार को पहिले ही इस कार्य को करना था। उसी में एक माला का पावर हाउस बनाने की स्कीम है। जिसके संबंध में भी सर्वे कराया गया है। ७३ हजार की वह मांग है और दूसरी २५ हजार रुपये की मांग है गोंडा, बहराइच और बस्ती जिलों के सर्वे के संबंध में। वहां तो छोटी-छोटी स्कीमें सिंचाई की चलाई जाने वाली हैं, उनके लिये २५ हजार रुपया है। ५८ हजार रुपये की एक और मांग मुरादाबाद जिले में, हसनपुर तहसील के टिगरी गांव को बाढ़ से बचाने के लिये। गढ़मुक्तेश्वर की ओर जो गंगा की धारा है, वह बायीं ओर खिसकती चली जा रही है, जिससे टिगरी का यह गांव और इलाका गंगा के पानी से कट जाने के खतरे में पहुंच चुका है और वहां गंगा की बाढ़ से सुरक्षा प्राप्त करने के लिये एक समिति बनी हुई है, जिसने इस संबंध में सरकार से बहुत कुछ अनुनय-विनय की कि इस गांव को बचाने की चेष्टा की जाय। उसमें ५८,५०० रु० की मांग की गयी है।

मैं समझता हूं कि ये ऐसी मांगे हैं कि जिन्हें यह भवन स्वीकार करेगा।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान संख्या ९ के विरोध में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है बल्कि इन कार्यों के लिये मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

अध्यक्ष--आप कटौती का प्रस्ताव तो पेश करें और पेश करने के बाद तब अपना भाषण आरम्भ करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--पिछली मर्तबा यह नियम नहीं था, इसलिये मुझसे यह गलती हुई ।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य इस पूरक अनुदान के सम्बन्ध में आलोचना करना और सुझाव देना है।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस विषय पर मुझे अधिक नहीं कहना है, परन्तु इतना कहना परमावश्यक प्रतीत होता है कि ३१,५०० रु० जो सुरई और माला जलाशयों के सम्बन्ध में जांच, पैमाइश और सर्वे के लिये मांगा गया है, मैं यह समझता हूं कि यह कुछ अधिक ही है। अगर किसी वजह से इस पर पूर्णरूप से नियन्त्रण न रखा गया तो यह भी अन्देशा हो सकता है कि इस रकम का दुरुपयोग किया जाय।

अब गोंडा, बहराइच और बस्ती के पूर्वी जिलों के अभाव-ग्रस्त होने के सम्बन्ध में जो यह कहा गया है कि दस हजार रुपये की जरूरत है, इस बात के लिये कि कुछ पैमाइश की जाय और यह पता लगाया जाय कि सिंचाई के लिये कौन-सी सुविधायें प्राप्त की जा सकती हैं।

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्त्ति)—अध्यक्ष महोदय, हमारे सदस्य महोदय ऐसा बोले कि हम सब लोग समझ लें। वे इस तरह से बोल रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मुसीबत यह है कि जो यह आप बोल रहे है, वह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। किस का दोष है, यह भगवान जाने। समथिंग इज रांग विथ दि लाउड स्पीकर।

अध्यक्ष—माननीय उप-मन्त्री जी जरा इधर मुंह करके बैठें ताकि मुंह सामने हो जाय और ठीक सुनाई दे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—गोंडा, बहराइच और बस्ती के बारे में माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें कहा गया है कि बन्धियाँ, नहरें आदि के लिये उपयुक्त स्थल ढूंढने के लिये जांच-पड़ताल की जाय, मैं यह समझता हूं कि ऐसे मौक पर ट्यूबवेल्स बहुत ही लाभप्रद हो सकते हैं। नहरों में काफी वक्त लगता है और ट्यूबवेल्स ऐसी चीज है, जिससे पानी की जरूरत बहुत जल्द पूरी की जा सकती है। अगर आप के पास एलेक्ट्रिक पावर भी न हो तब भी आप आयल इंजिन के जरिये पानी दे सकते हैं।

जो मुरादाबाद जिले में एक ग्राम की रक्षा की बात आप कर रहे हैं, उसके लिये मैं यह समझता हूं कि जितना रुपया आप खर्च कर रहे ह, वह बहुत ही ठीक है। यह आवश्यक था कि ऐसे लोगों को कोई ऐसी क्षति न पहुंचने पावे जो भविष्य में चल कर सरकार के ऊपर एक भार हो जाय और जो अन्त में बहुत ही दुखदायी प्रतीत हो।

इन शब्दों के साथ मैं आप के द्वारा माननीय मन्त्री जी को बतला देना चाहता हूं कि मुझे कोई विरोध नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि जो रुपया खर्च किया जाय उसके ऊपर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहे और उस धन का दुरुपयोग न होने पाये।

श्री कमलापति त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य की बातें सुनीं। मैं समझता हूं कि विभाग में जो रुपया खर्च किया जाता है, उस पर सरकार का खासा नियन्त्रण होता ही है। उसी के नियन्त्रण में वह पैसा खर्च होता है और यह देखा जाता है कि एक-एक पैसा का सदुपयोग हो, किसी प्रकार वह व्यर्थ और नष्ट न हो। जहां तक माला और सुरई रिजर्वायर की बात है, उसकी शायद हमारे माननीय सदस्य को अधिक जानकारी न हो। यह तो ऐसी योजना है कि जिस पर हमारे प्रदेश के पूर्वी भू-भाग का बहुत सा भविष्य निभर करता है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुझे तो ऐसा लगा कि माननीय सदस्य का यह ख्याल है कि इस योजना पर व्यर्थ पैसा खर्च किया जा रहा है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—आप समझ नहीं पाये, मैं गोंडा, बस्ती और बहराइच के लिये कह रहा था, जहां पर नहरों के लिये कोशिश की जा रही है, वहां पर अगर आप ट्यूब वेल्स का इन्तजाम करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री कमलापति त्रिपाठी—वह ठीक है। यदि सुरई और माला के रिजर्वायर के संबन्ध में आपको कोई आपत्ति नहीं है तो यह आपकी कृपा है। वास्तव में वह एक बहुत बड़ी योजना है, जिसकी संभावनायें बहुत हैं और जिनसे हमारे पूर्वी भू-भाग के जीवन का बहुत बड़ा सम्बन्ध है। यदि शारदा के जल को हम ले सकें तो वही शारदा ही एक मात्र नहर हमारे मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को बहुत दूर तक जल दे सकती है और उसमें जल की वृद्धि के लिये ही यह योजना है। उसमें पावर की भी योजना है। हमारी तो यही कामना है कि हमारा जो सर्वे हो रहा है, उसका परिणाम कुछ संतोषजनक निकले ताकि हमारे लिये यह संभव हो कि हम इन बन्धों को बना सकें। इसमें जो थोड़ी सी रकम रखी गयी है, वह तो केवल उसकी आरम्भिक जांच के लिये रखी गयी है कि आया इस प्रकार की बन्धे बनाना इन्जीनियरिंग शास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त होगा अथवा नहीं होगा।

जहां तक गोंडा, बहराइच और बस्ती की बात है, वहां यदि ट्यूबवेल्स भी बनाने हों तो किसी न किसी प्रकार का सर्वे तो करना ही होगा। ट्यूबवेल्स के लिये भी आपको साईट देखनी पड़ती है कि कौनसा क्षेत्र ऐसा है, जहां ट्यूबवेल आसानी से बन सकता है क्योंकि भूमि का जो स्तर होता है उसे देखना ही पड़ता है। पाम्पिंग करके यह देखना पड़ता है कि नीचे किस प्रकार की मिट्टी मिल रही है, कितना पानी हमको मिल सकता है, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पहले ट्यूब वेल बन सकता है। इन तमाम दृष्टियों से सर्वे करना ही पड़ता है। हमने पिछले बजट के समय में यह निश्चय किया था कि हम पूर्वी जिलों का पूरा सर्वे करेंगे, ट्यूब वेल्स की दृष्टि से और छोटी-छोटी जो सिंचाई की योजनाएं हैं उनको चलाने की दृष्टि से भी, जहां बन्ध हम नहीं बना सकते हैं वहां ट्यूब वेल्स के जरिये से, यह सारा काम बिना सर्वे के नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पूर्वी विभाग का कोई सर्वे अभी तक नहीं हुआ है। गोंडा, बहराइच और बस्ती में भी ऐसी योजनाओं को चलाने के लिये सिंचाई के साधनों को उपस्थित करने के लिये यह सर्वे कराया जा रहा है। कई योजनायें भी सरकार के सामने हैं। सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है और उसकी कुछ रिपोर्ट भी सरकार के सामने आ चुकी है जिन पर स्वीकृति की राह देखी जा रही है। उसी के सम्बन्ध में यह खर्च है जिसके लिये आपकी स्वीकृति मांगी जा रही है। जो तीसरी बात है वह तो है ही। आपकी आज्ञा से मैं माननीय सदस्य से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और इसे स्वीकार करें।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—मैं वापस लेने के लिये तैयार हूं। मुझे थोड़ी सी शिकायत यह है कि माननीय मन्त्री जी या तो माईक्रोफोन की वजह से या मेरी आवाज की वजह से समझ नहीं पाये, इसलिये जो जवाब दिया वह समुचित नहीं था। परन्तु मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य (स्थापना व्यय को छोड़कर)--लेखा शीर्षक १७, १८ और १९-ख के अन्तर्गत १,३१,९०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या १०--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८--सिंचाई और जल विद्युत स्थापना पर व्यय

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--श्रीमन्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०--सिंचाई और जल विद्युत स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक १७,१८,१९ और ६८ के अन्तर्गत ४०० रुपयों की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

महोदय, यह ग्रांट नम्बर १० है, इसमें जो मांग की गई है वह एक प्रकार से सांकेतिक सी मांग है। इसलिये तीन-चार आइटम्स को मिला कर ४०० रुपये की मांग की गई है। एक तो यह कि बिजनौर जिले में प्रदर्शिनी हुई थी उस में इर्रीगेशन डिपार्टमेंट की ओर से कुछ माडल्स सड़क, भवन तथा विद्युत के प्रचार के लिये भेजे गये थे। इन सामान के भेजने में जो खर्चा हुआ है, उसे सदन द्वारा स्वीकार कराने के लिये यह एक सांकेतिक मांग रखी गयी है। दूसरी यह कि एक श्री जयकृष्ण हैं उनको लंदन यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग शिक्षा के लिये रुड़की यूनिवर्सिटी की ओर से भेजा गया है। वह गवर्नमेंट सर्विस में हैं। उन्होंने स्टडी लीव के लिये प्रार्थना की थी तो उनको २४ महीने की स्टडी लीव दी गई है उनके खर्चे की मांग है। तीसरी मांग यह है कि गोंडा, बहराइच और बस्ती के लिये जो सर्वे की मांग की गई थी उसके स्टैब्लिशमेंट चार्जेज के लिये है। वैसे वह साधारण बजट से मीट किया जायगा लेकिन यह आवश्यक है कि उन कामों के लिये जो बाकायदा चल रहे हैं सांकेतिक मांग हो और मैं आपके द्वारा सदन से प्रार्थना करता हूं कि यह मांग स्वीकार की जाय।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, यह कटौती का प्रस्ताव जो है उसका आशय...

अध्यक्ष--पेश तो करिये प्रस्ताव।

श्री रामस्वरूप गुप्त--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १० के अन्तर्गत जो मांग है उसमें ५ रुपये की कटौती....

अध्यक्ष--आपका लिखित प्रस्ताव तो एक रुपये का कम का है। कृपया कार्यक्रम देख लीजिए।

श्री रामस्वरूप गुप्त--अच्छी बात है। मैं एक रुपये की कटौती से संतुष्ट हुआ जाता हूं। आशय तो यह है कि यह जो सांकेतिक मांग है, वैसे तो ४०० रुपये की दिखायी देती है, लेकिन असल में ११,००० रुपये की मांग एक है और ३ २०० रुपये की दूसरी मांग है। कुल १४,२०० रुपये की मांग है। इसमें ३,२०० रुपये की मांग के संबन्ध में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह तो शिक्षा के लिये है और वह शिक्षा और अन्वेषण का कार्य बहुत ही जरूरी है। इसलिये इसमें ३,२०० रुपये का खर्चा अधिक नहीं मालूम होता है? लेकिन ११,००० रुपये का जो खर्चा बिजनौर जिले की प्रदर्शिनी के सम्बन्ध में किया गया है, उसमें ५००० रुपये सिंचाई के प्रदर्शन में ५,००० रुपये विद्युत के प्रचार के लिये १,००० रुपया सड़क तथा भवन सम्बन्धी प्रदर्शन के लिये खर्च कर किया गया है। अगर यह सिंचाई और विद्युत का प्रदर्शन उन कामों को करके दिखाया गया है, तो मैं समझता हूं कि बिजनौर जिले के निवासी प्रदर्शिनी में आकर देखेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे अपने गांव में विद्युत शक्ति और ट्यूबवेल्स से जो सिंचाई होती है उसको बराबर देखते हैं और अगर उसमें प्रदर्शन इस बात का नहीं था कि कैसे विद्युत शक्ति काम करती है और कैसे ट्यूबवेल्स से सिंचाई होती है, सिर्फ कुछ नमूने थे तो १० हजार रुपया उसमें खर्च नहीं हो सकता। दोनों तरह से जिला प्रदर्शिनी में जहां पर कि लोग उससे परिचित हों कि कैसे सिंचाई होती है और कैसे बिजली बनती है और उसमें १० हजार रुपया खर्च कर देना, कुछ मुझे अपव्यय सा मालूम होता है। इसलिये मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मन्त्री का, क्योंकि इस वक्त बहुत सा हमारा अपव्यय हो रहा है और उसमें हमको बहुत अधिक नियन्त्रण की आवश्यकता है। इसमें गोंडा-बहराइच में सर्वे का खर्चा भी शामिल किया गया है कि वहां पर जांच होगी और

उसमें इतने हजार रुपया व्यय किया जायगा। वह खर्चा भी मुझे कुछ अधिक लगता है। इसलिये मेरा कटौती का मन्शा केवल यह है कि आज जब हम जनता से टैक्स मांगने जा रहे हैं और अपने सारे निर्माण कार्य करने जा रहे हैं तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक खर्च पर अपना पूरा ध्यान रखें और किसी तरह से भी अपव्यय न हो।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--जनाबवाला, मैं वह मन्त्री हूं, जिसने इस नुमायश के लिये यहां से यह सामान भेजा था। मेरे दोस्त ने यह समझा कि वहां पर एक ट्यूब वेल खड़ा हो उससे किस तरह से सिंचाई होती है यह दिखाने के लिये वह भेज दिया। यह बात नहीं बल्कि यह चीज जो दिखायी गई, वह मुनासिब चीज थी और कई जगहों पर पब्लिसिटी के गरज से दिखायी गई। मेरे नजदीक इस तरह की चीजों को मुख्तलिफ जगहों पर इस सूबे में दिखलाना जरूरी है। जितने पावर हाउस बन रहे हैं या जितने डैलफ बन रहे हैं और उनमें जो काम हो रहा है, उनके माडल्स वहां मौके पर बनाये गये अम्स दिखाये गये। यह पहले बने हुए नहीं थे जो उनको ले जाकर दिखा दिया जाता, बल्कि इन्हीं तो मौके पर बनाया और दिखाया गया कि इस तरीके से वहां पर काम होगा। वह सब काम करको पब्लिक को वहां पर दिखाया गया कि इस तरह से पानी से बिजली बनती है और इस तरह से डाके बनकर उससे आबपाशी होती है। यह सब वर्किंग पब्लिक को एजूकेट करने के लिये वहां पम बना कर दिखाया गया। जैसा मेरे दोस्त ने कहा यह बात नहीं है कि सिंचाई या बिजली उनकोर दिखायी गयी हो। जो लोग इससे वाकिफयत नहीं रखते हैं, उनको इस चीज को दिखाया गया ताकि पब्लिक का दिमाग इन चीजों से वाकिफ हो जाय कि वहां पर यह काम इस त रह से किया जाता है। मुख्तलिफ नुमायशों में इस काम को दिखाया गया और आगे भी इस तरह के काम को दिखाना मुनासिब समझा जायगा, क्योंकि इससे पब्लिक एजूकेट होती है। मेरे दोस्त ने इसको जिस नजर से देखा उस नजर से यह चीज देखने के काबिल नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमारे माननीय सदस्य का उत्तर दे दिया है। अब मुझे कुछ विशेष उसमें नहीं कहना है। केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रदर्शनी में हमारे विभाग के प्रदर्शन के योग्य गये हुए सामानों के खर्च पर एतराज किया है। जैसा कि वित्त मन्त्री जी ने कहा, मेरी खुद ऐसी धारणा है कि यह बहुत उचित खर्च हुआ है और मैं समझता हूं कि इस आदरणीय सदन की आज्ञा होनी चाहिए कि हम इस प्रकार की प्रदर्शनी यथासंभव प्रदेश के दूसरे भागों में दिखला सकें। एक ओर तो कहा जाता है कि विभाग क्या काम कर रहा है और उसमें क्या हो रहा है और कौन-कौन सी नई योजनायें चल रही हैं, इसकी जानकारी जनता को नहीं होती और दूसरी ओर यदि इस तरह का खर्च किया जाय तो उसे अपव्यय समझा जाय तो यह बात समझ में नहीं आती। अभी हाल में इन्दौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस अवसर पर वहां की सरकार की ओर से वहां की जो चम्बल की योजना है, उसके माडल लगाये गये थे, वह बहुत प्रभाव पूर्ण थी और उससे इतना ज्ञान सम्बर्धन हो रहा था कि वहां किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है। वह एक आवश्यक खर्च था कि इस प्रकार के माडल, फिल्म और चित्र आदि ऐसे अवसरों पर प्रदेश में दिखलाये जायें तो इससे लोगों में एक डेवलपमेन्ट माइन्डेडनेस पैदा होती है कि आज हमारे यहां क्या हो रहा है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इसी खच के लिये नहीं अन्यथा इस बात की अनुमति दे कि जब कभी भी जहां लोगों का जमाव हो, हमें यह दिखलाने के लिये कि क्या काम हो रहे हैं और किस तरह से इंजीनियरिंग फीट्स चल रहे हैं और कितना महान आयोजन हो रहा है, अगर इस तरह के सामान दिखलाये जा सकें तो उनका प्रबन्ध करें। सदस्यों को ध्यान होगा कि इसी भवन में रेहन्ड योजना के माडल भी एक बार लगाये गये थे। इस प्रकार की चीजों को प्रदर्शनी दिखलाना तो हमेशा लाभप्रद ही होगा, बल्कि मैं तो कहूंगा कि योजनाओं की सफलता के लिये यह चीज आवश्यक है।

जहां तक सर्वे के सम्बन्ध में कहा गया उसको सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि बिना सर्वे के कोई काम करना सम्भव नहीं है। सर्वे में स्टाफ, सामान और महीनों का समय

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लगता है और तरह तरह के खर्च होते हैं। अगर बिना सर्वे के काम किया जाय तो हम चाहे आरम्भिक खर्च भले बचा लें, लेकिन उससे बाद में और अधिक हानि की संभावना होती है जैसे कि अंग्रेजी की कहावत है पेनी वाईज एन्ड पाउन्ड फुलिश। शुरू में हम पांच हजार रुपया भले ही बच जाय लेकिन बाद में यदि मालूम हो कि यह योजना उपयुक्त नहीं है और चल नहीं सकती या उससे उतना लाभ नहीं हो सकता जितना होना चाहिए तो उससे और भी अधिक हानि की संभावना रहती है। इसलिये सर्वे तो बहुत ही आवश्यक चीज है। परन्तु यदि सदन इस बात का ध्यान रखे और सरकार का ध्यान विभाग के व्यर्थ खर्च होने वाले खर्चे की ओर दिलाता रहे तो मैं उसका कृतज्ञ होऊंगा। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी खर्चा हो, उसका सदुपयोग हो। सरकार की ओर से भी इस बात की चेष्टा की जाती है कि माननीय सदस्यों का सहयोग रहे और उनका ध्यान यदि कोई अपव्यय होता है तो उसकी ओर रहना चाहिए और उसको रोकने की चेष्टा उनकी ओर से होनी चाहिए।

श्री रामस्वरूप गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना इस कटौती के प्रस्ताव के उत्तर में मुझे माननीय वित्त मन्त्री जी से और सूचना मन्त्री जी से मिली है उसके सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि सर्वे न होना चाहिए। सर्वे होना तो आवश्यक है और मैं जानता हूं कि कोई भी ऐसा काम करना हो तो उसके लिये पहले से सर्वे करना होता है और बिना सर्वे के कुछ काम करने के लिये कहना यह एक बेवकूफी की बात होगी। सर्वे का कोई भवन का सदस्य विरोध नहीं करेगा। मैं तो यह कह रहा था कि सर्वे में अधिक खर्चा हुआ है। ३५ हजार रुपया सर्वे में खर्च किया गया है जो मुझे अधिक मालूम होता है। जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं कहा कि विभागों में जो खर्चा होता है उस पर कड़े से कड़ा नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है उसी दृष्टि से मैंने भी यह बात कही थी।

माननीय वित्त मन्त्री जी ने बताया कि हम इस प्रकार के प्रदर्शनों से जनता को समझा सकते हैं कि इन चीजों से किस प्रकार लाभ हो सकता है जिससे दूसरे जिले के लोग भी उसको करने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। बात यह है कि जहाँ पर विद्युत के काम हो रहे हैं वहाँ पर ये प्रदर्शन भी किये जाते हैं और जहाँ पर काम नहीं हो रहे है वहाँ कोई प्रदर्शन नहीं किये जाते हैं। अगर वहाँ पर, जहाँ काम नहीं हो रहे हैं ये प्रदर्शन किए जाएं तो वहां के लोगों को कुछ शिक्षा भी मिले लेकिन जिन जिलों में यह काम हो रहे हैं और जहाँ कि जनता स्वयं उन कामों पर जाकर उनको देख सकती है वहाँ पर उन बातों को दिखाया जाता है। इसलिये मेरा कहना यह है कि ये प्रदर्शन उन स्थानों में होना चाहिए जहाँ ये काम चालू नहीं हैं। इस कटौती के प्रस्ताव पर वोट लेने का मेरा उद्देश्य नहीं है, इसलिये मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया)

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—सिंचाई और जल-विद्युत् स्थापना पर व्यय—लेखा शीर्षक १७, १८, १९ और ६८ के अन्तर्गत ४०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या ११—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय

योजना उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)—श्रीमान्, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,०७,५०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

इस माँग में दो आइटम्स हैं। एक तो दाखल शफा में टेलीफोन एक्सचेन्ज का, जिस पर ७,५०० रुपया व्यय हो रहा है तथा दूसरा लोकल बाडीज के चुनाव के सिलसिले का, जिसमें २ लाख

रुपये का है, मैं समझता हूं कि इन दोनों मांगों पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्यगण उनके बारे में स्वयं समझते हैं। इसलिये मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि यह दोनों मांगें स्वीकार की जायं।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)--श्रीमान्, अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अनुदान संख्या ११ के अधीन १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं। कटौती का प्रस्ताव पेश करने का मेरा उद्देश्य है विभाग की नीति पर बहस करना।

श्रीमान्, सबसे पहले इस अनुदान के अन्दर जो एक मद आती है वह दारुलशफा कौंसिलर्स रेजीडेन्स के लिये एक टेलीफोन एक्सचेन्ज की है। यह मांग ७५,००० रुपये की है। मैं इस मांग का विरोध दो वजूहात से करता हूं। एक तो यह कि जब मैंने एक्सचेन्ज के ऊपर देखा तो मैंने उसके ऊपर यह अल्फाज लिखे हुए पाये।

यह अंग्रेजी में लिखा हुआ है इसलिये मैं आपकी आज्ञा से अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहता हूं। "open on 22-5-52" श्रीमान्, इसका माने यह हुआ कि यह दारुलशफा एक्सचेंज २० मई ५२ को पूरा होकर खोला गया है। उसके बाद इस सदन के सामने जुलाई का पूरा बजट आया और हमारे विभाग के लोग इस बात को कंटेम्पलेट नहीं कर पाये कि वह रकम पहले खर्च हो चुकी है और उसको उन्होंने कंटेम्पलेट किया। अब आकर इस सितम्बर और अक्तूबर के महीने में, यह सप्लीमेंटरी बजट पेश करते वक्त यह इस तरह से खर्च करके और फिर उसको मेन बजट में न लाकर, जब कि काफी समय मौजूद था उसको दिखलाया सप्लीमेंटरी बजट में जो कि एक खतरनाक लक्षण की निशानी है।

दूसरी बात जिसकी वजह से मैं इसका विरोध करना चाहता हूं वह यह है कि जिन आदमियों के हाथ में, जिन कार्यकर्त्ताओं के हाथ में, जिन कर्मचारियों के हाथ में इसका संचालन है उनका रवैया ऐसा है जो कि बहुत की टिप्पणी के लिये खुला हुआ है। श्रीमान्, मैं आपके जरिये से वहां के जो ऐसे अफसर हैं उनके मुताल्लिक, जो कुछ उनके कारनामे हैं वह [illegible] के सामने रखना चाहता हूं। इस विभाग के, खासतौर से जो गवर्नमेंट स्टेट विभाग है उसके कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अपने फरायज को नहीं जानते और जिन्होंने सरकारी कानून का हर कदम कदम पर उल्लंघन किया है। इसमें एक अफसर ऐसे हैं जिन्होंने २० जून, सन् ५२ को एक गश्ती चिट्ठी बहुत से माननीय सदस्यों के पास भेजी जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि उनका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जो कौंसिलर्स रेजिडेंस में ठहरा हुआ हो उससे वे रेजिडेंस खाली करा लें। तो श्रीमन्, सबसे पहले मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि वह चिट्ठी २० जून, सन् १९५२ को भेजी गयी और उसकी तकमील मांगी गयी २७ जून, सन् १९५२ तक।

अध्यक्ष--यह तो इससे सम्बन्धित नहीं मालूम होता।

श्री भगवान सहाय--यह दारुलशफा से सम्बन्धित है, श्रीमन्।

अध्यक्ष--लेकिन जो खर्चा है वह तो टेलीफोन के बारे में है।

श्री भगवान सहाय--तो टेलीफोन के लिये मैं कह रहा था कि जब ऐसे अफसर लोग वहां मौजूद हैं तो फिर हम कैसे सदन से उसके खर्चे के लिये सिफारिश करें जो कि अपने फरायज को ही नहीं जानते कि उन्हें करना क्या है और किस तरीके से उन्हें पूरा किया जाय।

मैं आपकी आज्ञा से यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि हमारे प्रान्त में बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां चिट्ठी एक महीने से पहले नहीं पहुंच सकती है, खासकर पर्वती इलाकों में। बहरहाल, देहातों में भी ७, ८ दिन से पहले चिट्ठी नहीं पहुंचती। जब माननीय सदस्यों के पास वह चिट्ठी ७-८ दिन से पहले नहीं पहुंच सकी तो फिर ७ दिन जो उस चिट्ठी के तकमील के लिये दिया गया था वह कहां तक उचित कहा जा सकता है। सबसे बड़ी शिकायत हमारी यह है कि दारुलशफा एक्सचेंज जिसके लिये धन हमसे मांगा जा रहा है उसके अफसर ने इस बात को नहीं देखा कि जो

[श्री भगवान सहाय]

चिट्ठी जा रही है वह सही है या गलत है। उस चिट्ठी में उन्होंने पहली चिट्ठी का भी हवाला दिया है और कहा है कि यह चिट्ठी हमने आपके पास भेजी और आपने इस पर कोई गौर नहीं किया। तो श्रीमान्, आपकी आज्ञा से उसके बारे में मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं। श्रीमान्, पहली चिट्ठी जिसका उन्होंने हवाला दिया वह थी (आई ६८२ जी० ओ० २१३/१९५२, तारीख १५ मार्च, १९५२) और दूसरी चिट्ठी जिसका हवाला उन्होंने दिया वह थी (आई ७७६, जी० ओ० २१३/१९५२, मुअर्रिखे २२ मार्च, १९५२) तो श्रीमान् मुझे अर्ज करना है कि उस समय सदन के लिये सदस्य आये भी नहीं थे और जिस चिट्ठी का जिक्र किया गया है वह पुराने सदस्यों के सामने भेजा जाना सही था, क्योंकि नय सदस्य तब तक आये नहीं थे और नये सदस्यों के सामने भेजना हाइएस्ट टाइप आफ इर्रीस्पांसिबिलिटी का इजहार करता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसमें उन्होंने यह कहा कि आप इन कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। मैंने श्रीमान्, कानूनों को बहुत गौर से देखा और वह कानून जो १५ मई, १९५२ से काउन्सिलर्स रेजीडेंस के मुताल्लिक लागू हैं उनमें मैंने इस विषय को कहीं नहीं पाया है। यह तो सवाल ही नहीं है कि मेहमान रह सकता है या नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इससे साफ जाहिर होता है कि उन आफिसर साहब ने न तो उन कानूनों को पढ़ा था न चिट्ठी देते वक्त यह देखा कि किसको चिट्ठी भेजी जाय और किसको नहीं! ऐसे गैरजिम्मेदार आदमियों के जमाने में जिनके अधीन यह दारुल-शफा है, हमसे कहा जाय कि एक लाख ३१ हजार रुपया दे दो तो हमें खतरा मालूम होता है और इसलिये मालूम होता है कि हम पब्लिक को इस बात के लिये जवाब देने के जिम्मेदार हैं कि जो रुपया पब्लिक ने हमें दिया है और जिसको हम बजट की शक्ल में मंजूर करते हैं उनका सही इस्तेमाल होता है या नहीं और ऐसे अफसरों के अधीन तो हमें ज्यादा से ज्यादा खतरा मालूम होता है कि पब्लिक का रुपया सही इस्तेमाल नहीं होगा और श्रीमान् इसी वजह से मैंने इस कटौती के प्रस्ताव को पेश किया था। एक बात और कह कर मैं समाप्त करूंगा कि यह चिट्ठी जिसका हवाला मैंने दिया, उन अफसर साहब ने उन मेहमानों को भी भेजी, जो वहां रह रहे थे। मेम्बर्स को चिट्ठियां भेजने के और उनको काफी आगाह करने के पहले उन मेहमानों को चिट्ठियां भेजना कितनी गैर-जिम्मेदारी है यह माननीय सदस्य खुद ही समझ लें और अगर मैं यह कह दूं तो गलत नहीं होगा कि वह आफिसर साहब यह समझते हैं कि बहुत ऊंची-ऊंची जगहों पर जाकर वह अपनी गैर-जिम्मेदारी जिस हद तक चाहें, बरत लें, उनका कुछ हो नहीं सकता। उनकी मोटर को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का सवाल इस सदन के सामने पहले भी आ चुका है।

अध्यक्ष---जो विषय सामने है उसके साथ सम्बन्ध भाषण का नहीं है।

श्री भगवान सहाय---तो श्रीमन्, जो वजूहात मैंने दिए उनकी बिना पर मैं यह मांग करता हूं कि मन्त्री जी इस डिमान्ड को विदड्रा कर लें और या ऐसे अफसरों के हाथ से उन चीजों को निकाल लें ताकि पब्लिक के रुपये का इस्तेमाल सही तरीके से हो सके।

वित्त मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---जनाब वाला, मुझे इस बात का अफसोस है कि जिन दोस्त ने अभी यह प्रस्ताव पेश किया, उनका दिल दुखा हुआ है। ऐसा होता है कि कभी-कभी गलतफहमियों से गलत बातों से भी आदमियों का दिल दुख जाता है।

मगर उन्होंने जो तकरीर फरमायी उस वक्त उससे मुझे यह महसूस हुआ कि किसी वजह से भी सही, लेकिन उनके दिल में कुछ दर्द है। और इसलिए जो वह कहते हैं..

श्री भगवान सहाय---यह तो उसूल का सवाल है। इसमें जाती सवाल क्या है?

अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं। बोलने वाले माननीय सदस्य जबतक स्वयं बैठ जाकर इजाजत न दें, आप प्रश्न नहीं कर सकते।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसूल का सवाल खुद उस बात से, जो मैं कहूंगा, निकल आयेगा। अभी जरा सुनते रहिये।

तो मैं अर्ज कर रहा था कि उनकी तबियत में एक खास असर है और वह कम से कम मेरे लिए ऐसी चीज है कि मैं खुद अपनी जगह महसूस करूं और इस बात की इज्जत करूं कि मेरे किसी भाई, किसी दोस्त या इस सदन के किसी मेम्बर को किसी वजह से भी कोई अहसास हो तो उस अहसास के मुताल्लिक यह कोशिश होनी चाहिए कि उनका वह अहसास न रहे और अगर उनको कोई तकलीफ है तो वह दूर हो जाय। मुझे शिकायत नहीं होती लेकिन एक बात आखिर में उन्होंने कह कर थोड़ी सी शिकायत पैदा कर दी है। लेकिन मैं उनसे शिकायत करता नहीं कि उन्होंने जिस बात की इस वक्त इस ऐवान में शिकायत की, मेम्बर होने की हैसियत से या यहां की पब्लिक के सिम्पैथाइजर होने की हैसियत से उन्हें जरा उस बात को गवर्नमेंट की नोटिस में लाना जरूरी था कि अगर उनको किसी वजह से यह मुनासिब नहीं मालूम होता था कि वह मुझसे कहें तो मुझसे बड़े भी यहां मौजूद हैं उनसे वह कह सकते थे कि साहब इस किस्म का अमल यहां पर हो रहा है। मुझ को इस अम्र की, जिसकी उन्होंने शिकायत की, कोई इत्तिला नहीं थी कि वह चिट्ठी क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसके खिलाफ किसी को शिकायत हुई है या नहीं हुई है। यह बात हमको किसी ने इस वक्त तक बतलायी नहीं। तो मैं कह नहीं सकता हूं कि उस चिट्ठी का वह असर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हां, शायद वह मेम्बर साहब इस बात को गवारा न करें, लेकिन जो मेम्बरान इस ऐवान में बैठे हैं उनको यह मैं दावत देता हूं कि वह उस वाकये को खुद देखें और समझें और एक, दो, तीन, चार मेम्बरान मेरे पास ले आएं। मैं उसको देखूं, समझूं, खुद उनसे तबादला ख्याल करूं, उसके मुताल्लिक जो कुछ मालूमात करने की, तहकीकात करने की जरूरत हो वह तहकीकात करूं। अगर कोई आदमी सजा के काबिल निकले तो उसको सजा दी जाय। लेकिन यह बात कि कोई आदमी किसी की निगाह में कसूरवार साबित न हुआ हो किसी की निगाह में साबित करने की कोशिश न की हो और वह इस ऐवान में इस तरीके से सरकारी मुलाजिम हो जो यहां बैठा नहीं है, जिसको अपनी किसी किस्म की सफाई पेश करने का मौका नहीं है, उसकी निस्बत कहें तो मैं अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि सन् १९२६ से लेकर इस वक्त तक मेरे तजुर्बे में इस ऐवान में ट्रैडीशन मुस्तकिल रहा है कि जो आदमी इस ऐवान में अपनी सफाई पेश न कर सकें उनको मजलूम नहीं किया जायगा। मैं यह शिकायत कर रहा हूं जनाब के जरिये से कि यह बात पहले गवर्नमेंट के इल्म में लाकर और इस बात से मायूस होने के बाद कि गवर्नमेंट की तरफ से उसका कोई इलाज नहीं हुआ तभी उसकी यहां शिकायत की जाय। तो मैं उस शिकायत को एक बेजा शिकायत समझता हूं। उसकी निस्बत सिर्फ दावत देता हूं। अगर मेरे दोस्त चाहें तो वह खुद, या वह न चाहें तो कोई और साहब चाहें, जिस किसी की तबियत हो, जो चाहे वह उसको समझाए और मैं देखूं और फिर मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं कि क्या होना चाहिए ?

एक बात मैंने कल अर्ज की थी, जो आज कही गयी है कि यह दाग मई में लग गया था। जभी तो इसमें रुपया है। कल मैंने बतलाया था यह इस साल के मार्च में जो बजट बनवाया गया था उस लेजिस्लेचर से जो हो रहा था उससे सिर्फ वोट आन एकाउंट के तौर पर रकम ले ली गयी चार महीने का खर्च चलाने के वास्ते। उसके साथ जो कांटिनजेंट फंड था उसका रुपया यह है जो मुख्तलिफ चीजों में उस बीच में जब बजट बना है और जो पहले बजट बना था उस बीच में खर्च हुए हैं उनमें का यह एक खर्चा है। इसको निस्बत यह कहना कि इसको बजट में क्यों नहीं लाया गया, यह तो एक ऐसी गलती है कि एक रकम गवर्नमेंट ने खर्च की, कांटिनजेंट फंड से, फिर उसको कैसे कोई बजट में दिखलायेगा और क्या मौका है उसको दिखलाने का ? वह तो यही हो सकता था कि उसकी निस्बत सप्लीमेंटरी एस्टीमेट पेश किया जाय। जैसा कि मैंने कल बतलाया था, फर्क इतना हो गया है कि सप्लीमेंटरी एस्टीमेट जब असेम्बली ने बजट पास किया हो उसके फौरन बाद पेश हो जाय या उसके दो-डेढ़ महीने के बाद पेश किया जाय, जैसा कि आज पेश हो रहा है। उसमें कोई अन्तर नहीं है और न वह किसी के काबिले एतराज बात हो सकती है। कल अगर मेरे दोस्त ने उसको सुना होता तो

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

शायद आज वह अपने एतराज को दोहराते नहीं। यह बात तो कही नहीं गयी है कि यह जो एक्सचेंज है यह लगाना गैर जरूरी चीज थी। सिर्फ यह बात कही गयी कि यह खर्चा इस तरीके से कर लिया गया या दूसरे यह कि जिस जगह किया गया उसके कराने वाले जिन अफसरान के जरिये यह कराया गया उनके जरिये वह यह खर्चा कराना बरदाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे नजदीक तो यह उन आदमियों के खिलाफ जो अपने कंधों के ऊपर एक जिम्मेदारी रखते हैं, जैसे जिम्मेदारी मेम्बर साहब भी अपने कंधों पर रखे हुए हैं, उन आदमियों में से किसी के खिलाफ पर्सनल शिकायत होने की वजह से जो सरकारी मुलाजिम हैं, खफा होकर बैठ जायं और यह कहें कि हम तो इसको चलने नहीं देंगे। वह तो मतालबा कर सकते हैं कि फलां आदमी को हम साबित करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। वह सब हो सकता है, उसके लिये किसी को कोई इनकार नहीं है। तो मैं नहीं समझता कोई वजह ऐसी माकूल है कि मेरे दोस्त ने आखिर में यह सजाविरा दिया कि मैं इस मांग को वापस करूं। यानी भई में जो खर्च इसके ऊपर हो चुका है उसको वापस कर लूं और इस गुनाह में कि मैं उस स्टेट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूं और एक आदमी उसके अन्दर मेरे दोस्त की नजरों में गलत काम कर रहा है, लिहाजा उसके भुगतान को मैं भुगतूं, इसको विड्रा कर लूं और चूंकि उसका भुगतान किसी को भुगतना जरूरी है, वह मैं भुगतूं, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी जा नहीं सकती है। यह एक नुमायां सी बात है कि यह कितनी गलत चीज है। यह तो खर्चा हुआ वा ई, इसको मंजूर होना चाहिये। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो वह ठीक तौर पर होनी चाहिये और उसके खिलाफ दादरसी करानी चाहिये।

श्री फूल सिंह—माननीय वित्त मंत्री के जवाब के बाद मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री भगवान सहाय—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुना और उसके बाद माननीय डिप्टी मिनिस्टर, उपमंत्री जी के आदेश को भी सुना। मैंने जब उन कर्मचारी का जिक्र किया था तो मैंने दो बातें कही थीं कि या तो माननीय वित्त मंत्री जी इस रकम को वापस ले लें या फिर इस सदन के सदस्यों को विश्वास दिलाएं कि ऐसे आदमी जो ह, वह यहां से हटा दिये जायंगे। मुझे अफसोस है कि या तो वह मेरी बात भाषा की वजह से समझ नहीं पाये या उसको शायद वह सुन नहीं पाये।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब को याद दिलाऊं कि मैंने सुन भी लिया और मैंने उसका जवाब भी दिया। मैंने तो कहा कि सारा हाउस बैठा हुआ है, मेरे पास कोई साबित करे दे इस बात को.....

अध्यक्ष—माननीय मंत्री कृपया बैठ जायं।

श्री भगवान सहाय—जो माननीय मंत्री जी ने फरमाया मैं समझता हूं ठीक ही फरमाया कि उनको इस बात की इत्तिला नहीं थी कि ऐसे आफिसर हैं और लोगों को उनसे आम तौर पर शिकायतें हैं।

एक बात मैंने और महसूस की कि माननीय वित्त मंत्री ने एक हमदर्दी की यह समझ के कि मैं मजलूम हुआ हूं और उस चीज के पीछे जो उसूल है उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं समझी। हमदर्दी मेरे साथ उन्होंने ने की और मैं उनका मशकूर हूं और रहूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अच्छा, मैं अपनी हमदर्दी वापस लेता हूं।

श्री भगवान सहाय—अगर मेरी सजा के रूप में वे वापस लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं यह कह रहा था कि यह जो कहा गया कि इत्तिला नहीं है उसके बारे में मैं बतला दूं प्राइवेट तरीके पर तो मैं समझा ही लूंगा। बहुत सी चिट्ठियां इस सम्बन्ध में उन आफिसर साहब को लिखी गयीं और सदन में सैकड़ों सवाल हुये और जिस तरह से हुये उस तरह से मैं

समझता हूं कि यह सब की समझ में आ गया कि यह एक ही आदमी का सवाल नहीं था यह मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं था बल्कि यह काफी आदमियों का था। जो छोटी सी चीज कही गयी, किसी के मेहमान की बेइज्जती करना अगर छोटी सी चीज है तो मैं इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं और माननीय उपमंत्री के इस आदेश के बाद अपने इस कटौती के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के ऊपर मैं एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं। जो यह ११ संख्या का अनुदान हाउस के सामने है उसके दो रूप हैं, एक तो दारुलशफा का मामला है और दूसरे दो लाख पचास हजार रुपये के खर्चे का मामला है, लोकल बाडीज के लिये, जिसमें से २५ हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। इन लोकल बाडीज का चुनाव तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था लेकिन समय बराबर बढ़ता जाता है और वह चुनाव टलता चला जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं जो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है ग्राम सभा में होने वाले चुनाव के संबंध में। अभी तक तो ग्राम पंचायतें थीं, ग्राम सभायें थीं, उनका चुनाव होता था, लेकिन अब यह ग्राम समाज एक नयी चीज पैदा हो गयी है। इसने एक बड़ा गोलमाल सा पैदा कर दिया है देहात के अन्दर। जब ग्राम सभा थी तो यह ग्राम समाज नाम की चीज पैदा करने से क्या फायदा? इसकी जो फेहरिस्तें बनी हैं वह भी अजीब हैं। अक्सर देखा गया है कि गावों का इस तरह से बटवारा हुआ है कि यह पता ही नहीं लगेगा कि ग्राम समाज के लोग किस तरह से इन चीजों का इन्तजाम कर पायेंगे जब कि एक एक गांव को दो-दो हिस्सों में बांट दिया गया है। कानपुर जिले में देखने से यह मालूम होता है कि हैपहैजर्ड वे में फेहरिस्तें बनायी गयी हैं। एक तो देहात के आदमी वैसे ही अभी ठीक तरह से इन चुनावों को समझ नहीं पाये थे ऊपर से यह ग्राम समाज एक तीसरी चीज पैदा कर दी गयी। अगर सरकार इस पर विचार करे और ग्राम समाज तोड़ दे या ग्राम पंचायतों के जो चुनाव होने वाले हैं उन्हीं को ठीक तरीके से कराये तो अच्छा होगा। ये तीन-तीन, चार-चार चुनाव करा कर देहात के लोग एक तरह से मुगालते में पड़ जायंगे और ठीक तरह से काम नहीं चल पायेगा और पैसे की फिजूलखर्ची होगी।

दूसरी चीज जो इस सरकार के सोचने की है वह यह कि अभी तक हमारे इन ग्राम समाज या ग्राम पंचायतों में जो पंच-सरपंच और सभापति होते आये हैं वे एक राजनीतिक जागृति के विचारों के लोग हैं, जिनके दिलों में समाज सेवा की भावना थी, उसी भावना से प्रेरित होकर वे ये चुनाव लड़े थे और पंचायतों में आये। उनमें से कुछ कांग्रेसी थे और कुछ गैर कांग्रेसी। लेकिन जब कि आप यह पाबन्दी लगा देंगे कि किसी दल विशेष के आदमी इनमें न आने पायें तो थर्ड ग्रेड के आदमी मिलेंगे, क्योंकि आप देखते हैं कि जिस आदमी में समाज सेवा की भावना है वह किसी न किसी दल विशेष से संबंधित है। तो जब यह पाबन्दी आप लगा देते हैं तो आपको उच्च कोटि के आदमी इस तरह के चुनावों में खड़े होने को नहीं मिलेंगे। नतीजा यह होगा कि जो जन-सेवा का काम आप इन पंचायतों और ग्राम समाज से लेना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगा। तो मेरी प्रार्थना सरकार से यह है कि वह इस बात पर गौर करे और इस प्रकार की सुविधा दे कि किसी दल विशेष का आदमी अपने राजनीतिक विचार रखते हुए भी इस तरह के निर्वाचनों में चुना जा सके। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करे और चुनावों में इस तरह से पैसा बर्बाद न करे और इस प्रकार चुनाव कराये जिससे जनसेवा का काम सुयोग्य लोगों द्वारा आपस में बांटा जा सके। ग्राम सभा और ग्राम समाज इस तरह की दो अलग-अलग चीजें लोगों को मुगालते में डालने वाली हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

श्री फूल सिंह—जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसमें दो बातें कही गई हैं एक तो यह कि गांव सभाओं और समाज में एक बहुत बड़ा "कंफ्यूजन" पैदा होने का डर है। दूसरे गांव समाज के लोग किसी सियासी जमाअत से ताल्लुक न रखें। मेरा निवेदन यह है कि इन दोनों बातों की चर्चा करने का मौका आज नहीं है। जब तक यह कानून है, हमें उनके मातहत ही चुनाव करना है और तब तक बजट से खर्च भी करना पड़ेगा। अगर कानून बदल दें तो बात दूसरी है। मेरा कहना यह है कि आप इस कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और एक मुनासिब प्रस्ताव इन कानूनों के संशोधन के लिये ले आयें।

श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा—उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आशा करता था कि गवर्नमेंट की ओर से मुझे आश्वासन मिलेगा लेकिन उल्टे मुझसे प्रस्ताव वापस करने के लिये कहा जा रहा है। आदेश समझकर मैं वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से सम्पूर्ण अनुदान ११ के अधीन एक रुपये की कमी किये जाने का कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्रीमन्, अनुदान में यह स्पष्ट है कि दो लाख रुपये की मांग लोकल बाडीज के एलेक्शन के सिलसिले में की जा रही है। २५ हजार रुपया कंटिनजेन्सी फंड से लिया जा चुका है और एक लाख ७५ हजार रुपये की मांग की गई है और कल के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मंत्री महोदय के बयान से स्पष्ट है कि दिसम्बर में एलेक्शन करना चाहते हैं। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इतना उतावलापन क्यों है?

आप यह समझ सकते हैं कि एलेक्शन्स के सिलसिले में जो खर्चा होगा वह हर म्युनिसिपल बोर्ड को देना होगा। परन्तु आज म्युनिसिपैलिटीज को यह अधिकार नहीं दिया जा रहा है और उनसे यह दरियाफ्त नहीं किया जा रहा है कि सचमुच में वह भार जो कल उनके सिर पर लदेगा, उसको उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे?

अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट्स भी आने को हैं और दूसरी बात यह है कि अमेंडिंग बिल जितने लोकल बाडीज ऐक्ट से संबंधित हैं, मसलन म्युनिसिपल बोर्ड ऐक्ट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट हैं, उनके अमेंडमेंट्स की परम आवश्यकता है क्योंकि नये कांस्टीटयूशन्स के अनुसार यह एडल्ट फ्रेन्चाइज के आधार पर होंगे। ऐसी सूरत में हाउस के लिये प्रिजज करना कि क्या रवैया होगा, उचित प्रतीत नहीं होता है। अमेंडिंग बिल आ जायं और हाउस अपना मत प्रगट कर सके और जब वह पारित हो जायं तो वैसी परिस्थिति में सरकार जब चाहे तब रिवाइज्ड एस्टीमेट्स के सिलसिले में यह मांग कर सकती है परन्तु इस समय यह दो लाख रुपये की मांग करना अनौचित्यपूर्ण है। २५ हजार रुपया कंटिन्जेन्सी फंड से ले लिया है। आप उसको जरूरी समझते थे। उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक लाख ७५ हजार रुपया आप किस लिये चाहते हैं जब कि आपके वह अमेंडिंग बिल्स जो कि लोकल बाडीज से संबंध रखते हैं वह हमारे सामने नहीं हैं। इसलिये जब तक यह अमेंडिंग बिल्स न आयें हाउस को उचित नहीं होगा कि वह ऐसी मांग को स्वीकार करे और सरकार इसको खुद मानती है और सरकार आज इस बारे में स्पष्ट नहीं है और वह कोई सही अन्दाजा नहीं बतला सकती है। उसका कारण यह है कि जो इसमें दिया हुआ है, मैं उसको आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, "स्थानीय निकायों के चुनावों पर होने वाले व्यय को विभिन्न मदों के लिये पूर्ण तखमीने प्रस्तुत करना इस समय कठिन है। स्थानीय निकायों के संगठन से संबंध रखने वाले विभिन्न सुझावों की जांच अभी की जा रही है।" सरकार खुद इस बात को मानती है कि अभी जांच की जा रही है और उसका सही अन्दाजा आप अभी नहीं बतला सकते हैं तो कोई भी ऐसी बात सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिये। १ लाख ७५ हजार रुपया इस हेड में मांगना इस समय जब कि हमको यह अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि एलेक्शन कब होगा, तो ठीक नहीं मालूम पड़ता है। अगर यह सरकार समझती है कि एलेक्शन दिसम्बर में हो जायगा तो यह भी

बड़ा मुश्किल मामला है। यह कोई सरल कार्य नहीं है कि म्युनिसिपल बोर्ड का एलेक्शन इतनी जल्दी आसानी से हो जाय। लिस्ट बनेगी, आब्जेक्शन का वक्त दिया जायगा और वोटर को और मौका भी मिलेगा। और बिल भी अभी अमेंड नहीं किया जा रहा है या उसके लिये खास सेशन बुलाया जायगा और एलेक्टोरल को सही होने के लिये कोई प्रयत्न किया जायगा। इस वजह से उसमें इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिये। कल हमारे विरोधी दल के नेता ने भी बहुत परेशानी बतलाई थी। उनके लिये यह बात सरल हो सकती है, क्योंकि विरोधी दल की ओर से बहुत बातें कही जा सकती हैं लेकिन जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है। अगर हमारे माननीय मंत्री जी यह चाहते हैं कि दिसम्बर में एलेक्शन कर दिये जाय तो यह कठिन है। कोई चीज सहसा इस तरह से नहीं होना चाहिये। इन चन्द शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री फूलसिंह--माननीय मेम्बर ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसमें ३ बातें कही गई हैं। एक तो यह है कि लोकल बोर्डों से पहले यह मालूम कर लेना चाहिये कि जो खर्चा चुनाव के समय होगा उसे वे अदा करने के लिये तैयार हैं या नहीं। दूसरे यह है कि अभी तक अमेंडिंग बिल नहीं आया है। यह निश्चय नहीं है कि कितना खर्चा होगा। माननीय सदस्य की यह राय है कि इस वजह से इस मामले में अभी जल्दी न की जाय। मेरा निवेदन उनसे यह है कि लोकल बाडीज के पहले कायदे से जितने चुनाव होते थे उन सबका प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट करता था और उनके खर्चे को फिर बाद में उन संस्थाओं से वसूल कर लेता था। पिछले चुनाव के तजुर्बे से यह मालूम हुआ है कि प्रान्तीय सरकार की तरफ से चुनाव का प्रबन्ध करने से कुछ अच्छा इन्तजाम रहेगा। बहरहाल उस पुराने ऐक्ट के मुताबिक चुनाव होना चाहिये और म्युनिसिपल बोर्ड वगैरा का चुनाव हुये बहुत दिन हो गये हैं। उनका चुनाव अब वाजिब है और ज्यादा दिनों तक अब मुल्तवी नहीं किया जा सकता।

'अमेंडिंग बिल' के बारे में समझने की बात यह है कि आप चाहे जैसा सुधार कर दें। लेकिन जो चुनाव किया जा रहा है और जिसकी तैयारी हो रही है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वह तो सिर्फ इन्तजाम करने से ताल्लुक रखता है।

तीसरी बात यह है कि अभी तक यह निश्चय नहीं है कि कितना खर्चा होगा। इसका इन्तजाम किया जा रहा है। यह अगले बजट तक अटका रहे और मार्च में बजट आये और उसके बाद बरसात के बाद चुनाव हो, तो इसमें बहुत देर हो जायगी और इस देरी को बचाने के लिये यह मांग रखी गई है। अब बहुत जल्द यह सब निश्चय हो जायगा और अमेंडिंग बिल भी आ जायगा ताकि गर्मी से पहले पहले चुनाव हो सकें। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापिस कर लेने की कृपा करेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--मैं वापिस लेने से तो मजबूर हूं और जहां तक माननीय ठाकुर फूलसिंह जी ने यह कहा है कि मौसम की वजह से वह चाहते हैं कि बहुत जल्द एलेक्शन हो जाय तो म्यूनिसिपैलिटी में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती कि वहां बरसात में एलेक्शन न हो सकते हों या गर्मी में न हो सकते हों।

दूसरी बात अमेंडिंग बिल के लिये आप कहते हैं कि उससे कोई असर नहीं होगा। मैं यह समझने से मजबूर हूं। जब वह यह कहते हैं कि जहां तक इस खर्च का सवाल है एलेक्टर रोल बनवाने का, वह जल्द से जल्द बनने चाहिये और उसका कोई असर नहीं होगा तो मैं बतलाना चाहता हूं कि वह रिवाइज्ड एस्टीमेट्स में सदन के सामने ले आवें तो कोई त्रुटि न होगी और कोई खराबी न होगी। यह एक उचित मांग है। मैं समझता हूं सरकार इस पर पुनः विचार करेगी। साथ ही साथ मैं आप के द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आज अपनी अनुपस्थिति से सदन का निरादर कर रहे हैं। ठाकुर फूलसिंह जी काफी हैं हम को जवाब दे दें और वह समुचित जवाब भी दे सकते हैं परन्तु मैं आप के द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी तक यह सन्देशा पहुंचाने

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

की इच्छा रखता हूं कि वह बजट के समय यदि अपना समय यहां से दिया करें तो अच्छा है। उनका न आना तो सम्पूर्ण सदन का निरादर है। जिस प्रकार वह दूसरे मिनिस्टर या उपमंत्री पर भार छोड़ कर अनुपस्थित हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है। कोई आवश्यक कार्य हो उस समय वह न आयें और कोई दूसरा उपमंत्री बिल पाइलट करे तब तो बात दूसरी है। इसलिये भविष्य में ऐसी बात न हो तो अच्छा है। कहने का ही हमारा अधिकार है और इससे अधिक हम कह ही क्या सकते हैं।

मैं समझता हूं कि म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव के लिये सर्दी के मौसम की वजह से ठाकुर फूलसिंह जी दिसम्बर को पसंद करते हैं और जब कि वह और बातों पर विचार करने से कुछ विवश से मालूम होते हैं इसलिये मैं भी इसे वापिस लेने से मजबूर हूं।

श्री फूलसिंह--मुझे इसके अलावा और कुछ अर्ज नहीं करना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को तो स्वयं इस बात का अहसास रहता है कि जहां तक मुमकिन हो वह ऐसे मौकों पर हाउस में उपस्थित रहें। पिछले दिनों उनकी तबियत खराब थी मैंने कई मर्तबा उनसे दरख्वास्त की कि आप तकलीफ न करें हम इस काम को कर लेंगे लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं यह मुनासिब नहीं है मैं अगर बैठ कर भी काम चला सकूंगा तो भवन में काम कर लूंगा। अभी वह बाहर गये थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है। वह खुद इस बात की कोशिश करते हैं कि हाउस का पूरा आदर करें। जहां तक इस आइटम का ताल्लुक है मुझे कुछ कहना नहीं है इस विषय से इसका कोई ताल्लुक भी नहीं था कि मंत्री लोग हों या न हों।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--यदि माननीय मुख्य मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उनको परेशान करना नहीं चाहता। मैं तो सदन के आदर के लिये ही यह चाहता था कि कहीं यह रवैया ही अख्तियार न कर लिया जाय और जहां तक हो सके लोग आने की कृपा किया करें।

उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संपूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान ११ के संबंध में १ रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। मुझे यह कटौती का शब्द अत्यंत अखरता है। मैं इस शब्द को उच्चारण करने में विवश हूं। मैं यह पसंद करता हूं कि इस कटौती के शब्द के बदले यदि कोई और शब्द जब कोई शख्स सुधार सुझाव देना चाहे, या उस विभाग के संबंध में अपनी विचार धारा प्रकट करना चाहे, तो कोई दूसरा ही शब्द रख दिया जाया करे, इसलिये मैं इस ग्रांट का विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं उससे सहमत हूं परन्तु मैंने जो यह प्रस्ताव पेश किया है वह इसलिये किया है कि मैं देखता हूं कि जनता में और विशेषतः ग्रामवासियों में एक कठिनाई हमें देखने में आ रही है उसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। जितनी भी सूचियां मतदाताओं की तैयार हैं, वे इस प्रकार की हैं कि प्रायः उनसे बड़ी कठिनाई होती है। जैसा कि माननीय सदस्यों को यह अच्छी प्रकार से विदित है कि उनको वर्णमाला के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी स्थान या गांव या नगर के रहने वाले दो चार सदस्य किसी एक घर में रहते हों और वे यह जानना चाहें कि उनके नाम उसमें हैं या नहीं तो उन्हें बड़ी कठिनता होती है। मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हमें जो बातें अपनी अपनी कांस्टीटुयेंसी में ज्ञात हों उनको, हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार के सामने रखें और सरकार को उन पर गौर करना चाहिये और उनको हल करने का प्रयत्न करें। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम किसी प्रकार से सरकार का विरोध करना चाहते हैं लेकिन हम तो वे बातें जो जनता में फैली हुई हैं उनको सरकार के सामने रखते हैं। जब तक हम सद्भावना और लगन के साथ ऐसा करते हैं तभी तक हमारी उन्नति हो सकती है अन्यथा हम दूसरी ओर जाते रहेंगे और सरकार दूसरी ओर जाती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि अभी तक मतदाता सूचियां तैयार नहीं हुई हैं तो उन सूचियों को इस प्रकार से तैयार किया जाय जिससे कम पढ़ा लिखा मनुष्य भी भली प्रकार से आसानी के साथ अपना नाम ढूंढ़ सके। जो वर्णमाला के अनुसार बनी हुई सूचियां हैं उनमें वही लोग नाम ढूंढ सकते हैं जो अच्छे प्रकार से पढ़े लिखे हैं लेकिन उन सूचियों से यह ज्ञात करना अत्यंत कठिन है कि किसी घर में जितने व्यक्ति हैं उनमें से कितने व्यक्ति मत देने के योग्य हैं। इसलिये यह होना आवश्यक है कि जितनी भी सूचियां तैयार हों, वह ग्रामवार तो होती हैं साथ में घर वार तथा मोहल्लेवार भी होनी चाहिये। घरों के नंबरों के साथ साथ मुहल्लों का भी ध्यान रखा जाय। अगर ऐसा होगा तो फिर दिक्कत न होगी। मैं इससे अधिक कहना पसंद नहीं करूंगा। यह तो आपको मालूम ही है कि इस प्रकार से कटौती प्रस्ताव पेश करना सब को बड़ा अखरता है। मैं नहीं चाहता कि यह सदन के सामने रखा जाय, यही आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे सुझाव को स्वीकार करें। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें।

श्री फूल सिंह--जो सुझाव अभी माननीय मेम्बर ने दिया है उसके संबंध में एक कठिनाई है और वह यह है कि यह निश्चय हुआ है कि जो असेम्बली चुनाव की मतदाता सूची है वही सूची लोकल बाडीज के संबंध में मानी जायगी। मैं अभी माननीय वित्त मंत्री से बात कर रहा था कि इस मामले में तो फैसला हो ही चुका है कि लोकल बाडीज में वही मतदाता सूची रहेगी जो असेम्बली चुनाव के काम में आयी है। उन लिस्टों को शायद दोबारा बदलना इस स्टेज पर सम्भव न होगा और वे लिस्टें जो बनायी गयी हैं वे गवर्नमेंट आफ इंडिया के आदेश से बनायी गयी हैं। उसमें हमारा कोई ज्यादा दखल नहीं है।

श्री ओंकार चन्द--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने अभी ठाकुर फूल सिंह जी ने जो फरमाया वह बिलकुल सही है और मैं इसको मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार द्वारा यह सूची तैयार हुई और वही सूचियां अब भी हैं, इसलिये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लिस्ट तैयार हुई क्या अब भी उसी को प्रयोग में लाया जायगा? तो मैं यह समझता हूं कि वह सूची नये सिरे से तैयार हो तो बेहतर है। हम सब देख चुके हैं कि उसमें बहुतों के नाम छुटे हुए हैं और बहुत से मरे हुए मेम्बरों के नाम हैं। मैं अपनी कांस्टीटुएंसी की बात ही आपके सामने रखना चाहता हूं कि बहुत से नाम ऐसे ही थे। तहसीलदारों और पटवारियों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की लेकिन वह सूचियां ठीक नहीं हुईं। हमारी कांस्टीटुएंसी में ऐसे बहुत से आदमियों के नाम हैं जो मरे हुए हैं। यदि इस प्रकार से काम चलता रहा तो फिर हमारा कैसे उद्धार होगा? मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि यदि आवश्यक हो तो केन्द्रीय सरकार को इसके लिये लिखा जाय। प्रदेशीय सरकार एक उपविभाग भी खोल रही है जिसमें दो लाख के करीब व्यय होगा। मैं नहीं चाहता कि वह दो लाख से कम हो बल्कि मैं तो पसन्द करूंगा कि दो लाख से बढ़ा कर ४ लाख कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन ग़रीब किसानों से रुपया लेकर, चाहे वे शहर के हों या कस्बे के हों, हम इस प्रकार से रुपया लगाते हैं तो उनको सुविधा देना भी हमारा कर्तव्य है। जब उनसे रुपया लिया जाता है और उनको सुविधा प्राप्त नहीं होती है तो वे सिर्फ यह समझते हैं कि उनके वास्ते हमारे दिल में मुहब्बत और प्रेम पैदा नहीं होता है। सबसे पहले जहां हम रुपया खर्च करें, हमें शब्दों को नहीं देखना है हमें कोष को नहीं बनाना है, हमें सरकारी कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों की सुविधा को नहीं देखना है कि वे इतने योग्य हैं कि अगर उनको डिक्शनरी देखनी हो तो वे किस तरह से देख पायेंगे। जो पढ़े लिखे हैं वे तो चट पट वर्णमाला को देखकर अपना नाम देख लेंगे लेकिन मेरे गरीब भाई किसान जो इस वर्णमाला की जानकारी नहीं रखते हैं वे मुहल्ले और गांव का नाम देखते हैं और तब अपने नामों का पता लगाते हैं।

[श्री श्रीचन्द]

मैं बड़ जोरदार शब्दों में इस बात को कह सकता हूं कि किसी भी गांव में यह प्रचलन उचित नहीं माना जाता है। मेरे गांव की ही आबादी ८ हजार से ज्यादा है लेकिन मुश्किल से १०० आदमी ऐसे होंगे जो सुगमता तथा सरलता से अपने नामों का पता इस लिस्ट में आसानी से लगा सकें लेकिन लोगों की बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने नामों का पता आसानी से नहीं लगा सकती है। जैसा कि माननीय ठाकुर फूल सिंह जी ने फरमाया है, मैं इस बात से सहमत हूं कि दिक्कत होगी लेकिन हम अगर इन दिक्कतों का खयाल करें तो फिर हमारे लिये वही विकट समस्या आ जायेगी। जबकि नाना प्रकार के स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। अच्छा तो यह है कि इस रुपये का सदुपयोग किया जाय। यहां पर जब उप-विभाग खोला जा रहा है तो उसके नियम बनाये जा सकते हैं। मैं तो यह समझता हूं कि जब तक हम लकीर के फकीर बने रहेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हम कानूनों में देखते हैं कि जहां बहस होती है शब्दों में हम उलझ जाते हैं और उन कठिनाइयों को नहीं देखते जिनके ऊपर इसका असर पड़ेगा। मेरी यही प्रार्थना है कि अब भी यदि इन सुझावों पर प्रयत्न किया जाय और इन सूचियों को ठीक किया जाय तो बहुत ही बेहतर होगा। हम तो सर्वप्रथम उन अन्नदाताओं का ध्यान रखना है जिनके कारण हम यहां पहुंचे हैं, जिनके कारण हमारा राज्य चल रहा है और जिनके कारण हम आगे चल कर अपने देश को फलता-फूलता देखेंगे और अगर हमने उनके हित का ध्यान रखा तो वे फिर भी हमें अवसर देंगे। यह हमारी आज-माईश का समय है जो हमारे मेहनती किसान और मजदूर हमारी और शुभ कार्यों के लिये ताक रहे हैं। यदि हम उनके दुखों को भूल जायेंगे और कानूनों में उलझ जायेंगे तो कुछ भी कार्य नहीं हो पायेगा। हमें सर्व प्रथम उनके दुःखों की ओर देखना है और कानूनी पैचीदगियों में बहुत नहीं पड़ना है बल्कि मैं यह विचार रखता हूं कि जितने ही कानून कम होंगे उतना ही अधिक हम जनता के लाभ का कार्य कर सकेंगे। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप इस ओर ध्यान दें और यदि आप की प्रदेशीय सरकार इस कार्य को करने में असमर्थ है तो केन्द्रीय सरकार को लिखा जा सकता है और मुझे पूर्ण आशा है कि जो कार्य सद्भावना से होगा वह अवश्य ही स्वीकार किया जायगा।

उपाध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री श्रीचन्द—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह कटौती का शब्द ही मुझे अखरता है और उसको वापस लेने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। एक बड़ी अजीब परिपाटी है। मैं तो कानूनी बात ज्यादा जानता नहीं हूं। उसकी तो आपको ही ज्यादा जानकारी है और अगर यह बात है तो मैं उसको वापस ले रहा हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—सामान्य प्रशासन के कारण व्यय—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,०७,५०० की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय

योजना उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)—श्रीमन्, गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १२—लेखा शीर्षक २५—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत, कमिश्नरों और जिला प्रशासन के व्यय में २,९१,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२—५३ के लिये स्वीकार की जाय।

इस मांग के तीन मुख्य अंग हैं। पहले तो जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में सब एस० डी० ओज० को तहसीलों में रहने का जो हुक्म हुआ है उससे वह सब काम जो उनके सुपुर्द था और जिनके लिये उनको हेडक्वार्टर्स में जाना पड़ता था, रुक गया और इस

लिये हर एक जिले में एक एक और अफसर की नियुक्ति करनी पड़ी। जितने जुडिशियल अधिकारीगण हमारे पास थे उनमें से ४७ जुडिशियल अधिकारी को वह काम सौंपा गया। और उनकी जगहों पर ४७ नये जुडिशियल अधिकारी नियुक्त किये जाने के लिये यह मांग रखी गयी है। इसमें २,५१,४०० रु० की मांग है।

दूसरी मांग ट्रेजरी के सम्बन्ध में है। इस सिलसिले में कुछ दिक्कतें हुईं। ट्रेजरीज में जो जमानत जमा की जाती थी और जो तनख्वाहें थीं वह इतनी थोड़ी थीं कि लोगों ने ट्रेजरी का काम करने से इन्कार करना शुरू किया। अब उसको ध्यान में रख करके यह स्केल कुछ बढ़ा दिये गये हैं और इस सिलसिले में ३८ हजार रुपये की मांग रखी गयी है।

तीसरी मांग २ हजार रुपये की है। यह गरीब लोगों को मिर्जापुर जिले में मुफ्त कपड़ा पहुंचाने के सम्बन्ध में थी। फिर यह स्कीम देवरिया, बस्ती और बनारस में भी लागू कर दी गई।

मैं समझता हूं कि यह तीनों मांगें स्पष्ट हैं और इन पर भवन का ज्यादा समय लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि भवन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उमाशंकर त्रिवारी (जिला बनारस)--उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं अनुदान संख्या १२ में यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन १ रुपये की कमी कर दी जाय।

श्रीमन्, यह जो स्मृतिपत्र हम लोगों को दिया गया है, इसको मैंने ध्यान से पढ़ा, और माननीय फूल सिंह जी ने भी कहा है कि कुछ सब डिवीजनल आफिसर्स के जमींदारी उन्मूलन के कार्य में लग जाने से प्रशासन के कार्यों में और न्याय संबन्धी कार्यों में अड़चनें हो रही हैं और उनके स्थान पर जुडिशियल आफिसर्स रखने की आवश्यकता है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि सरकार समय समय पर जो यह कहती है कि हम खर्चा कम करना चाहते हैं उसकी इस नीति से यह जुडिशियल आफिसर्स रखने की नीति बिल्कुल विपरीत है। सरकार की अब तक यह नीति रही है कि एक छोटे से कार्य के लिये एक अलग विभाग खोल दिया जाता है और एक अलग आफिसर्स नियुक्त कर दिया जाता है। हर विभाग के लिये एक अलग आफिसर नियुक्त कर दिया जाता है चाहे उसके लिये कार्य हो चाहे न हो। आप देखें कि अब तक जिले में काय बटा हुआ था। जुडिशियल आफिसर्स पहले ही से कार्य कर रहे थे। उनके मातहत फौजदारी के मुकद्दमें और माल के मुकदमें रहते थे। जो एस० डी० ओज० होते थे उनसे मामूली प्रशासन का कार्य लिया जाता था। थोड़ा सा प्रशासन सम्बन्धी शांति वगैरह के सम्बन्ध का कार्य उनके पास आया करता था। अब उन मुकदमों को सुनने के लिये अलग जुडिशियल आफिसर्स रखे जा रहे हैं। मेरी समझ में यह सरकार सिर्फ खर्चा बढ़ा रही है। सरकार ऐसी जगहों पर आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करती थी। आज भी आनरेरी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किये गये हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। अगर यह जुडिशियल आफिसर्स न रख करके आनरेरी मैजिस्ट्रेटों द्वारा यह कार्य लिया जाय तो सरकार जो खर्चा करने जा रही है वह न हो। इसके साथ साथ आपके बहुत से काम ऐसे हैं, बहुत से मामले, मुकदमें ऐसे हैं, जो अदालती पन्चायतों को ट्रान्सफर किये जा सकते हैं। यह जो आज सब-डिवीजनल आफिसर्स हैं अस्थायी तौर से जमींदारी उन्मूलन के कामों में फंसे हुए हैं। उसके लिये इस तरह से खर्चा बढ़ाना मेरी समझ में उचित नहीं है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो यह खर्चा इस मद में करने जा रही है उस को न करे। अगर बहुत ही जरूरी है तो आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स या अदालती पन्चायतों के द्वारा उन कामों को लेकर इस खर्चा को न करें।

उपाध्यक्ष--मैंने देखा है कि जो कटौती के प्रस्ताव भेजे गये हैं उन सब का अभिप्राय केवल वादविवाद करना और सुझाव देना है। तो इन कटौती के प्रस्तावों को अलग-अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये जो माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे और जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं एक एक करके मैं नाम पुकारूंगा और इस सम्बन्ध में वादविवाद हो जायगा और बार बार अलग अलग राय लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—जनाबवाला, मैंने भी इस मद के ऊपर एक कटौती दी है। जैसा कि आप फरमा चुके हैं मुझे उस कटौती के अल्फाज को दोहराने की जरूरत नहीं है बल्कि उसका महज सैकेन्ड करना काफी होगा।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस कटौती से मेरा मतलब असल यह है कि मैं यह बतला देना चाहता हूं कि आलरेडी जिलों में जितना स्टाफ है वह जरूरत से कहीं ज्यादा है और जिस जरूरत की वजह से आज यह २ लाख ५१ हजार ४ सौ रुपये की मन्जूरी चाही जा रही है वह जरूरत दरअसल एग्जिस्ट नहीं करती है।

दूसरी बात मैं यह बतला देना चाहता हूं कि मेरे पास इस चीज के काफी वजूह मौजूद हैं कि मैं यह यकीन करूं कि अगर ४७ की जगह ४७० आफिसर्स भी बढ़ा दिये जायेंगे तो जिले के ऐडमिनिस्ट्रेशन में वह इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जो हम चाहते हैं। उसके क्या वजूह हैं वह मैं अभी आपके सामने पेश करने की जुर्रत करूंगा।

सबसे पहले ग्रान्ट नम्बर १२ जहां दी गई है वहां जो इस मांग की वजूह बयान की गई है और जैसा कि ठाकुर साहब ने अपनी तकरीर में भी दोहराया वह वजह यह कही जाती है कि चूंकि हर जिले में कम्पेन्सेशन स्टेटमेंट जमींदारी अबालिशन के सिलसिले में बनायेजा रहे हैं और चूंकि गोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स . . . . । मैं आपकी इजाजत से अंग्रेजी में पढ़ूंगा, इसलिये कि मैं हिन्दी से नहीं पढ़ सकता हूं।

"In most districts the number of officers available s just enough to provide the district Magistrate with a Sub-Divisional officer for every Sub-Division, and no extra officer is available.

[अधिकांश जिलों में प्राप्य अफसरों की संख्या केवल उतनी ही है जितने में जिला मैजिस्ट्रेट प्रत्येक सब-डिवीजन के लिये एक सब-डिवीजनल अफसर की व्यवस्था कर पाते हैं और कोई अतिरिक्त अफसर उपलब्ध नहीं है।]

मैं अदब से अर्ज करूंगा कि यह स्टेटमेंट जहां तक मुझको मालूम है सही नहीं है, गलत है। हो सकता है कि पांच-सात, दो-चार जिले इस किस्म के हों, जहां पर इतनी तादाद में अफसर न हों। लेकिन मैं यह कहने की जुर्रत करूंगा कि यू० पी० में यह नहीं कि सब-डिवीजनल अफसर हर जिले में काफी दिये गये हैं, बल्कि दस-दस, पंद्रह पंद्रह आदमी एक्स्ट्रा मौजूद हैं। जैसे कि सहारनपुर के फीगर्स मेरे पास मौजूद हैं, वहां पर एक कलेक्टर है, ए० डी० एम० हैं और चार एस० डी० ओज० हैं। उसके बाद एक सिटी मैजिस्ट्रेट मौजूद है। एक एडिशनल सिटी मैजिस्ट्रेट, जुडीशियल मैजिस्ट्रेट-कम-रेवेन्यू अफसर्स पांच, स्पेशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास तीन, स्पेशल मैजिस्ट्रेट सेकेन्ड क्लास दो हैं और आनरेरी मैजिस्ट्रेट की बेन्च मौजूद है। जिसमें से अगर नार्मल स्ट्रेथ जो इस जिले की होनी चाहिए और जो कि ब्रिटिश ऐडमिनिस्ट्रेशन के जमाने में थी तो वहां पर एक कलेक्टर और चार एस० डी० ओज० ५ आदमी जो नार्मल स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी जिले की वह २० मौजूद हैं, यानी ४ गुनी ज्यादा मौजूद है। १५ अफसरान वहां पर ऐसे हैं जो कि हर काम को जो कि वहां पर होता है उसके लिये उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं अर्ज करूंगा कि यह खर्चा बिल्कुल फिजूल है, गलत है, गैर जरूरी है और कोई वजह नहीं मालूम होती कि जबकि इतने आपके पास एक्स्ट्रा आफिसर्स मौजूद हैं तो उन ४७ जिलों में लाजिमी तौर पर जुडिशियल आफिसर्स रखे जायं। मैं नहीं समझता कि यह जरूरी है और इस किस्म के अखराजात का भार गरीब टैक्सपेयर पर पड़े। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो कहा गया है कि हर ४७ जिलों में जुडिशियल आफिसर्स कम्पेन्सेशन एस्टीमेट्स की वजह से मुकर्रर किये जायं, यह जरूरी नहीं है। देखने की जरूरत तो यह थी कि अगर वाकई आफिसर्स की कमी थी तो उन अजला के हालात को देखा जाता और जांच करने के बाद अगर वाकई किसी जिले में जरूरत होती तो वह मुकर्रर किया जाता।

दूसरी बात एक उसूली और बुनियादी है जिसकी वजह से मैं इसकी मुखालिफत करने के लिये मजबूर हुआ हूं। आप समझते हैं कि यह कम्पेंसेशन स्टेटमेंट्स गालिबन हर जिले में तो तैयार

हो ही जायेंगे, यानी ६,७,८, महीने का किस्सा है। तो मैं गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता हूं कि आया इन ४७ जुडिशियल आफिसर्स का जो इस काम के लिये आरजी तौर पर मुकर्रर किये जायेंगे ६,७,८ महीने के बाद क्या हश्र होगा ? क्या ये निकाल दिये जायेंगे ? अगर आप उनको सिक्योरिटी आफ सर्विस नहीं देते तो क्या वह जजबा जो कि एक पब्लिक सर्वेन्ट का होना चाहिए उस जजबे से अपने काम को पूरा कर सकेंगे ? इस तरीके से टेम्पोरेरी आदमियों को जो रखा जाता है उनके जिम्मे इस नेचर के काम सुपुद कर देना जिस पर बहुत से आदमियों की हयात और मौत का इनहसार हो यह निहायत नामुनासिब और गलत है। वह अपनी जिम्मेदारी का हरगिज अहसास नहीं करेंगे और उनकी कोशिश यह होगी कि इस अर्से में जितना रुपया बटोर सकें बटोरें। मैं किसी खास आदमी पर ऐस्पर्शन नहीं डालना चाहता। अगर मेरे भाई इस जद में आते हों तो मुझे माफ करेंगे। लेकिन एक उसूली तौर पर मैं अर्ज करने की जुर्रत करूंगा कि एक टेम्पोरेरी सर्विस जो ६,७ महीने के लिये रखी जाती है क्या उसमें जजबये ईमानदारी और कारकर्दगी का मौजूद हो सकता है और वह ईमानदारी से अपना काम अंजाम दे सकते हैं ? यह एक बेसिक गलती है और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को उस गलती में नहीं पड़ना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह अर्ज करूंगा कि क्या वजह है कि आज आपके अजला के ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत इतनी गिर गयी है। मेरे दोस्त और मेरे भाई तमाम आनरेबिल मेम्बरान जो इस हाउस में मौजूद हैं, जहां से वह आये हैं वह वहां से वाकिफ हैं। वह भी मुझे सपोर्ट करेंगे कि किसी भी जिले का ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है जिसके मुताल्लिक कि कहा जा सकता है कि वह ठीक है और अच्छे तरीके से चला जा रहा है। क्या वजह है, यह हमें समझना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि गलती कहां है। आया हमारी मशीनरी ऐसी खराब हो चुकी है कि हमें ओवरहालिंग की जरूरत है या ऐसा किया जा सकता है कि उस मशीनरी में कोई स्क्रू कस देने से वह मशीन ठीक हालत में लाई जा सकती है। तो मैं निहायत अदब के साथ यह अर्ज करूंगा कि अगर मशीनरी से उसकी आनालाजी ली जाय तो उसके कल पुर्जे और सिलेन्डर्स सब खराब हो चुके हैं और जरूरत इस बात की है कि उसका कम्पलीट ओवरहालिंग किया जाय और एक नई मशीनरी इन्ट्रोड्यूस होनी चाहिए और ऐसे लोगों को उसमें रखा जाय जो पब्लिक सर्वेन्ट्स कहलाने के मुस्तहक हों और जिनका मकसद यह न हो कि रुपया बटोरना और आराम से सोना। हालत क्या है? सब हाउस के आनरेबिल मेम्बरान जानते हैं कि आजकल डिस्ट्रिक्ट ऐडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत है। कोई भी बदकिस्मत लिटिगैंट ऐसा न होगा जो महीनों कोर्ट के चक्कर न काटता हो और जो १५-१५,२०-२० कोस से सफर करके न आता हो। और आता है तो मालूम होता है कि या तो मैजिस्ट्रेट साहब या रेवेन्यू आफिसर तशरीफ नहीं रखते हैं। ५ बजे आवाज दे दी जाती है और तारीख मुल्तवी कर दी जाती है। उसको इतना वक्त भी नहीं मिलता, इतनी भी उसके लिये आसानी नहीं होती कि कोई ट्रेन, कोई मोटर लारी वगैरह वक्त पर पकड़ कर घर पर पहुंच जाय। पहले जमाने में क्या था,मैं यहां उसकी तारीफ करने के लिये नहीं खड़ा हुआ हूं और न मैं उसके लिये ब्रीफ होल्ड करता हूं, मैं समझता हूं कि अगर हकीकत का इजहार किया जाय तो बेजा न होगा, सही तरीके से अपने अन्दर एफिसियन्शी को अन्जाम नहीं दे रहे हैं जो हम से हमारे वोटर्स एक्सपेक्ट करते हैं। मैं किसी पर एक्सपर्शन नहीं कास्ट कर रहा हूं लेकिन यह बता देना चाहता हूं कि आज ऐडमिनिस्ट्रेशन की हालत यह है कि मुझे खुद ऐसे केसेज का इल्म है कि जो सिर्फ सेशन को कमिट होने के लिये हैं वे साल-साल और १८-१८, महीने में सेशन्स को कमिट होते हैं। जाहिर है कि पहले हर सख्श जानता है जो ला कोर्ट्स से वाकिफ है कि अंग्रेजों के जमाने में ६ हफ्ते की मियाद हुआ करती थी क्रिमिनल केसेज के लिये और ६ हफ्ते के अन्दर अगर क्रिमिनल केसेज तय नहीं हो जाते थे तो उसके लिये उन्हें एक्सप्लेनेशन देना पड़ता था। इसी तरीके से सिविल केसेज और रेवेन्यू केसेज के लिये ६ महीने की मियाद थी और अगर ६ महीने के अन्दर यह केसेज तय नहीं होते थे तो एक्सप्लेनेशन लिखते-लिखते वह हाकिम परेशान हो जाया करता था और उसे जवाब देना पड़ता था कि वे केसेज अब तक क्यों नहीं तय हुए,

[श्री अताहर हुसैन ख्वाजा]

और आज क्या हालत है ? मैं अर्ज करता हूं कि ३०–३०,३५–३५ और ४०–४० पेशियां तो मामूली बात है । रियाया मरे लेकिन कोई पुरसां हाल नहीं है । ३५–३५ और ४०-४० पेशियां लगा कर लोगों को परेशान करते हैं, दस रुपये का मुकदमा है, हजार खर्च हो चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं है । बहरहाल यह ऐसी चीज नहीं है जो रियाया इससे मुतासिर न हो । यह दूसरी बात है कि हमारे लीडरों ने कुछ ऐसी बातें की हैं कि आज उनके क्रेडिट के ऊपर हम जिन्दा हैं । लेकिन यह कब तक चल सकता है । जाहिर है कि हमको कोई न कोई ऐसा रवैया बदलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हम दुनिया में आराम और ईमानदारी की जिन्दगी बसर कर सकें कि इन बातों से रियाया को छुटकारा मिले । इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि हमको सोचना चाहिए कि यह मिस्टेक कहां लाई करती है, हमारी एफीसियन्शी क्यों गिरती जाती है । मैं समझता हूं कि पहले जो सिलेक्शन हुआ करते थे वे काबिलियत की बुनियाद पर हुआ करते थे, जो काबिल आदमी होता था उसी को जगह मिला करती थी । लेकिन आज बदकिस्मती से, यह आम ख्याल है मैं नहीं कहता कि सही है या गलत है, दर अस्ल एफीसियन्शी कोई चीज नहीं है, बल्कि हर चीज रेकमेन्डेशन के ऊपर है । अगर आपके जराय ह तो आपको बड़ी से बड़ी जगह मिल जायेगी और आप चाहे काम कर सकें या न कर सकें। अगर आपके ताल्लुकात कुछ लोगों से हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप उस जगह पर सेफ रहेंगे, चाहे आप अपने काम को अन्जाम दे या न दें । तो मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी खराब चीज है। हमारे अफसर समझते हैं कि हम क्यों जाकर मेहनत करें जब हम बगैर किसी मेहनत के अपनी जगह पर मुस्तकिल रह सकते हैं । आखिर को हम इन्सान हैं और हर इन्सान में बहरहाल कुछ न कुछ खराबी तो होती ही है, अगर ऐसा न हो तो हम इन्सान ही क्यों कहलावें । तो वह कहते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूं जब आराम से मुझे रोटी मिलती है, तनख्वाह मिलती है तो क्या वजह है कि मैं एग्जर्ट करूं । तो यही वजह है कि आप एफीसियन्शी को रिवार्ड नहीं करते । आप उन लोगों को जो वाकई एफिसियन्ट हैं लिफ्ट नहीं देते हैं बल्कि उन लोगों को देते हैं जो काम भी नहीं कर सकते । तो जाहिर है कि वे लोग यह समझते हैं कि हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम काम करें । तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जैसा मैंने पहले कहा कि ४७ ही नहीं बल्कि चाहे आप दुगुनी और तिगुनी तादाद क्यों न कर दें लेकिन जब तक आप इस तरीके को बिलकुल नहीं बदलेंगे तब तक जो हम चाहते हैं कि हमारे कोर्ट्स अच्छे हों, एफीसियेन्ट हों लोगों को तकलीफ न हो, यह नहीं हो सकता । जब तक कि आप वह बुनियादी गलती, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, आप दूर नहीं करेंगे सिर्फ एक स्क्रू ठीक कर देने से काम नहीं चल सकता । आप असली वजूह ढूंढें, फैक्ट्स और फीगर्स तलाश करें कि किन अजला में कौन आफिसर्स ऐसे हैं कि जो वाकई अपने काम को सही तरीके से अन्जाम दे रहे हैं, कौन ऐसे हैं जो नेगलीजेन्ट हैं, कौन ईमानदार हैं, कौन बेईमान हैं । उसके बाद आप उन लोगों को निकालें जो नाअहल ह और उनकी जगह पर उन लोगों को लें जो वाकई ईमानदार और एफिसियन्ट हैं । इसलिये मैं गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाना चाहता हूं । एक रुपये के कटमोशन में कुछ नहीं होता है मगर यह इसलिये इस्तेमाल किये जाते हैं कि गवर्नमेंट की तवज्जह कुछ हालात पर दिलाई जा सके । इसलिये मैं अर्ज करता हूं और अर्जअल करता हूं और आनरेबिल मेम्बरान भी अर्ज करेंगे कि जरूरत इस बात की है कि एक इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर की जाय जो वाकयात का अन्दाजा लगाये और केसेज की तादाद को देखे और फिर देखे कि काम में कितना इजाफा हो गया है और आदमियों को किस हैसियत से बढ़ाना है । मैं समझता हूं कि गालिबन अगर दस साल पहले का मुकाबिला किया जाय तो आफिसर्स में २५०, ३०० परसेन्ट का इजाफा हो गया है । जाहिर है कि पहले जिले में ५,६ आदमी हुआ करते थे लेकिन आज १८,२० लोग मौजूद हैं । इससे साफ जाहिर है कि ३ सौ परसेन्ट का इजाफा हो गया है । इस तरह से कहां तक इसको कायम रखा जायगा ? मैं नहीं समझता कि ज्यादा अर्से तक हम जिन्दा रह सकते हैं अगर यही चाल ढंग रहा । लिहाजा मैं आपके जरिये से गवर्नमेंट की तवज्जह मबजूल कराना चाहता हूं और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि वह जल्द अज जल्द एक कमेटी मुकर्रर करे और उसके टर्म्स आफ रिफरेंस काफी वाईड होने चाहिए । यह कमेटी पूरे हालात में और वाकयात में जाय और जल्द

अपनी रिपोर्ट को सम्मिट करे और तब यह फैसला करना चाहिए कि कौन कौन आफिसर्स को रिटेन करना चाहिए और कौन से आफिसर्स ऐसे हैं जिनको रिटेन नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस में मेरी आवाज बेकार साबित न होगी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से अपना कटमोशन मूव किया है, मगर बदकिस्मती से मैं उनसे सहमत नहीं हूं। इसको मैं बाद को अर्ज करूंगा। पहले मैं बाकायदा अपने कटमोशन को मूव करता हूं।

उपाध्यक्ष---माननीय सदस्यों को कट मोशन मूव करने की आज्ञा नहीं है। वह पहले ही पेश हो चुका है।

श्री सीताराम शुक्ल---हुजूरवाला, मेरे पूर्ववक्ता ने एक तरफ तो यह फरमाया है कि पहले आफिसर्स कम होते थे और काम ज्यादा होता था। अब दुगुने, तिगुने हो गये हैं लेकिन फिर भी काम कम हो रहा है। इसकी शिकायत आम लोगों को है। आपने सुना है कि जब स्पीच खत्म हुई है तो काफी तालियां बजी हैं और लोगों ने उसको एप्रीशियेट किया है किन्तु मेरी प्रार्थना यह है कि आज इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि क्यों काम कम होता है, क्यों शिकायतें होती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि काम ज्यादा पड़ हुआ है, मुकदमें खत्म नहीं होते हैं। अगर आदमियों को बढ़ा दिया जाता है तो शिकायत होती है कि क्यों बढ़ाये जाते हैं।

आपने जो शिकायत की है वह एक पहलू ही की है। आप की राय में सब आफिसर्स अच्छे नहीं है। इसकी आपने शिकायत की है लेकिन ऐसे आफिसर्स भी हैं जिनकी इज्जत की जाती है और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वह आज से नहीं बल्कि जब अंग्रेजी सरकार थी तभी से अच्छा काम करते थे। अंग्रेजों के जमाने में कुछ आफिसर्स ऐसे थे जो अपना काम करते हुए भी कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। मैंने ब्रिटिशर्स के जमाने में सरकारी आफसरान से देश के काम में हेल्प ली है। अगर उस समय की सरकार को पता चल जाता तो वह अफसर बरख्वास्त हो जाते। वह सरकार के नौकर थे मगर उनमें हुब्बल वतनी थी, अतः वह अपनी नौकरी को खतरे में डालकर भी अप्रत्यक्ष मुल्क का काम करते थे। इसलिये आपने जो फरमाया है वह शिकायत सब पर लागू नहीं होती है। मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग एसे हैं जो समझते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल गई है, अतः हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। इसका कारण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि सरकारी अफसर अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अब अपना राज्य हो गया है इसलिये अब वे भी राजनीति से दिलचस्पी लेते हैं। उन लोगों में भी मुख्तलिफ विचारधारा के लोग मौजूद हैं। बावजूद इस हिदायत के कि सरकारी अफसर राजनीति में हिस्सा न लें बहुत से आदमी कांग्रेस के काम में हिस्सा लेते हैं। इसकी वजह यही है कि लोग अपने अपने विचार रखते हैं। कोई कांग्रेस के विचार के हैं, कोई सोशलिस्ट विचारों के हैं कोई मुसलिम लीग के विचारों के हैं. कोई हिन्दू महा सभा के विचार के हैं? लेकिन वह अपने विचार मुख्तलिफ रखते हुए भी किसी कानून की गिरफ्त में नहीं आते हैं। अपनी कुर्सी को बचाते हुए जहां तक मुमकिन होता है अपनी विचारधारा के लोगों को सपोर्ट करते हैं। इस बात पर विचार करना चाहिए कि आया इसको दूर किया जा सकता है या नहीं। किसी भी विचारधारा को आप धमकी से नहीं बदल सकते हैं इसके लिये प्रचार की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसा किया है कि सरकारी अफसर राजनीति से अलग रहें तो यह ठीक ही किया है ताकि किसी आदमी अथवा पार्टी को शिकायत करने का अवसर न हो मगर यह तो बहुत कुछ अफसरों के ऊपर निर्भर करता है कि वह कहां तक इसकी पाबन्दी करते हैं। हमारे यहां डी० एम० श्री पी० एम० खरे घाट गये थे तो वहां जाकर उन्होंने थोड़े दिनों के अन्दर ही सब कुछ ठीक कर दिया और रिश्वत लेना भी बन्द कर दिया। मैं नहीं मानता कि अगर डी० एम० मेहनत से कुछ करना चाहें तो वह सब बातों को ठीक नहीं कर सकते हैं बशर्ते उसमें हस्तक्षेप ऊपर से न किया जाय। अगर जिले का

[श्री सीताराम शुक्ल]

सबसे बड़ा अफसर सही काम करता है तो नीचे के कर्मचारी भी वैसा ही करने लगेंगे क्योंकि उसका असर अच्छा या बुरा जरूर पड़ता है। भगवान श्रीकृष्ण जी ने गीता में कहा है कि

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।।

भावार्थ यह है कि बड़े लोग जैसा काम करते हैं साधारण लोग उसी का अनुसरण करते हैं जो अफसर ऊपर के हैं उनके चरित्र पर निगाह होना जरूरी है जिलाधीश तो सब के ऊपर नजर रखता है, लेकिन जिलाधीश पर कौन नजर रखता है। मैं निवेदन करूंगा कि उसके ऊपर मंत्रिमंडल को नजर रखना चाहिये। महानीतिज्ञ श्रीमान् चाणक्य महाराज ने कहा है कि राजा अपने वजीर पर नजर रखता है, मगर वजीर को यह मालूम नहीं होना चाहिये कि राजा उसके ऊपर भी नजर रखता है। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि अगर ठीक ढंग से प्रचार किया जाय तो कोई मुश्किल नहीं है कि सुधार न हो। मैं जहां पर अफसरों की तारीफ करता हूं तो वहां पर यह नहीं कहता कि सबके सब कर्मचारी योग्य हैं, उनके अन्दर कमजोरी नहीं है। मैं कहता हूं कि उनके अन्दर कमजोरी है, लेकिन यदि सही प्रचार किया जाय तो दूर हो सकती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो अफसर अच्छा काम करते हैं उनकी तरक्की होनी चाहिये, लेकिन किसी सिफारिश के आधार पर नहीं होना चाहिये। उनके काम के आधार पर तरक्की होनी चाहिये। आजकल तो यह है कि अगर किसी की सिफारिश नहीं पहुंची तो योग्य अफसर की भी तरक्की नहीं होती है। इस तरह से नहीं होना चाहिये। केवल योग्यता देखकर तरक्की होनी चाहिये। जो अफसर अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिये।

हिन्दी के बारे में बड़ा जोर दिया जाता है कि सारा काम हिन्दी में होना चाहिये। लेकिन साधारण कर्मचारी लोग हिन्दी कैसे सीखें, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनको पे कम है अतः ट्यूटर नहीं रख सकते अतः आप यदि हिन्दी का प्रचार चाहते हैं तो हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को आज्ञा दें कि हिन्दी न जानने वालों को हिन्दी सीखने में सहायता करें तो यह कठिनाई दूर हो सकती है। जब बृटिश सरकार थी तो अफसर लोग कहा करते थे कि हम कांग्रेस सरकार का काम आधी तनख्वाह ले कर भी करेंगे क्या आज थोड़ा समय सामाजिक काम में नहीं लगा सकते? आज भले ही वह लोग महंगाई की वजह से तकलीफ में हैं लेकिन थोड़े दिन वह सब से सरकार का काम करें तो वह दिन दूर नहीं जब कि यहां की माली हालत सुधर जायगी। उस समय या तो उनका वेतन बढ़ेगा या चीजें सस्ती होंगी। इसी सिलसिले में मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अफसरों को खबर दे कि फलां आदमी रिश्वत लेता है अथवा लापरवाही करता है उसको इनाम मिलना चाहिये। ऐसा करने से घूसखोरी कम हो सकती है। फलस्वरूप आजादी की तरह स्वदेश का शीघ्र सुधार भी हो जायगा।

श्री श्रीचन्द (जिला मुजफ्फरनगर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में अधिक कहना नहीं चाहूंगा, परन्तु साथ में ही पुरजोर हिमायत ख्वाजा अतहर हुसैन साहब की करता हूं कि उन्होंने जो अपने खयालात का इजहार किया वह निहायत तारीफ के काबिल है और मैं समझता हूं कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनके बारे में तहकीकात की जाय और मालूम किया जाय। मैं अपने मित्र शुक्ल जी की भी तारीफ करता हूं परन्तु वह शास्त्र की बातें हैं, वैदिक बातें हैं, वहां तक तो दिमाग पहुंचना कठिन है, परन्तु मैं दो एक और बातें आपके द्वारा कहना चाहता हूं। मैं इसको अच्छी तरह से जानता हूं और अपनी कांस्टीटुएंसी में पूरे तरीके से देख चुका हूं। तहसील बुढ़ाना, जिला मुजफ्फरनगर में है वहां मैंने देखा है कि जब से एस० डी० ओ० तहसीलों में तैनात हुए हैं वहां अक्सर पटवारियों को बुलाया जाता है और अक्सर पांच-पांच और छः-छः बार वह

बुला कर वापिस लौटा दिये जाते हैं। उनको तहसीलों में बुलाया जाता है और देखा जाता है कि कुछ काम नहीं है। कुछ फार्मों के खाने बने हुए हैं उनको समझाने के लिये तहसीलदार के पास गये, तहसील में गये, रजिस्ट्रार कानूनगो के पास गये, परन्तु किसी ने भी इस बात को नहीं किया कि पूरे फार्म हमारे सामने रख दिये जायं। उन्होंने जवाब दिया कि अभी फार्म मुहैया नहीं किये गये हैं। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जिस विचारधारा को लेकर आपने कार्यवाही आरम्भ की है वह चीज उस तरह से वहां नहीं हो रही है और वह सब बेकार पड़े हुए हैं। साथ ही साथ अगर कार्यवाही इस तरह से होती कि यह काम तहसीलदारों के सुपुर्द कर दिया जाता तो बड़ी आसानी होती, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है और बड़ी दिक्कतें सदर और तहसीलों में सब जगहें हैं। यह दो लाख ५१ हजार ४०० रुपया जो इस मद के लिये रखा गया है वह रुपया यदि छोटे चपरासियों या छोटे वर्ग के मुलाजिमों का वेतन बढ़ाने के लिये रखा जाता तो उससे बहुत लाभ हो सकता था। कम से कम जिनका वेतन ५० रु० से कम है उनके हिस्से में ३ रुपया फी आदमी तो आ ही जाता। मैं इसके लिये कोई अनुरोध नहीं करता। इसको पास करना ही है, इसलिये अधिक मुझे कहना नहीं है और मैं इस कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ख्वाजा साहब की तकरीर के बाद कुछ कहने को तो किसी के पास भी कम रह गया है और ऐसी उम्दा तकरीर के लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और उनके लिये यह मामूली बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी उनमें इतना साहस हुआ कि वह सरकार को बतला सके कि उसका जिलों का ऐडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चल रहा है। यह कहना कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ इतना काफी है वही स्टाफ कंपेंसेशन रोल भी बन सकता है और उसके साथ ही साथ वे कैसे वर्क भी कर सकते हैं। वे काम बगैर स्टाफ के कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यह तो मैं ठीक तरीके से नहीं कह सकता, क्योंकि ख्वाजा साहब ने, हो सकता है कि एक ही जिले की बात कही हो। हो सकता है सहारनपुर में स्टाफ बहुत ज्यादा हो। इसलिये ऐसी सूरत में जब कि हमें पूरी वाकफियत नहीं है यह कहना कि स्टाफ काफी है अनौचित्यपूर्ण है। इसके लिये तो गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही ठीक जान सकते हैं कि उनके जिलों में स्टाफ की जरूरत है या नहीं। डिस्ट्रिक्ट में जो नियुक्तियों की आवश्यकता है वह जरूर होनी चाहिये। उनके संबंध में बाधा डालना मुनासिब नहीं है। लेकिन इसके संबंध में जो जुडीशियल आफीसर्स रखे जा रहे हैं उनके संबंध में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि क्योंकि यह चीज परमानेंट नहीं है उसके लिये क्यों नहीं आनरेरी स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर लिये जाते हैं? कोई वजह नहीं कि वे काम नहीं कर सकते हों। और यह कहना कि जब तक सर्विसेज में सिक्योरिटी नहीं होगी तब तक कोई आदमी ईमानदार नहीं हो सकता, यह मुनासिब नहीं मालूम होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हैंपोरेरी पोस्ट्स पर रहते हुये भी बहुत ईमानदारी से काम किया है और ऐसे भी लोग हैं जो परमानेंट पोस्ट्स पर होते हुए जैसे उन्हें काम करना चाहिये था वैसे नहीं किया है।

ऐडमिनिस्ट्रेशन में एक खराबी की वजह हम एम० एल० एज० भी हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में जो एम० एल० एज० हैं वे डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को मजबूर कर देते हैं किसी काम के करने को और वे भी यह सोचते हैं कि अगर हमने इनको नाराज कर दिया तो कल गहरे पानी में होंगे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने सब एम० एल० एज० पर लांछन लगाया है।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं माननीय सदस्य का ऐसा अभिप्राय नहीं था।

श्री अवधेश प्रताप सिंह—इसका भी तमाशा बन रहा है और यही बात है कि अनड्यू इंफ्लूएंस की वजह से वे लोग काम नहीं कर पाते हैं। हर आदमी जो सर्विस में है वह लायक और ईमानदार नहीं ऐसे रिमार्क पास करना जनरली ठीक नहीं है। हर जगह बुरे भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये आज यह कहा जाता है कि बहुत ही नीचे स्तर का बन रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि यही मौका है जब कि गवर्नमेंट को ऐडमिनिस्ट्रेशन का स्तर ऊंचा उठाना चाहिये नहीं तो आगे चल कर उसकी भयानकता प्रकट होगी।

आजकल लिटीगेंट्स को इंतिहाई तकलीफ है। जैसा कि मेरे दोस्त ख्वाजा साहब ने फरमाया ४० मील से लोग आते हैं। कोई गरीब आदमी जो इतनी दूर से आता है अपने साथ ४ रुपया लेकर चलता है रास्ते में कुछ खाता है और जब वह कोर्ट्स में आता है बगैर वकील साहब के उसका काम नहीं चलता। जो कुछ उसके पास बचा होता है वह वकील साहब की भेंट हो जाता है। फिर भी उसका काम नहीं होता और घर वापिस जाने के लिये भी उसके पास पैसा बाकी नहीं रहता। अगर यही तरीका कोर्ट्स का चलता रहा तो मैं सही बतलाता हूं कि लोग कोर्ट्स का मुंह देखना बन्द कर देंगे और जो नुकसान अदालत में जाकर होता है उसको वहीं सहने की कोशिश करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

विल मन्त्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यह कटमोशन जिस पर कि इस वक्त बहस हुई, जिस अनुदान के ऊपर है उसमें एक मांग जुडीशियल आफिसर्स के लिये है, जिस पर एक साहब ने जो मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, एक तकरीर की। उस तकरीर की निस्बत जैसा कि अभी एक दोस्त फरमा रहे थे, यह मालूम हुआ कि इस ऐवान को उन बातों के साथ, जो उसमें कही गयी थीं, हमदर्दी है। बात हमदर्दी की है, सही है। यह बात कि खर्च फजूल नहीं होना चाहिये, हर एक का फर्ज है, बिलखसूस गवर्नमेंट का कि वह इस बात को पूरी तौर पर अपने सामने रखे कि जो रुपया खर्च के लिये उसे मिलता है वह फजूलखर्च न हो। इसकी जांच कि रुपया फजूल तौर पर खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे हो। एक तरीका मेरे उन दोस्त ने अपनी तकरीर में बतलाया कि एक कमेटी बिठाई जाने की जरूरत है जिसके जरिये यह जांच करायी जाय कि आजकल किस किस जगह रुपया फजूल खर्च हो रहा है। मैं एक रोज इस ऐवान में, अभी चन्द रोज हुए, यह बात मेम्बरान की इत्तिला में ला चुका था कि गवर्नमेंट ने इसकी देखभाल के लिये एक कमेटी बिठाई थी। जो कमेटी बैठायी थी उस कमेटी का नाम, "इकनामी ऐंड इनश्योरेंस कमेटी" था। उसके प्रेसीडेंट डाक्टर पन्नालाल, जो पिछले जमाने में, सन् ३७ में, जबकि यहां कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब वह यहां के चीफ सेक्रेटरी थे। उसके सामने मुख्तलिफ आदमियों की शहादत हुई और उन्होंने हर मुहकमे के मुताल्लिक यह जांच की कि कहां कहां कितना स्टाफ है और आजकल की जरूरत के लिहाज से उस स्टाफ का रहना जरूरी है कि नहीं है। उन्होंने उस पर एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर गवर्नमेंट ने अमल किया, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट ने तकरीबन दो करोड़ रुपया खर्च घटाया। उसके बाद फिर एक स्पेशल अफसर जो फाइनेंस से बहुत उम्दातौर पर वाकिफ थे, इस काम के लिये मुकर्रर किये गये। उन्होंने भी यहां के मुख्तलिफ मुहकमों के मुताल्लिक गवर्नमेंट को यह राय दी, इकनामी की बाबत उन्होंने भी राय दी और उनकी सिफारिशात की बिना पर भी खर्चे में तखफीफ की गयी और उसका टोटल इस वक्त तक ढाई करोड़ के करीब खर्चे में कम करना हुआ।

तीसरी बात यह है कि जिन आदमियों के चार्ज में आजकल मुहकमे हैं उनको भी गवर्नमेन्ट की जानिब से इस बात की हिदायतें और ताकीद रहती है कि खर्चा जहां तक हो कम हो और कोई फिजूलखर्ची न होने पाये। तो मैं तो इन दोनों बातों की ताईद करता हूं कि खर्चा फिजूल नहीं होना चाहिये और खर्चे के ऊपर हमेशा मुस्तिकल तौर पर निगाह रहनी चाहिये और इस किस्म के जराये इस्तेमाल होते रहने चाहिये जिससे यह मालूम होता रहे कि खर्चा

किस जगह पर गलत और फिजूल हो रहा है और अगर हो रहा है तो उसको घटाया जाय। यह तो गवर्नमेन्ट का अमल है इस मामले में जो इस वक्त तक रहा है। अब यह कि मेरे दोस्त ने जिस बिना पर तकरीर की वह था जेनरलाइज करके हुकूमत के आम काम के ऊपर फैसला दे दिया मेरे नजदीक वह सही नहीं है।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। मेरी तकरीर का मतलब शायद आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने समझा नहीं। मैंने तो इसी डिपार्टमेन्ट के ऊपर कंसेंट्रेट किया था और जो कुछ खराबियाँ मैंने बताईं वह इसी के बारे में है।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--जो खराबियाँ बयान की गईं वह तो मैं फिर कहता हूं बावजूद उनके इरशाद फरमाने के कि वह खराबियाँ आम ही बयान की गईं। उनमें कोई स्पेसीफिकेशन नहीं है लेकिन वह मुहकमा जिसके मुताल्लिक वह इरशाद फरमा रहे हैं अगर उन्होंने उसके मुताल्लिक एक बात भी ऐसी बतलाई होती जिसकी बिना पर कोई साहब यह समझ सकते कि इसमें किस तरीके से तखफीफ हो सकती है या वह काम जिस काम के लिये यह चीज मांगी जा रही है उसके लिये इस काम की जरूरत नहीं है तो मैं अर्ज करता हूं कि फिर यह बात कहने का पूरा मौका होता। अभी राजा साहब जो बोल रहे थे उन्होंने इसकी बेसिक बात को तसलीम किया कि उनको उस आदमी की जगह दूसरे आदमी से काम लेना मंजूर है जिसको किसी दूसरी जगह काम के लिये भेज दिया जाय और बगैर दूसरे आदमी के उस काम को नहीं किया जा सकता। यह हो सकता है उन्होंने दूसरा ढंग बतलाया लेकिन उन्होंने इस बात को तसलीम किया। तो जहाँ अतहर हुसैन साहब की वह राय है वहाँ यह राय भी है जो उनके खिलाफ है। राजा साहब ने यह कहा कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स से काम ले लो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जरिये यह काम हो सकता है और उनके ऊपर इत्मीनान किया जा सकता है। मैं यह अर्ज करूंगा कि हमको देखना यह भी चाहिये कि जो एस० डी० ओज० हैं उनको हेडक्वार्टर्स से हटा करके डिस्ट्रक्ट हेडक्वार्टर्स से हटा करके दूसरी जगह भेज दें तो उनके जरिये से और जो मुतफर्रिक काम होते थे और जिनकी तफसील इसमें लिखी हुई है वह उनके पास नहीं रहेंगे और न हो सकते हैं। इसलिये उनकी जगह पर नये आदमियों की जरूरत होगी तो अगर हम वह तदबीर अख्तियार करें जो हमारे दोस्त ने बतलायी है आनरेरी आदमी रखने की, आनरेरी आदमियों से काम लेने की उसमें इस बात के देखने की जरूरत है कि जो काम हम लेना चाहते हैं वह किसी आनरेरी आदमी से लेना चाहिए या नहीं। आप मुझको आनरेरी मैजिस्ट्रेट इसलिए कर दें कि मैं कुछ मुकद्दमे तय किया करूं। हो सकता है। लेकिन इसमें जो लिखा है जो काम उस काम को आप देखें। मेरे हाथ में जो किताब है उसमें अंग्रेजी में लिखा हुआ है मैं उसको हिन्दी करके पढ़ देता हूं। बहुत से एक्जिक्यूटिव काम हैं कलेक्टरेट से मिले हुए सेल्स, स्टाम्पस, लैंड एक्वीजीशन, लैंड रेकार्ड्स, नजारत, कापींग डिपार्टमेन्ट, लैंड रिफार्म्स, ग्रो मोर फूड, लोकस्ट आपरेशंस, एलेक्शंस वगैरह। और आगे छोड़ दिया और बातों को। इतनी बातें गिना दी गयी हैं। तो कम से कम मेरी समझ इस बात के समझने से कासिर है कि एक आनरेरी आदमी को नजारत का काम करने के लिए रख लें एक आनरेरी आदमी को खजाने का काम करने के लिये रख लें। आनरेरी आदमी को मुकद्दमे.....

श्री अवधेश प्रताप सिंह--जरा सा और पढ़ लें। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसके यह मानी नहीं हैं कि आप उसके लिए आनरेरी मैजिस्ट्रेट्स रखिये। उसके लिए न रखिये। आपके पास तो और भी डिप्टी कलेक्टर्स हैं।

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम--तो यह काम तो नहीं होगा आनरेरी आदमियों से।

श्री अवधेश प्रताप सिंह--बिलकुल ठीक ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--तो यह बात जो तजवीज हुई कि यह काम जो मैंने अभी पढ़ा आनरेरी आफिसर्स से नहीं होगा । अब सिर्फ सवाल यह रहता है कि आनरेरी आफिसर्स भी मत रखो और यह आदमी जिनको इसमें रखने की तजवीज हुई है उनको भी मत रखो इसलिये कि हेडक्वार्टर्स पर स्टाफ इतना ज्यादा है उसके जरिये से काम हो सकता है और उसकी मिसाल में ख्वाजा साहब ने कहा और जो साहब एतराज कर रहे हैं वह अपनी कही हुई बात भूल गये कि यह बात सही नहीं है कि हर जिले में स्टाफ कुछ ज्यादा है । सहारनपुर में होगा । और जिले ऐसे हैं जहाँ स्टाफ की हालत वह नहीं है । वहाँ से काम करने वाले आदमी निकाले नहीं जा सकते। वहाँ पर आनरेरी स्टाफ से काम लिया जा सकता है । मैं जो समझा वह तो यह है कि चूंकि जिलों में आदमी कम हैं वहाँ पर रखने की जरूरत हो तो आनरेरी स्टाफ रख लें। मैंने यह अर्ज कर दिया कि आनरेरी स्टाफ से यह काम चल नहीं सकता ।

ख्वाजा साहब ने कहा कि सहारनपुर में जरूरत नहीं है और उन्होंने सहारनपुर के साथ दूसरे जिलों को भी लपेट लिया । मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने सिविल लिस्ट देखी होती.....

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--कम से कम बिजनौर की पोजीशन वही है, जो सहारनपुर की है ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--ताअज्जुब नहीं । एक साहब पर्सनल नालेज रखते हैं सहारनपुर जिले की और मैं जिला बिजनौर की पर्सनल नालेज रखता हूं ....

श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)--प्वाइन्ट आफ आर्डर । इस सदन में बहुत से माननीय सदस्य बिना चेयर की अनुमति के बातें कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है ।

उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि ऐसा करना ठीक नहीं है ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--बहुत शुक्रिया उस नसीहत का है, जो किसी तरफ से हो और उस नसीहत को कबूल करने के लिये इस्तेदाद और सलाहियत इस बात में चाहिये। उसकी निस्बत मैंने गवर्नमेन्ट की तरफ से अर्ज किया कि वह मशविरा बहुत सही है, बहुत माकूल है । उसके ऊपर गवर्नमेन्ट अमलदरामद भी कर रही है और करती रहेगी और अगर आज से आइन्दा मेरे दोस्त ख्वाजा अतहर साहब और ज्यादा हिम्मत इस मामले में फरमायेंगे और ज्यादा मशविरा देने की जरूरत समझेंगे तो मैं समझता हूं कि मैं उसको बहुत ही शौक के साथ कबूल करूंगा और मैं उनको इस काम में खींचूगा क्योंकि वह भी इस काम में गवर्नमेन्ट की मदद कर सकते हैं ।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा--अगर बारे खातिर न हो ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--अगर बारे खातिर होता तो मैं उस खुशगवारी के साथ उनको दावत नहीं देता जिस खुशगवारी के साथ मैंने दावत दी है । लेकिन जहाँ तक इस काम का ताल्लुक है जिसकी वजह से आदमी माँगे जा रहे हैं उसकी बुनियाद तो सिर्फ इतनी ही है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कुछ आफिसर्स चले जायेंगे उनका चला जाना एक काम के वास्ते जरूरी है । उनकी जगह पर और आदमी रखने हैं और कुछ आदमी उसके लिये माँगे गये हैं ताकि कलेक्टर के पास हर जिले में और कामों के करने के वास्ते आदमी हो जायं । दूसरी जो एक आम बात मेरे दोस्त ने कही तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने शायद कभी यह अन्दाजा किया कि आजकल कितना काम है ? आजकल इस जमाने में इतना काम है कि जो पिछले जमाने में कभी नहीं हुआ । आजकल प्रेशर इतना है पब्लिक डिमांड का पब्लिक की तरफ से कामों का उसकी वजह से मुहकमों के मल्टिप्लाई होने का मुहकमों में आदमियों के होने का कि अगर एक-एक आफिसर के पास और क्लार्क के पास जितनी रिसीट्स होती

है कि अगर उनका हिसाब लगाया जायगा तो नतीजा यह निकलेगा कि एक आदमी की काम्पीटेंस से और उसके कोप करने के हिसाब से बाहर है काम। इस तरह भी अन्दाजा करें और मैं उनको इस रिपोर्ट को दूंगा और वह उसको पढ़ें उसका मुलाहजा जरूर फरमाएं। वह पहले भी बट चुकी है। जबसे नया लेजिस्लेचर आया है तब से बटी है या नहीं यह नहीं मालूम, लेकिन पहले वह बट चुकी है मैं उनकी खिदमत में उस रिपोर्ट को पेश कर दूंगा और उसका वह मुतालआ फरमा लें और फिर से अपनी राय को रिवाइज करें। लेकिन मैं उनकी तकरीर को तवज्जह से सुनते रहने के बावजूद बाकई तौर पर जनाब के जरिये से उनकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि उस ग्रांट की बदकिस्मती थी कि कटमोशन तो उन्होंने देना चाहा लेकिन इस ग्रांट के मुताल्लिक जो कुछ उनको कहना था वह कहा नहीं और जिस नतीजे पर उनको पहुंचाना था वह ऐसी बात थी कि जो थी जमीन की तरफ और मैं देखता रहा आसमान की तरफ। मैंने आसमान की तरफ देख कर जमीन का फैसला किया लेकिन वह फैसला गलत उतरा। उससे इस बात की तरदीद नहीं होती कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से बाहर ट्रांसफर हो जाने और दूसरी जगह भेजने पर किसी की इमदाद की जरूरत नहीं रहेगी। यह मसला जिस वक्त कि फाइनेंस कमेटी में पेश हुआ तो उसने इस बात से बिलकुल इत्तफाक किया कि इनकी जरूरत है और इन लोगों को किस तरीके से रिक्रूट किया जाय इस रिक्रूटमेंट के मुताल्लिक वहाँ पर बहुत सी गुफ्तगू हुई और यह तय हुआ कि यह जुडीशियल आफिसर्स रखे जायं। तो एक कमेटी जो इस हाउस की है वह भी इस मसले पर गौर कर चुकी है कि फिल्वाकय उसकी जरूरत है या नहीं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि यह एक कमेटी की राय है या गवर्नमेंट की राय है मैं मेम्बर हूं इस ऐवान का एक सदन का जोकि यू० पी० के एक हिस्से से आया हूं। मेरी भी यही राय है जिला बिजनौर के हालात को देख कर यह राय है और जहाँ तक मैं समझता हूं जो कुछ मेरे दोस्त ने कहा उसको सुनने के बाद जो नतीजा निकलता है उसकी बिना पर मेरी राय है कि यह जुडीशियल आफिसर्स रखे जाने चाहियें। यह फिजूलखर्ची नहीं है ये जरूरी हैं और इनके बगैर सरकार के काम का हर्ज होता है।

श्री फूल सिंह---श्रीमान् जी, माननीय वित्त मंत्री के भाषण के बाद मुझे कुछ कहना नहीं है बजुज दो बातों के। एक तो यह कि प्रश्न यह नहीं है कि हमारे पास जितना काम है उससे ज्यादा अफसर हैं। बल्कि जैसा अभी इस भवन में बताया गया हमें कुछ अफसरों की जरूरत है और वह जरूरत हमने बिला जरूरत नहीं कायम कर ली है ५१ जिलों में हमने चार जिलों को पहले ही कम कर दिया है। केवल ४७ की हमने मांग की है। हो सकता है कि गुंजायश होने पर हम इनमें से भी कुछ कम कर दें।

दूसरी मुख्य बात यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण के बाद यह भी निश्चय हुआ कि जो काम इनको करने पड़ेंगे उनको अवैतनिक कर्मचारीगण नहीं कर सकते। लेकिन यह कहा जा सकता है कि जुडीशियल अफसरों को इस काम पर लगा करके जुडीशियल अफसरों का काम अवैतनिक कर्मचारियों से कराया जाय। यह जो इन जगहों की पूर्ति की जा रही है इसके लिये यह एतराज किया गया है कि अस्थाई कर्मचारीगण ठीक तरह से काम नहीं कर सकेंगे और फिर उसके बाद उनका क्या होगा। मैं भवन के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास इस समय भी बहुत सा ऐसा स्टाफ है, जैसे सिविल सप्लाइज का मुहकमा है, जिसको शायद हमें हटाना पड़े। जो शिकायत आपकी इस अस्थायी स्टाफ के लिये होती थी वही शिकायत इस स्टाफ के लिये, जो इस अनुदान में मांगा जा रहा है, हो सकती है। इसलिये यह एतराज पैदा नहीं होता है।

[श्री फूल सिंह]

मैं बहुत गौर से उस तादाद को सुनता रहा जो सहारनपुर के जिले के मुतालिक बतलाई गयीं । उस तादाद में आपने आनरेरी मैजिस्ट्रेट और स्पेशल मैजिस्ट्रेट को भी शामिल कर लिया है । उनको शामिल करने के बाद भी आप देखेंगे कि कोई एस० डी० ओ० किसी जिले में ऐसा नहीं है जो एक्सट्रा हो। जुडीशियल अफसर एक्सट्रा है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पैदा नहीं होता है कि जितने जुडीशियल अफसर अब मौजूद हैं, उनमें से अगर ४७ कम कर दिये जायें तो काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। माननीय सदस्यों को अब भी यह शिकायत है कि मुकद्दमे मुद्दतों तक पड़े रहते हैं और काफी लम्बी पेशियाँ पड़ती हैं। अगर मौजूदा संख्या में से ४७ कम कर देंगे तो मुकद्दमों के विचार में और भी विलंब हुआ करेगा इसलिये मेरा निवेदन है कि उन सब बातों पर विचार करके आप इस माँग को मंजूर करने की कृपा करें।

यह जाँच करने वाली बात भवन में कई अवसरों पर आ चुकी है। आपने एक एस्टिमेट्स कमेटी नियुक्त की है। वह हर विभाग की अलग अलग छानबीन करेगी। तो यह प्रश्न तो मुनासिब है मगर मैं समझता हूं कि उसके लिये दूसरा अवसर आयेगा। आज तो आप के सामने प्रश्न केवल यह है कि जमींदारी उन्मूलन का काम करने के लिये हमें ४७ अफसरों की जो आवश्यकता थी और जिस आवश्यकता को हमने डिप्टी कलेक्टरों से पूरा कर लिया उनकी जगह की पूर्ति के लिये आप ४७ अफसरों की माँग स्वीकार कर लें। मैं आशा करता हूं कि माननीय सम्बर अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय इस समय सदन के सामने उपस्थित है उसके संबंध में माननीय वित्त मंत्री और माननीय उपमंत्री का भाषण सुनने के बाद भी मैं केवल दो शब्द निवेदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्रस्ताव यह है कि जमींदारी विनाश के कारण डिप्टी कलेक्टरों के अपने जिले के सदर मुकाम को छोड़ कर अपने तहसील के सदर मुकाम पर चले जाने की वजह से कुछ आवश्यक सरकारी कामों के लिये एक आफिसर की हर जिले में जरूरत पड़ती है और वह आफिसर उनमें से लिया जायगा जो जुडीशियल आफिसर या जुडीशियल मैजिस्ट्रेट की हैसियत से काम कर रहे हैं। यों तो बात ठीक मालूम होती है कि डिप्टी कलेक्टरों के चले जाने की वजह से बहुत से ऐसे काम हैं जिनके लिये एक आफिसर की आवश्यकता होती है। और ऐसा अधिकारी वर्तमान जुडीशियल अफसरों में से नियुक्त किया जाय इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसको जुडीशियल मैजिस्ट्रेट में से ले लेने से हर जिले में एक आदमी नया लिया जायगा और वह एक आदमी केवल ८—९ महीने तक काम करेगा जब तक कि डिप्टी कलेक्टरान अपनी-अपनी तहसीलों के सदर मुकामों में रहेंगे। तो एक आदमी के काम को बड़ी आसानी से ४, ५ या ६ जितने भी जुडीशियल आफिसर्स हर जिले में शेष रह जाते हैं उनमें बांटा जा सकता है केवल ८—९ महीने के लिये और अब जमींदारी उन्मूलन के बाद तो और असानी से बाँटा जा सकता है। इस सदन के बहुत से सदस्य वकील हैं और दूसरे जो कचहरियों का तजुर्बा रखते हैं वे जानते हैं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद साल के मुकद्दमों में बहुत कमी हो गयी है और विशेषकर जमींदारी अधिनियम के अनुसार जो बहुत से माल के मुकद्दमे दीवानी अदालतों में चले जायेंगे तो और भी काम कम हो जायगा। जो जुडीशियल आफिसर्स यहाँ काम करते हैं उनके सामने माल और फौजदारी के ही मुकद्दमे हैं। फौजदारी के मुकद्दमे हजारों की तादाद में फैली हुई पंचायती अदालतों में चले जाया करते हैं और थोड़े से मुकद्दमे जो डिप्टी कलेक्टरान किया करते थे दफा १०७ और दफा ११० के वे जुडीशियल मैजिस्ट्रेट्स में बांटे जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि यदि हमारी सरकार अपनी प्रतिष्ठा का ख्याल न करके और इस सदन के उन सदस्यों की जो कचहरियों में काम करते हैं सलाह ले तो मैं यह दावे के साथ

कह सकता हूं कि ९ महीने के लिये यह काम अस्थानी से शेष जुडीशियल अफसरों में बाँटा जा सकता है और जो नयी नियुक्तियाँ होने वाली हैं उनकी कदापि आवश्यकता नहीं है। अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि संभवतः उस विभाग के आदमियों को जिनको वह तोड़ने की सोच रहे हैं जैसे सिविल सप्लाइज विभाग उनके आदमियों को ऐबसार्ब करने के लिये ये नयी नियुक्तियाँ की जा रही हैं। संभवतः उनके लिये और भी ज्यादा उपयोगी काम सोचे जा सकते हैं जिनसे इस देश का ज्यादा हित हो और उनकी सेवायें अधिक महत्वपूर्ण कामों में ली जा सकती हों। जाहिर है कि ये नयी नियुक्तियाँ इस काम के लिये मुनासिब नहीं जान पड़तीं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सदन के उन सदस्यों की जिनको उन मुकद्दमों को आँखों से देखने का अनुभव हो रहा है, सलाह लें और जो अभी मेरे भाई ख्वाजा साहब ने निवेदन किया वह उतना ही सत्य है जितना कि आकाश में सूर्य का होना। इसलिये मैं समझता हूं कि ये नयी नियुक्तियाँ इस विभाग में सर्वथा अनावश्यक हैं।

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा (जिला गोंडा)--ख्वाजा साहब की बातों को मैंने सुना और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा अच्छी बातें उन्होंने बतलायी हैं। सिर्फ मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो उनका यह सुझाव है कि एक कमेटी बिठलाई जाय कि जो हर जगह जा कर इस बात को दरियाफ्त करे कि कितने ईमानदार हैं, कितने बेईमान हैं, किनको रखा जाय और किनको निकाला जाय। यह भी ठीक है मगर जो पुराने लोग हैं वे मेरे ख्याल से ज्यादा कामयाब साबित होंगे।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैं एक सुझाव और देता हूं कि आजकल जमींदारी उन्मूलन के बाद तथा डेट लेजिस्लेशन वगैरह के आने की वजह से सब-रजिस्ट्रार्स के यहाँ रजिस्ट्री का काम बहुत कम हो गया है और मेरे ख्याल से हेडक्वार्टर्स पर जो सब-रजिस्ट्रार्स होते हैं तो बी० ए० एल-एल० बी० हैं और मैजिस्ट्रेट का काम भी करते हैं। तो अगर उनके सुपुर्द यह काम कर दिया जाय तो ४७ आदमियों को रखने की जरूरत न पड़े और गवर्नमेंट का खर्चा बच जाय। सिर्फ इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैं समझा नहीं, आपने क्या फरमाया कि किसके सुपुर्द कर दिया जाय?

श्री ज्वाला प्रसाद सिन्हा--सब-रजिस्ट्रार करीब करीब हर जिले में जो हेडक्वार्टर्स पर हैं वे बी० ए०, एल-एल० बी० हैं और मैजिस्ट्रेट हैं। वहाँ जमींदारी उन्मूलन और डेट लेजिस्लेशन की वजह से कोई अब बैनामा वगैरह नहीं कराता। इसलिये उनके पास काम नहीं है। यह काम उनके सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री फूल सिंह--श्रीमान् जी, दो सुझाव मेरे बोलने के बाद भवन में पेश हुए। एक तो यह कि जो काम एस० डी० ओ० करते थे वह जुडीशियल आफिसरों में बाँट दिया जाय। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य शायद भूल गये कि बहुत दफा इस सदन में बहस हुई कि जुडीशियरी को एक्जीक्यूटिव से अलग कर दिया जाय और जिसका नतीजा यह हुआ कि उसको अलग कर दिया गया। माननीय सदस्य का सुझाव है कि फिर से दोनों को एक कर दिया जाय। जुडीशियल अफसर महज जुडीशियरी का काम करते हैं।

अध्यक्ष--(श्री महावीर प्रसाद शुक्ल से) माननीय सदस्य क्यों खड़े हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल--प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन बतलाना चाहता हूं। मेरी तजवीज यह नहीं कि डिप्टी कलेक्टर्स का काम जुडीशियल आफिसर्स को बाँटा जाय बल्कि खुद गवर्नमेंट की तजवीज यह थी कि..

अध्यक्ष--आप तो स्पीच दे रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल---श्रीमान्, एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूं। मेरा निवेदन यह था कि डिप्टी कलेक्टरों का काम करने के लिये जो जुडीशियल अफसर नियुक्त किया जायगा उसका काम ८-९ महीनों के लिये हर जिले में शेष जुडीशियल अफसरों में बाँटा जा सकता है। उसके स्थान पर नये आदमी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री फूल सिंह---आपने गलत समझा। जो जुडीशियल अफसरों की नियुक्ति के संबंध में सरकार एक एक जुडीशियल असफर को एक्जीक्यूटिव साइड में लायेगी माननीय सदस्य चाहते हैं कि सबको लाया जाय तो यह बात युक्तिसंगत नहीं होगी। सब-रजिस्ट्रारों को जुडीशियरी का काम देने के संबंध में काफी आलोचना हो चुकी है और लोग समझते हैं कि वह जुडीशियरी का काम करने में नाकाबिल हैं। यह भवन की राय है। मैं समझता हूं कि इन दो बातों के अलावा मुझे और कोई चीज नहीं अर्ज करना है। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री उमाशंकर तिवारी---मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा---इस डिमांड पर कई कटमोशन्स आये हैं और मैं समझता हूं कि हर आदमी को जिसका कटमोशन है जवाब देने का हक होना चाहिये।

अध्यक्ष---कटमोशन तो सिर्फ श्री उमाशंकर जी का है. बाकी सब लोग बोलने वाले हैं।

श्री अहतर हुसैन ख्वाजा---मैं अर्ज करूंगा कि कटमोशन तो हर एक अलग-अलग हैं। जनाब चाहें तो कम्बाइंड कर दें वह दूसरी शक्ल है मगर राइट का सवाल है। हर आदमी को जो कटमोशन दे रहा हो, जवाब देने का मौका दिया जाय।

अध्यक्ष---अभी उपाध्यक्ष महोदय ने फैसला दे दिया था कि एक कटमोशन पेश होगा। बाकी सब लोग बोलने वाले होंगे।

श्री अतहर हुसन ख्वाजा---क्या एक मेम्बर को ही जवाब देने का राइट होगा। एक मेम्बर को आपने मौका दिया, अगर उन्होंने उसको यूटीलाइज नहीं किया तो दूसरे मेम्बर को हक होना चाहिये।

अध्यक्ष---वह तो तय हो चुका है।

(कुछ रुक कर)

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १२---कमिश्नरों और जिला प्रशासन का व्यय---लेखा शीर्षक २५---सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत २,९१,४०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १८---लेखा शीर्षक २६---वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा

शिक्षा मंत्री के समासचिव (डाक्टर सीताराम)---अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८---शिक्षा---लेखा शीर्षक २६--- वैज्ञानिक विभाग और ३७---शिक्षा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के सम्मानित सदस्यों का ध्यान इस अनुदान की तरफ खींचना चाहता हूं और साथ ही साथ इस अनुदान पर एक विहंगम दृष्टि डालना चाहता

हूं। यह अनुदान अलमोड़ा डी० एल० शाह गंगोला डिग्री कालेज के लिये है। यह कालेज आगरा विश्व विद्यालय से अनुबद्ध है। यहाँ पर इंटरमीडिएट में साइंस की पढ़ाई होती है। अभाग्यवश उस साइंस कालेज में अप्रैल में आग लग गई और फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों रूम जल गये। जलने के बाद डिप्टी इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने तार द्वारा सरकार को सूचना दी कि उनकी इससे दो लाख रुपये की क्षति हुई है। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने भी लिखा तो सरकार ने उनकी सिफारिश पर १५ हजार रुपये उस कालेज को भेजे जिससे डिग्री कालेज के अधिकारी वहाँ साइंस क्लास बना सकें। चूंकि यह घटना एक अनफोर्सीन थी इसलिये यह उचित समझा गया कि यह रुपया भेज दिया जाय और बाद में लेजिस्लेचर के सामने इस धनराशि को रख कर स्वीकार करा लिया जाय। ऐसी हालत में मैं सदन से निवेदन करूंगा कि यह एक १०० रुपये की प्रतीक माँग है और इसको स्वीकार किया जाय।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा के अधीन एक रुपये की कमी कर दी जाय। इस कटौती को पेश करने का मेरा उद्देश्य यह है कि कुछ बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूं। सब से पहले अहम चीज जो सरकार के सामने रखना चाहता हूं। वह यह है कि शाहजहाँपुर गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज में एक बिल्डिंग ४५,३२३ रुपये की लागत से ३ साल पहले बनायी गयी थी और वह पी० डब्लू० डी०, शाहजहाँपुर ने बनाई थी। उस बिल्डिंग के बनते ही उसमें इतनी दरार पड़ गयी कि वह बिल्डिंग बिलकुल बेकार हो गई उसके ऊपर .....

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य)--मैं यह प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। कहाँ तो शाहजहांपुर का गर्ल्स कालेज की बिल्डिंग्स में दरार पड़ना और कहाँ यह अलमोड़ा का डिग्री कालेज।

अध्यक्ष--इसको मैं समझता हूं। वह आगे चल कर इस दरार को शायद जोड़ने की कोशिश करेंगे।

श्री भगवान सहाय--इस बात को मेरे कहने का मतलब यह है कि उसमें क्लास नहीं होती है। अगर मौर्य जी मेरी बात को समझने की कोशिश करते तो उनको खुद मालूम हो जाता। अब सवाल यह है कि ४५,३२३ रुपये की बरबादी गरीब जनता की हो गयी और ३ साल हो गये, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई ऐक्शन नहीं लिया और यहां तक जानने की कोशिश नहीं की कि यह किसकी जिम्मेदारी है और सबसे अहम सवाल यह भी है कि जो लड़कियाँ वहाँ पढ़ती हैं वहाँ उनकी जान का भी बहुत खतरा है। जैसा कि सवाल से पता चला वहाँ के अधिकारियों ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की कि कोई एक्शन इस संबंध में लिया जाय। फिर यह हुआ कि उसके ऊपर एशटाल डाल दिया जाय ताकि छत का चूना बन्द हो जाय। मैं कहूंगा कि वहाँ वह एशटाल डाला गया, लेकिन फिर भी छत का पानी टपकता है। वह हाल ७४ फीट लम्बा और ३४ फीट चौड़ा है और उसकी चुनाई की जाती है गारे से। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता लेकिन मेरा मतलब यह है कि शिक्षा विभाग ने उस पर कोई ऐक्शन नहीं लिया और खासतौर से जबकि उस कालेज में जगह की बहुत कमी है। मैं इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा यह चाहता हूं कि इसमें शिक्षा विभाग किसी आदमी की जिम्मेदारी रखे इस ४५,३२३ रुपये की बरबादी के लिये और उस आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाय जो इसका जिम्मेदार है।

दूसरी बात यह है कि मेरी समझ में यह नहीं आया कि शिक्षा विभाग का काम किसी प्लानिंग के साथ क्यों नहीं होता है। यह नहीं देखा जाता है कि कहाँ रिकगनिशन देना जरूरी है और कहाँ जरूरी नहीं है। यह नहीं देखा जाता कि जहाँ पाँच-पाँच, छः-छः हजार की आबादी है। मुझे अलमोड़ा के स्कूल से कोई मुखालफत नहीं है। मौर्य जी

[श्री भगवान सहाय]

जरा बेचैन हो रहे हैं मैं तो चाहता हूं कि वहाँ भी पर्वतीय यूनिवर्सिटी हो जाय और उससे मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी सारी सहानुभूति उनके साथ है। सवाल विभाग की नीति का है और उसी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता था। हमारे शाहजहाँपुर जिले में तिलहर एक कस्बा है। वहाँ पर एक जूनियर गर्ल्स हाई स्कूल है और एक हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिक ट्रस्ट का है। सरकार इस जूनियर स्कूल पर ११,००० रुपया खर्च करती है जबकि वहाँ १०० लड़कियाँ ही पढ़ती हैं और सेकेंडरी हाई स्कूल में जहाँ ४०० लड़कियाँ पढ़ती हैं उसकी कोई भी ग्रान्ट नहीं बढ़ायी गयी है और जो ग्रांट उसको जब वह जूनियर हाई स्कूल था उस वक्त मिलती थी वही आज भी चली आ रही है। इस स्कूल का कुल खर्च १२,००० रुपया होता है जब कि वहाँ ४०० लड़कियाँ पढ़ती हैं। मैं कहूंगा कि यह रुपये का सदुपयोग नहीं है और इससे अहसास होता है कि इस तरह से रुपये का सही इस्तेमाल नहीं होता है। इस तरफ खास ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि हमारी फीमेल एजूकेशन बहुत पिछड़ी हुई है। जब मैं विभाग में इतनी कमी देखता हूं तो बड़ा दुःख होता है। इसके लिये साल बसाल प्रार्थना की जाती है कि कुछ रुपया बढ़ाया जाय ताकि स्कूल खत्म न हो जाय। पिछले ५० साल से यह स्कूल चल रहा है और अब इसकी हालत बहुत खराब है इसलिये सरकार को इस ओर खास ध्यान देना चाहिये।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य जब कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं तो उनको प्रस्ताव के अनुकूल आम बहस नीति पर करना है और इस तरह से एक-एक स्कूल पर इतना कहना असंगत होगा।

श्री भगवान सहाय---मैं इसका ख्याल रखूंगा। दूसरी बात जो मैं शिक्षा विभाग में देखता हूं वह यह है कि जब किसी स्कूल की बिल्डिंग के लिये जमीन एक्वायर करने के लिये दरख्वास्त दी जाती है, तो दो-दो, तीन-तीन वर्षों में भी जमीन एक्वायर नहीं हो पाती। क्या स्कूलों के लिये बिल्डिंग बनवाना गैर जरूरी काम है। इस तरफ भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये जो खास-खास काम की चीजें हैं उनपर सरकार ध्यान दे और अगर सरकार उनको सही करने की कोशिश करेगी तो मैं उसका बहुत सी शुक्रगुजार हूंगा।

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भवन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं भगवान सहाय जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ दरारों की तरफ, जो शाहजहाँपुर के स्कूल में पड़ गयी हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं और इस भवन के सामने यह कहना चाहता हूं कि जो भी दरारें चाहे वे किसी स्कूल में पड़ी हों, उनको पूरा करने की पूरी-पूरी कोशिश की जायगी। लेकिन यह जो दरार शाहजहाँपुर में पड़ गयी है वे क्यों उसे अल्मोड़ा तक फैलाना चाहते हैं। यह जो गड़बड़ी और दरारें जिन लोगों की वजह से हुई हैं उनके बारे में भी जाँच की जायगी और जो दरारें पड़ी हैं उनको पूरी तरह से ठीक करने की कोशिश की जायगी। इतना ही कह कर मैं अर्ज करूंगा कि यह तो एक आकस्मिक घटना थी कि इमारत जल गयी। उसको आप बन जाने दीजिये। वहाँ जो दरार पड़ गयी है उसको पूरा हो जाने दीजिए फिर उनकी जो दरार है उनको पूरा करने की कोशिश की जायगी।

डाक्टर सीताराम---अभी अपने दीक्षांत भाषण में माननीय सदस्य ने शाहजहाँपुर के गर्ल्स स्कूल के संबंध में कुछ कहा। उसका संबंध अल्मोड़ा कालेज से कुछ नहीं है। आपने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग में कोई प्लानिंग नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग में यह देखा जाता है कि चाहे कोई जूनियर हो या हायर सेकेंडरी हो सबको बराबर मान्यता दी जाती है। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं

कि अब शिक्षा विभाग में ऐसी बात नहीं है। आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी, जो १९५२ के मार्च में बैठी थी, वह आजकल मीट कर रही है और उसकी अंतिम बैठक बनारस में हो रही है। उसमें शिक्षा विभाग की प्रत्येक बात पर विचार किया जा रहा है। उसके जरिये से शिक्षा विभाग की प्लानिंग होगी, उसमें विचार किया जा रहा है कि किस तरीके से विद्यार्थियों में चरित्र-निर्माण होगा, इन सब बातों पर उसमें प्रकाश डाला जायगा। मुझे आशा है कि उसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आ जायगी। जहाँ तक रिकगनिशन का सवाल है सरकार अब इस रिकगनिशन के सवाल पर बड़ी सख्ती से कदम उठा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कांसोलिडेशन की ओर अधिक ध्यान देने की कोशिश की जा रही है जिसके लिये शिक्षा मंत्री जी कदम उठा रहे हैं। मान्यता इंटरमीडिएट क्लासेज के लिये उन्हीं स्कूल्स को दी जाती है जो टेकनिकल एजुकेशन की शिक्षा दे रहे हैं। जिन लोगों ने स्कूलों को खोल कर रोजगार बना रखा है सरकार उसको प्रोत्साहन नहीं देगी। बल्कि अनुशासन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की कार्यवाही की जायगी। इसी ध्यान से सरकार ने अपना सक्रिय कदम उठाया है। जहाँ पर आपने रुपयों के इस्तेमाल का प्रश्न उठाया है, मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट पर सब डिपार्टमेंट से अधिक रुपया अवश्य दिया गया है, लेकिन इतना रुपया होने के बाद भी शिक्षा विभाग को अधिक रुपये की जरूरत है जिसको कि हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, अध्यक्ष महोदय के द्वारा मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस शिक्षा विभाग का जहाँ तक संबंध है सरकार ने उसके लिये अपना सक्रिय कदम उठाया है ताकि जिस भी संभव तरीके से प्रगति देश की हो उसको करने के लिये सरकार अहर्निश तैयार है और रहेगी।

श्री भगवान सहाय--माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी ने जो यह कहा कि कुछ लोगों ने स्कूल कालेज को रोजगार बना लिया है, इसका मतलब क्या है, मैं नहीं समझ सका। क्या उनके इल्म में कोई ऐसा स्कूल है जहाँ पर लोगों ने रोजगार के लिये खोला है। यदि है तो वे इस सदन को बतलावें कि वह कौन सा स्कूल है। मेरी समझ में तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है। डाक्टर सीताराम अमेरिका से लौटकर आये हैं। जितना वे समझते हैं उतना मैं नहीं समझता हूं। इसलिये अच्छा यह है कि वे इस बात को साफ़ कर दें क्योंकि यह बात जो उन्होंने कही है वह बहुत खतरनाक है। मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने जो बात कही है उसका माने ही वे नहीं समझे हैं और उन्होंने गलत बात कही है। मैं चाहूंगा कि वे ऐसी मिसाल बतलावें जो रोजगार के ख्याल से स्कूल खोला गया और उसके खिलाफ एक्शन लें।

फिर दूसरे सवाल के बारे में जो शर्मा जी ने कहा, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि वे इस पर अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे लेकिन जब उन्होंने ४५,३२३ रु० की बरबादी को दरार कहना ही शुरू कर दिया तो मैं नहीं जानता कि आइन्दा इसका नतीजा क्या होगा, यह तो मुझे स्पीच से ही मालूम हो गया। रही सद्भावना व शुभकामना की बात। तो अल्मोड़ा कालेज के लिये मैं पहले ही अर्ज कर चुका था मेरी सद्भावना व शुभकामना उसके लिये है उसूलन मुझे कोई शिकायत नहीं है कि वह स्कूल वहाँ रखना चाहिये। अगर उसे यूनिवर्सिटी बना दिया जाय और उसी में से कोई साहब वाइस चांसलर बन जायं तो भी मुझे कोई एतराज नहीं होगा। बल्कि जहाँ तक मुझसे मदद हो सकेगी, मैं भी दो-चार ईंटें उसमें लगा दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि यह रोजगार बनाने वाली बात का वे एक्सप्लेनेशन दे लें, तब मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापस लूंगा।

डाक्टर सीताराम--अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कोई आदमी जब कहीं दुनिया से पढ़कर या घूम

[डाक्टर सीताराम]

कर आता है तो उसे दुनिया का अनुभव अवश्य होता है और दुनिया के अनुभव को देखते हुए वह यहाँ पर बतला सकता है कि कौन सी बात होनी चाहिये। अभी थोड़े दिन हुए यहाँ पर चैरिटेबिल एण्डाउमेंट्स बिल, जो पास हुआ थ वह इसी बिना पर पास हुआ था इस सदन के सम्मुख मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर माननीय सदस्य देखना चाहें तो मेरे यहाँ आकर देख सकते हैं कि कितने इंस्टीटयुशंस इस तरह से इनवाल्व्ड् हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री भगवान सहाय--मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस तो ले लूंगा, लेकिन एक शब्द आपके द्वारा कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष--जी नहीं, अब कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री भगवान सहाय--तो कटौती के प्रस्ताव को वापस लेते हुए मैं डाक्टर सीताराम से कहना चाहता हूं कि उन्होंने इसका मतलब नहीं समझा है। इसका यह मतलब नहीं है।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८--शिक्षा--लेखा-शीर्षक ३६--वैज्ञानिक विभाग और ३७--शिक्षा के अंतर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष--वैसे साढ़े चार बजे अनुदानों पर विवाद का समय खत्म हो जाना चाहिये था लेकिन मैंने १० मिनट और दे दिये हैं। अब ४ बजकर ४० मिनट पर जो अनुदान बाकी रह जायेंगे उन पर मैं मत ले लूंगा।

अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जनस्वास्थ्य

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभान गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश पर मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जनस्वास्थ्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान के संबंध में अधिक प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो साहित्य माननीय सदस्यों को बाँटा गया है उसमें इन तमाम बातों की जानकारी करा दी गयी है कि क्यों यह अनुदान माँगा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि उस जानकारी के बाद माननीय सदस्यगण इस अनुदान को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

(कुछ रुक कर)

अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मैंने पेश किया है कदाचित उसका संबंध तो लेखा शीर्षक ३९ से है और यह जो ८ नवम्बर का है वह लेखा शीर्षक ३८ के बारे में है। मुझसे यह भूल हुई। मुझे ३८ को मूव करना चाहिये था, लेकिन जो मैंने मूव किया था वह ३९ था।

अध्यक्ष--तो क्या आप नया आइटम मूव कर गये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मेरे सामने लेखा शीर्षक ३९ का कागज पड़ा था।

अध्यक्ष--तो मैं इसे ही पहले ले लेता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०--लेखा शीर्षक ३९--जन स्वास्थ्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा

अन्न मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, गवर्नर महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९--चिकित्सा--लेखा शीर्षक ३८--चिकित्सा के अन्तर्गत ४७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय।

इस संबंध में भी मुझे कोई विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। जो साहित्य माननीय सदस्यों को दिया गया है उसमें इन बातों का वर्णन कर दिया गया है कि क्यों यह अनुदान मांगा जा रहा है। उस जानकारी की बिना पर मुझे विश्वास है कि सदस्यगण अनुमति इस अनुदान पर प्रदान करेंगे।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९--लेखा शीर्षक ३९--चिकित्सा के अन्तर्गत ४७,४०० रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि सम्बन्धी विकास और खोज

कृषि उपमन्त्री (श्री जगन प्रसाद रावत)--मैं गवर्नर महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव रखता हूं कि अनुदान संख्या २१--लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत २०० रुपये की माँग स्वीकार की जाय।

यह एक प्रतीक अनुपूरक माँग है। इसके अन्तर्गत दो मदें आती हैं एक तो क़रीब २० लाख एकड़ ऊसर भूमि हमारे यहाँ पड़ी हुई है उसको काश्तकारी के क़ाबिल बनाने के लिये कुछ अनुसंधान हो रहा है जिसमें अगर हम सफल हो गये तो २० लाख एकड़ ऊसर जमीन काश्त करने के क़ाबिल हो जायगी। इसमें जो प्रयोग हो रहा है उसमें कुछ रुपया खर्च होगा। लेकिन जो रुपया इसमें खर्च होगा वह हमने जो बजट बनाया था उसमें से बचत करके काम चला लेंगे। लेकिन चूंकि जिस वक्त पहले बजट पेश किया गया था उस वक्त यह योजना सामने नहीं थी इसलिए मुनासिब समझा गया कि इसको सदन के सामने रख दिया जाय, सदन इसके संबंध में विचार करे और उससे भी लाभ उठाया जाय।

दूसरी मद इस अनुदान में गन्ने में जो परेला बीमारी लग जाती है उसके लिए है। इस वर्ष गन्ने में इस बीमारी के लगने से यह आशंका हुई कि इससे गन्ने की फसल खराब हो जायगी। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए यह जरूरी था कि खर्चा किया जाय। लेकिन वह भी हमने बजट में पैसा बचा कर खर्च किया। लेकिन उसको भी सदन के सामने लाना जरूरी था। इसलिए यह दोनों प्रतीक माँगें रखी हैं। आशा है कि सदन स्वीकार करेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख अनुदान संख्या २१ के अन्तर्गत एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्रीमन्, यह जो २० लाख एकड़ ऊसर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए जो एक्सपेरीमेंट के लिए २ सौ रुपये की माँग इस सदन के समक्ष माननीय मंत्री ने पेश की है मैं नहीं कह सकता कि यह एक्सपेरीमेंट कहाँ तक सफल होगा।

इस समय जबकि हमारे उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा ऐसी है कि हमें विभिन्न करों द्वारा अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा करना पड़ रहा है और उस रुपये को सरकार निर्माण कार्य में लगाना चाहती है ऐसी हालत में एक्सपेरीमेंट में इतनी बड़ी रक़म एक लाख तेरह हजार नौ सौ रुपये केवल सौ एकड़ जमीन पर एक्सपेरीमेंट करके खर्च करें यह कितना कास्टली एक्सपेरीमेंट

[श्री नेकराम शर्मा]

होगा, जितना खर्चा इस एक्सपेरीमेंट पर हो रहा है शायद उतना रिटर्न न हो। कई एक्सपेरीमेंट्स हमने देखे। देहरादून में व्यर्थ एक डैम पर क़रीब २५ लाख रुपया खर्च कर दिया गया। झांसी में पिपरिया डैम पर व्यर्थ लाभरहित पाँच लाख रुपया खर्च कर दिया गया। ऐसी हालत में जो यह माँग सदन के सामने आयी है जो कि एक्सपेरीमेंट के लिए है, आज जब कि हम पंच वर्षीय योजना कार्यरूप में परिणत करना चाहते हैं इतनी बड़ी रक़म खर्च करने की अनुमति देने के लिए कम से कम मैं तो तैयार नहीं हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो रिक्लेमेशन का सवाल है वह अन्य देशों में जो एक्सपेरीमेंट्स हुए हैं उनके अनुसार यह एक्सपेरीमेंट होगा। दूसरे देशों से हमारे यहाँ की दशा भिन्न है। दूसरे देशों में जमीन की इतनी हेवी प्राइसेज होती है कि वहाँ पर जरूरत पड़ती है कि ऊसर जमीन खेती के योग्य बनायी जाय। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ इस बात की जरूरत है कि इंटेंसिव कल्टीवेशन किया जाय। इस समय एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की आवश्यकता नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश अनाज से परिपूर्ण हो तो इस वक्त यह आवश्यकता नहीं कि कि एक्सपेरीमेंट्स पर लाखों रुपया बरबाद कर दिया जाय। जरूरत है इंटेंसिव कल्टीवेशन की, जिससे अधिक नाज पैदा हो सके और शीघ्र खाद्य समस्या देश की सुधर सके।

लेकिन जब मैं इस अनुदान को देखता हूं और बजट के आँकड़ों को देखता हूं तो अधिकतर रुपया आप देखेंगे कि सेलरीज और डी० एज० और टी० एज० और अलाउंसेज खर्च में चला जाता है। वास्तव में कितना खर्च उसके एक्सपेरिमेंट में होगा यह अनुदान २१ से मालूम होगा कि १३ हजार तो खर्च कर दिया डी० ए०, टी० ए० और अलाउंसेज में। तो ऐसी सूरत में जब हालत यह चल रही है तो किस तरह से यह उचित होगा कि मैं उस धनराशि को स्वीकार करूं। आप देखें बाराबंकी में एक कांस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, ३ मील सड़क बनाई जा रही है जिसमें प्रान्तीय रक्षा दल के आदमी हैं और गांवों के आदमी लगे हुए हैं। तो इस तरीक़े से अगर काम हो, जिसका तत्काल रिजल्ट मालूम हो तो उसके लिये अगर खर्चा किया जाय तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना जिसके बारे में शुबहा हो कि वह सफल हो सकेगा या नहीं, यह मैं समझता हूं ठीक न होगा। १,१३,९०० रुपया नष्ट करके यह तजुर्बा करना जबकि हमारी आर्थिक स्थिति इस क़ाबिल नहीं है, उचित न होगा। ऐसी हालत में इस एक्सपेरिमेंट के लिये माँग जो पेश की गयी है उसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जगन प्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय .....।

अध्यक्ष—एक ही मिनट है।

श्री जगन प्रसाद रावत—मुझे तो इस सम्बन्ध में कुछ ज्यादा कहना नहीं, पर ताज्जुब यह जरूर हुआ कि आज के युग में भी किसी चीज के प्रयोग के संबंध में कोई एतराज उठाया जाय या यह कहा जाय कि ४०० एकड़ जमीन पर एक लाख रुपया खर्च होता है। सवाल यह है कि अगर इस प्रयास में हम सफल हुए तो २० लाख एकड़ जमीन को काश्त के काबिल बना लेंगे और इस तरीक़े से करोड़ों रुपये का लाभ होगा। रुपये ही का सवाल नहीं है, रुपये से ज्यादा सवाल यह है कि हिन्दोस्तान की बात नहीं कहता, हमारे सूबे में ही इतने भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जिनकी समस्या सुलझाने में कठिनाई होती है। तो इस प्रश्न के साथ यह समस्या भी हल हो जाती है।

माननीय सदस्य ने इंटेंसिव कल्टिवेशन के बारे में कहा कि इंटेंसिव कल्टिवेशन ही होनी चाहिये, लेकिन मैं समझता हूं कि इंटेंसिव कल्टिवेशन भी हो और एक्सटेंसिव कल्टिवेशन भी हो, तभी हम सफल हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे।

अध्यक्ष—क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री नेकराम शर्मा--हाँ, मैं वापस लेता हूं, यदि सरकार समझती है कुछ लाभ होगा।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया।)

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २१--कृषि सम्बन्धी विकास और खोज--लेखा शीर्षक ४०--कृषि के अन्तर्गत २०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २४—लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४--पशु-चिकित्सा--लेखा शीर्षक ४१--पशु-चिकित्सा के अन्तर्गत १,५८,४०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२-५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २६ --लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क--विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या--२६-विद्युत् योजनाओं की स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ४१ और ८१-क के अन्तर्गत ४५,००० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या २८--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २८--उद्योग--लेखा शीर्षक ४३--उद्योग के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३१--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण कार्यों पर लागत

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--सार्वजनिक निर्माण कार्यों के व्यय जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ६९,००० रुपये की अनुपूरक माँग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३२--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क-निधि से वित्तीय सहायता

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३२--यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और केन्द्रीय सड़क-निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १३,५०,००० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्य स्थापना पर व्यय--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य और ८१--राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों की पूंजी का लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४--नागरिक निर्माण कार्यों के लिए सहायक अनुदान--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३५--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३५--दुर्भिक्ष सहायता--लेखा शीर्षक ५४--दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ५०,००,००० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३९--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३९--विविध व्यय--लेखा शीर्षक ५७--विविध व्यय के अन्तर्गत ५०,१०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४२--लेखा शीर्षक ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास सम्बन्धी व्यय

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४२--योजना और एकीकरण--लेखा शीर्षक: ६३-क--युद्धोत्तर योजना और विकास संबंधी व्यय के अन्तर्गत ६,००० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४३--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बांध और पानी के निकास सम्बन्धी कार्यों का निर्माण

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४३--राजस्व लेखे के बाहर सिंचाई और जल विद्युत् निर्माण कार्यों का सम्पादन (स्थापना व्यय सम्मिलित नहीं है)--लेखा शीर्षक ६८--सिंचाई, नौचालन, बाँध और पानी के निकास संबंधी कार्यों का निर्माण के अन्तर्गत ८,५४,८०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४६--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४६--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर लागत--लेखा शीर्षक ८१--राजस्व लेखे के बाहर नागरिक निर्माण कार्यों का पूंजी लेखा के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--लेखा शीर्षक--द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--ब्याज वाले ऋण और अग्रऋण--लेखा शीर्षक--द--राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रऋण के अन्तर्गत १२,६०,१०० रुपये की अनुपूरक माँग वित्तीय वर्ष १९५२--५३ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्राक्कलन समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए निर्वाचन के सम्बन्ध में सूचना

अध्यक्ष--अब मुझे एक सूचना देनी है । प्राक्कलन समिति के दो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निम्न नामांकन हुआ है --

(१) श्री राधा मोहन सिंह ।

(२) श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा ।

इनके प्रस्तावक हैं श्रीमंगला प्रसाद और अनुमोदक हैं श्रीकाली चरण टंडन ।

तीसरे श्री जोरावर वर्मा हैं ।

इनके प्रस्तावक हैं श्री तेज प्रताप सिंह और अनुमोदक हैं श्री मोहन सिंह शाक्य ।

नाम की वापसी के लिये कल ३ बजे तक का समय है । यदि वापसी नहीं हुई तो इसका चुनाव होगा ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ४६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ,
७ अक्तूबर, १९५२ ।

कैलास चन्द्र भटनागर
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये ७ अक्तूबर, १९५२ के अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

नक्शा जिसमें १९५२ के गर्मी के मौसम में राज्य सम्पत्ति विभाग के अफसरों व कर्मचारियों द्वारा की गई नैनीताल की यात्राओं के विवरण दिये गये हैं :—

क्रम-संख्या	अफसर	कर्मचारी	रवाना होने की तारीख	वापसी की तारीख	यात्रा का प्रयोजन
		जून, १९५२ ई०			
१	राज्य सम्पत्ति अधिकारी	...	४-६-५२	१-७-५२	राज्य सम्पत्ति विभाग के अफसर व कर्मचारी नैनीताल, मंत्रियों, विधान सभा के सदस्यों, कमेटियों के सदस्यों, अफसरों और कर्मचारियों के ठहरने का प्रबन्ध करने के लिये लखनऊ से नैनीताल गये।
२		स्टेनोग्राफर	५-६-५२	१-७-५२	
३		असिस्टेंट	४-६-५२	५-७-५२	
४		चपरासी	४-६-५२	१-७-५२	
५		चपरासी	४-६-५२	६-९-५२	
६		फर्राश	४-६-५२	१-७-५२	
७		चपरासी	४-६-५२	२-७-५२	
८		फर्राश	४-६-५२	२-७-५२	
९	सुपरिन्टेंडेन्ट	..	१६-६-५२	१-७-५२	
१०		दफ्तरी	१५-६-५२	१-७-५२	
११		चपरासी	८-६-५२	११-६-५२	

नत्थी 'ख'

(देखिये ७ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

बुलन्दशहर जिले में ओ० डी० आर्स और वी० आर्स की तालिका और काम की प्रगति

नाम सड़क	सड़क की लम्बाई	मिट्टी का काम	जिन मीलों में पुल और पुलियों का काम पूरा हो गया है।
	मील	मी० फ०	मी० फ०
१—गुलावठी—चितसौना—सियाना ओ० डी० आर०	१४ ३/८	१४ ०	७ ३
२—औरंगाबाद—पबसरा वी० आर० ..	८	४ ६	४ ०
३—सियाना—खानपुर ,, ..	६ १/२	५ ७	..
४—जेवर—थप्पल ,, ..	२ ५/८	२ ५	..
५—जहाँगीराबाद—जलालाबाद—झाझर ओ० डी० आर० ..	६ ७/८	६ ७	३ ०
६—खुरजा—पहासू ओ० डी० आर० ..	१०	१० ०	८ ०
७—सैदपुर—पबसरा वी० आर० ..	७	..	..
८—सिकन्दराबाद—सनौटा ओ० डी० आर०	५ १/४	५ २	५ २
९—सिकन्दराबाद—कबोर ,, ..	११ १/४	११ ०	११ ०
१०—दादरी—जरचा ,, ..	६ १/८	६ १	६ १
११—छलेरा—बनगर—बरौला—बेगमपुरा—भंगल सूरजपुर—दादरी आर० एस०, ओ० डी० आर० (दादरी—सूरजपुर—छलेरा—बनगर)	१४ १/२	३ ४	..
१२—झाजर—रबूपुरा ओ० डी० आर०	४	४ ०	..
१३—बिलासपुर—कसना वी० आर० ..	८ ५/८	६ ५	५ ५

नाम सड़क	सड़क की लम्बाई	मिट्टी का काम	जिन मीलों में पुल और पुलियों का काम पूरा हो गया है।
	मील	मी० फ०	मी० फ०
१४--सनौठा-गुलावठी ओ० डी० आर०	५ १/२	५ ४	३ ०
१५--शिकारपुर-देबाई ओ० डी० आर० ..	१३ १/४	१३ २	१२ ०
१६--अतरौली-रामघाट रोड ,, ..	४.२	४ २	४ २
१७--काकौर-फीडर ..	१	१ ०	१ ०
१८--जहाँगीराबाद से बुलन्दशहर-अनूपशहर रोड ओ० डी० आर० ..	२	२ ०	२ ०
१९--दौलतपुर--जहाँगीराबाद ,, ..	..	९ ४	..

नत्थी 'ग'

(देखिये ७ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ११० का उत्तर पीछे पृष्ठ ११५ पर)

वर्ष, १९५० ई० के मुकदमों का दायरा

मुकद्दमों की किस्में	कन्नौज के मुंसिफ की अदालत में दायर किये गये मुकद्दमों की कुल संख्या	छिब्रामऊ तहसील में दायर किये गये मुकद्दमों की परगनानुसार संख्या			छिब्रामऊ तहसील में किये गये मुकद्दमों की कुल संख्या	दायर किये गये मुकद्दमों का प्रतिशत	विशेष विवरण
		छिब्रामऊ	तालीग्राम	सीरिख सकरावा तथा सकतपुर			
१	२	३	४	५	६	७	८
नम्बरी (रेगुलर) मुकदमे	५०४	११०	५७	६४	२३१	४५·८३	प्रतिशत
खफीफा अदालत के मुकदमे	२३९	५२	२४	३४	११०	४६·०२	,,
इब्तिदाई मुकदमों के इजरा	३०२	४९	२४	३१	१०४	३४·४३	,,
खफीफा अदालत के मुकदमों के इजरा	११४	२०	७	२४	५१	४४·७३	,,
विविध इब्तिदाई मुकदमे	१९१	२२	११	२६	५९	३०·०३	,,
खफीफा अदालत के विविध मुकदमें	३५	७	५	८	२०	५७·१४	,,
योग	१३८५	२६०	१२८	१८७	५७५	४१·५१	,,

वर्ष, १९५१ ई० के मुकदमों के दायरा

मुकद्दमों की किस्में	कन्नौज के मुंसिफ की अदालत में दायर किये गये मुकद्दमों की कुल संख्या	छिब्रामऊ तहसील में दायर किये गये मुकदमों की परनुसार संख्या			छिब्रामऊ तहसील में दायर किये गये मुकदमों की कुल संख्या	दायर किये गये मुकदमों का प्रतिशत,	विशेष विवरण
		छिब्रामऊ	ग्रामताली	सौरिख सकरावा तथा सकतपुर			
१	२	३	४	५	६	७	८
नम्बरी (रेगुलर) मुकदमें	५५९	१२८	६१	७२	२६१	४६.६९	प्रतिशत
खफीफा अदालत के मुकदमें	२६६	५८	२७	३७	१२२	४५.८६	,,
इब्तिदाई मुकदमों के इजरा	३९४	६४	३१	५७	१५२	३८.५७	,,
खफीफा अदालत के मुकदमों के इजरा	१११	१८	९	२०	४७	४२.३४	,,
विविध इब्तिदाई मुकदमा	२०९	३३	१९	३७	८९	४२.५८	,,
खफीफा अदालत के विविध मुकदमे	३३	५	३	१०	१८	५४.५४	,,
योग	१५७२	३०६	१५०	२३३	६८९	४३.८३	,,

नत्थी 'घ'

(देखिये ७ अक्तूबर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११७ पर)

१--सिंचाई विभाग का मैनुअल (दो खंड)--

कुछ पैराग्राफों को छोड़कर संशोधित (revised) मैनुअल के दोनों खंड प्रेस भेज दिये गये हैं।

२--बिजली विभाग का मैनुअल (एक खंड)--

यह सारा मैनुअल संशोधित हो चुका है और प्रेस भेज दिया गया है।

३--सार्वजनिक निर्माण विभाग का मैनुअल (दो खंड)--

आठ अध्यायों (chapters) और ३८ परिशिष्टों (appendices) में से पांच अध्याय और २३ परिशिष्ट दोहराये जा चुके हैं और प्रेस भेज दिये गये हैं बाकी काम हो रहा है।

४--यू० पी० मुस्लिम वक्फ्स ऐक्ट--

विधान मंडल (Legislature) ने इस ऐक्ट में संशोधन करने का एक ऐक्ट (Amending Act) पास कर दिया है।

५--नार्दर्न इण्डिया कैनाल ऐन्ड ड्रेनेज ऐक्ट
६--यू० पी० प्राइवेट इर्रीगेशन वर्क्स ऐक्ट
७--यू० पी० इर्रीगेशन इमरजेन्सी पावर्स ऐक्ट

इन ऐक्टों को संशोधित करने के लिये बिलों के मसविदे तैयार हो गये हैं।

८--दि यू० पी० हाई वे बिल--

इस बिल का मसविदा तयार हो गया है।

९--सर्विस के नियम--

सर्विस नियमों के ३८ सेटों में पांच सेट प्रकाशित हो चुके हैं। शेष नियमों में से कुछ नियमों के दोहराये जाने या नये सिरे से बनाये जाने का काम विभिन्न स्थितियों में है।

सत्यमेव जयते